राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ४१वां दिवस [संख्या २८

मंगलवार, १ अप्रैल, १९५८

विधान सभा की बैठक म० प० १२.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण

१००३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियां और तबादले किस आधार पर किये जाते हैं ?

(२) गर्ल्स कॉलेज कोटा की भूतपूर्व अध्यापिका एल० जैकब का ट्रान्सफर पिछले एक साल में कहां-कहां हुआ ? उनके इतने जल्दी-जल्दी ट्रान्सफर के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सच है कि महारानी कॉलेज, जयपुर की एक अध्यापिका को अवधि के पूर्व ही तरक्की देने का प्रलोभन देकर बीकानेर भेज दिया गया है ?

(४) क्या यह सच है कि महिला शिक्षकों का ट्रान्सफर करते समय उनके रहने की सुविधाओं का कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) मैरिट तथा आवश्यकता के आधार पर।

(२) नवम्बर ५६ में कोटा से जयपुर, अगस्त ५७ में जयपुर से बीकानेर, दिसम्बर ५७ में बीकानेर से जोधपुर एन. सी. सी. ऑफिसर की आवश्यकता होने से तबादला हुआ।

(३) ऑफीशियेटिंग हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का प्रमोशन देकर भेजा गया था। युनीवर्सिटी के रूल्स के अनुसार योग्यता तथा अनुभव था।

(४) सर्विस कन्डीशन्स में जब तक इस प्रकार का बन्धन नहीं हो उस समय तक मकान की सुविधा की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होती।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि मिस जैकब को जोधपुर में रहने के मकान की असुविधा है और कई बार सिफारिश कर चुकी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मालूम है लेकिन मकान की कन्डीशन न होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते।

Page No.2

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि एक सुशीला मिश्रा, अध्यापिका का बीकानेर ट्रान्सफर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

डॉ० चन्द्रकला : मैंने पूछा है कि क्या यह सच है कि महारानी कालेज, जयपुर की एक अध्यापिका को अवधि के पूर्व ही तरक्की देने का प्रलोभन देकर बीकानेर भेज दिया गया है। इसी अध्यापिका के बारे में मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए अलग से प्रश्न करें तो ख्याल हो सकता है। आपने प्रश्न खास तौर से पूछा था मिस जैकब के बारे में और उसकी जानकारी विस्तार से मैंने दी है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या किसी अध्यापिका को अवधि से पूर्व इन्क्रीमेंट की बात कह कर बीकानेर भेज दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रलोभन की बात कह कर नहीं भेजा गया।

प्रश्न संख्या १००४

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

झाड़शाही बट्टे की वसूली तहसील दूनी

१००४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील दूनी, डिस्ट्रिक्ट टोंक में झाड़शाही बट्टा वसूल किया जाता है ?

(२) अगर नहीं, तो क्या सैटलमेंट की सर्कल रेट पर एक आना फी रुपया और जोड़ कर रेट कायम की जाती है ?

(३) उक्त तहसील में इस तरह की गत ४ सालों में किस कदर रकम वसूल की गई है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) एक आना फी रुपया जिला बोर्ड सैस का लगान पर लिया जाता है।

(३) १४, ११६, ४३ नये पैसे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या झाड़शाही बट्टा वहां लिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब दे चुका हूं।

डॉ० चन्द्रकला : सैटलमेंट खत्म होने के बाद उसको खत्म क्यों नहीं किया गया ?

श्री सम्पतराम : यह वहीं लिया जाता है, जहां पर सैटलमेंट दुबारा नहीं हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार उसको खत्म करने का विचार करती है ?

श्री सम्पतराम : जब दुबारा सैटलमेंट होगा तब नये सैटलमेन्ट के कायदे कानून के मुताबिक सैटलमेंट होगा और यह खत्म हो जायगा।

प्रश्न संख्या १००६

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

कड़बी का ठेका दूधवाखारा (चूरू)

१००७. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चूरू के बिड़दखां कायमखानी ने सन् १९५४-५५ में दूधवाखारा स्टेशन पर सरकार को कुछ कड़बी ठेके पर बेची थी ?

(ख) क्या यह सही है कि बिड़दखां को कड़बी की कीमत में से ५०० रु० अभी तक नहीं मिले हैं ?

(ग) यह रकम उसे कब तक दे दी जाने की संभावना है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री अमृतराम) :
(क) हां, बेची थी :

(ख) १०२ रु० ३ आने देने बाकी हैं।

(ग) रकम देने की आज्ञा जारी कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

जिलों व तहसीलों की सीमाओं का निर्धारण

१००८. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान में जिलों और तहसीलों की सीमाओं का पुनः निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या इस विषय में सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस कमेटी को काम करने के लिए सरकार ने मनाही भी कर दी है ?

(४) उस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं और इस समय क्या कार्य हो रहा है ?

(५) क्या उपरोक्त कमेटी यह भी सुझाव देगी कि राजस्थान की राजधानी कहां हो ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है, फिर भी मैं इसे पढ़े देता हूं :

(१) हां, १९५५ से।

(२) हां, १९५५ में।

(३) हां। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के कारण इसका कार्य स्थगित कर दिया गया था। किन्तु अब कार्य पुनः प्रारम्भ हो गया है।

(४) कमेटी के निम्न सदस्य हैं :

१. मुख्य सचिव, सभापति
२. चेअरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सदस्य
३. अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य
४. गृह सचिव सदस्य
५. वित्त सचिव सदस्य

कमेटी को यह सुझाव देना है कि जिलों की सीमाओं में हेर फेर करे जिससे कार्य के भार का सन्तुलन बना रहे।

(५) नहीं।

Page No.4

श्री तनसिंह : कार्य बन्द करने का आपने बताया वह वापिस शुरू करने का विचार है या बन्द ही रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नं० ३ के उत्तर में मैंने कहा है किन्तु अब कार्य पुनः प्रारम्भ हो गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम।

हरिजनोत्थान

१००९. श्री लालूराम (टोंक) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक हरिजनोत्थान के क्या क्या कार्य किये गये है तथा उन पर कितना कतना रुपया किस किस जिले में खर्च किया गया है ?

(ख) उपरोक्त विभाग में किस किस जाति के किस किस ग्रेड पर हरिजन कर्मचारी रखे गये हैं ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखा भाई) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनोत्थान के लिए अनेकों कार्य किये गये हैं जिनके संक्षिप्त विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस विभाग द्वारा जिले स्तर पर खर्च नहीं किया जाता अतः जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) समाज कल्याण विभाग में रखे गये हरिजन कर्मचारियों के विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

बालिका विद्यालय, सीकर

१०१०. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले में कितने बालिका विद्यालय हैं तथा अधिक बालिका विद्यालय क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ?

(ख) उक्त जिले में सन् १९५७ में कितनी अध्यापिकाओं की जगह खाली थी ?

(ग) क्या अध्यापिकाओं का वेतन समय पर मिल जाता है ? सन् १९५६-५७ में कितनी अध्यापिकाओं को तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिला ?

(घ) वेतन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(ङ) बालिका विद्यालयों की देख-रेख कौन करता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) इस समय सीकर जिले में ४ माध्यमिक व १३ प्राथमिक बालिका विद्यालय चल रही हैं। अब बालिकाओं के लिये अलग स्कूल नहीं खोले जाते बल्कि सह-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। हां, यदि जहां पर २० या २० से अधिक छात्राएं हो जाती हैं तो स्कूल में छात्राओं के लिये अलग सेक्शन खोल दी जाती हैं और लेडी टीचर की नियुक्ति कर दी जाती है।

(ख) कोई भी जगह खाली नहीं थी।

(ग) अधिकतर अध्यापिकाओं को वेतन समय पर ही मिल जाता है। सन् ५६-५७ में ऐसी कोई भी अध्यापिका नहीं है, जिसे तीन मास से वेतन नहीं मिला हो।

(घ) निम्नलिखित कारण हैं :

Page No.5

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

१. कोषाध्यक्ष द्वारा किये गये एतराज वगैरह की पूर्ति करने में।

२. बीमा पॉलिसी संस्थाओं का न होना इसके लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ।

३. स्थानान्तर व नियुक्ति के पश्चात् रवानगी व पद ग्रहण करने की रिपोर्ट कार्यालय में देरी से प्रस्तुत करने के कारण।

(ङ) अपने अपने एरिया के सहायक शिक्षा महिला अध्यक्ष, उप निरीक्षिका व सहायक उप निरीक्षका द्वारा की जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : यह सह-शिक्षा की व्यवस्था किस कक्षा तक है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वैसे तो अलग-अलग जगह पर अलग तरह से है पर आम तौर से प्राथमिक विद्यालयों के लिये लागू किया है ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : सीकर जिले के अलावा तमाम राजस्थान पर लागू हो-रहा है क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

अनाथालय

६११. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा कितने अनाथालय चलाये जाते हैं और वे कहां-कहां पर हैं?

२) उपरोक्त अनाथालयों पर वार्षिक कितना खर्चा होता है? और उनसे कितने अनाथ व्यक्ति लाभ उठाते हैं?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) ६ अनाथालय हैं और निम्न स्थानों में हैं :

जोधपुर

किशनगढ़ (घरों पर सहायता दी जाती है)

बीकानेर

भरतपुर

बांसवाड़ा

जयपुर

(ख) ५३०६७) रुपया। १३१ व्यक्ति।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सत्य है कि अनाथालय के बच्चों से भीख मांगना सिखाया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, गलत है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या स्वतन्त्र भारत में आज भी कोई अनाथ है?

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम प्रश्न है। निराश्रित कह सकते हैं पर अनाथ किसी को नहीं कह सकते। हमारा संविधान है, सब को समान अधिकार हैं, निराश्रित कह सकते हैं, अनाथ नहीं कह सकते।

प्रश्न संख्या १०१२

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

फर्जी गिरदावरी तहसील, पाली

१०१३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांव पाली, तहसील पाली में पटवारियों ने संवत २०१२ व २०१३ की फर्जी गिरदावरी बनाई है ?

(ख) फर्जी गिरदावरी बनाने में किन-किन का हाथ रहा है ?

(ग) सरकार ने आज तक उपरोक्त फर्जी गिरदावरी को दुरुस्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां, नरपतसिंह पटवारी ने इस गलती को मंजूर किया है।

(ख) उप जिलाधीश पाली इस बारे में जांच कर रहे हैं, सम्बन्धित व्यक्तियों को २५-२-५८ को उपस्थित होने की आज्ञा दी है। जांच के बाद पता चल सकेगा कि इसमें किस-किस का हाथ रहा।

(ग) गिरदावरी की दुरुस्ती करने के लिये जिलाधीश पाली ने उप जिलाधीश को २५-१-५८ को आज्ञा प्रचलित की है।

एक माननीय सदस्य : पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिसने........

श्री दामोदरलाल व्यास : सस्पेन्ड कर दिया।

एक माननीय सदस्य : कब से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है। पर इस प्रकार की इत्तिला मिलते ही उसे सस्पेन्ड कर दिया।

श्री मदनसिंह दांता : इत्तिला आपको कब मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २६-६-५७ की एक एप्लीकेशन थी इस प्रकार की।

प्रश्न संख्या १०१४.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०१५

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम।

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति, तहसील पचपदरा व सिवाना

१०१६. श्री रावतराम (बालोतरा) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा पचपदरा व सिवाना तहसील में सन् १९५६-५७ में कितनी राशि छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत की गई तथा किस किस छात्र को छात्रवृत्ति दी गई है ? सूची देने का कष्ट करें।

(२) क्या कोई रकम लैप्स भी हुई है यदि हां, तो क्यों ?

उप वित्तमंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५६-५७ में तहसील पचपदरा में २५) रु० व तहसील सिवाना में कुल २०२) रु० की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत की गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

Page No.7

(श्री भीखाभाई)

(२) कोई रकम लैप्स नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अनूपसिंह : ये जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं तो क्या आधार रखा जाता है ?

श्री भीखाभाई : छात्रवृत्ति देने के लिये हर साल आमतौर से फार्म प्रधान अध्यापक के पास भेज दिये जाते हैं, हरिजन और आदिवासी उन फोर्म्स को भर कर भेज देते हैं। अभी तक यही रहा है कि सब छात्रों को मिल जाती है।

प्रश्न संख्या १०१७

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीराज ।

भूमि-वितरण तहसील बौंली

१०१८. **श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील बौंली में सिवाय चक वितरण कमेटी ने कितनी जमीन भूमिहीन काश्तकारों को वितरित की है ?

(ख) क्या उक्त तहसील में व्यापारियों, बड़े भूमिधारियों, राज्य कर्मचारियों व नाबालिगों को भी जमीन वितरण की गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(ग) क्या तहसीलदार सिवाय चक वितरण कमेटी की बिना राय प्रार्थनापत्र खारिज कर सकता है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने प्रार्थनापत्र खारिज किये गये हैं और क्यों ?

(घ) क्या तहसीलदार बौंली ने सिवाय चक वितरण कमेटी की बैठकों की तारीखें निश्चित की हैं ? यदि हां, तो वह कमेटी कब कब कौन-कौनसी तारीख को बैठी ?

(ङ) क्या उसी क्षेत्र के विधान सभाई सदस्य भी उसमें सदस्यता के लिए आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस वितरण में उनकी राय ली गई है ?

(च) क्या पक्त सिवाय चक भूमि पर पर्चे तहसीलदार बना सकता है ?

(छ) यदि नहीं, तो तहसील बौंली में इस प्रकार लगभग २०० पर्चे वितरित क्यों किये गये हैं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है, अतः इसे अगले टर्न पर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह।

(विराम)

श्री सूबेदारसिंह ।

संस्कार केन्द्र, बाड़ी

१०१९. **श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) :** क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कस्बा बाड़ी में संस्कार केन्द्र खोलने के लिये सरकार के पास तीन-चार साल से दर्जनों प्रार्थना-पत्र गए हैं ?

(२) यदि हां, तो वहां अभी तक संस्कार केन्द्र क्यों नहीं खोला गया है तथा अब कब तक खोलने का विचार है ?

Page No.8

(श्री सूबेदारसिंह)

(१) कस्बा बाड़ी में जिला भरतपुर स्थित समाज कल्याण के उच्च अधिकारी कितनी बार गए हैं? यदि एक भी बार नहीं, तो क्यों ?

उप वित्त मन्त्री (श्री भीखाभाई) :
(१) केवल सितम्बर, १९५७ में इस आशय के कुछ पत्र आये थे।

(२) नये संस्कार केन्द्र खोलने के लिए प्रावधान न होने के कारण नहीं खोले गए। लेकिन एक समाज शिक्षण केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र गत नवम्बर मास में खोल दिया गया।

(३) कस्बा बाड़ी में समाज कल्याण के उच्चाधिकारी एक भी बार नहीं गए। इसका कारण अन्य स्थानों के कार्य में व्यस्त रहना है।

श्री सूबेदारसिंह : किस आधार पर संस्कार केन्द्र खोले जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : स्थानीय मांग पर।

श्री जनार्दनराय नागर : संस्कार केन्द्र में हमारी कितनी संस्कृतियों का पालन होता है।

(हंसी के अनन्तर मौन)

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में प्राचीन समय से इतनी संस्कृतियां चली आ रही हैं तो इन सस्कार केन्द्रों में कितनी संस्कृतियों का पालन होता है ?

श्री भीखाभाई : एक भी नहीं।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री सूबेदारसिंह : क्या बाड़ी के अन्दर सस्कार केन्द्र खोलने का है ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त नहीं।

श्री सूबेदारसिंह : मांग फिर कैसे होती है, प्रार्थनापत्र देते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है, आपने फरमाया न कि स्थानीय मांग पर, तो फिर मांग कैसे होती है ?

श्री भीखाभाई : अभी अर्थ की कमी के कारण नहीं खोला जा सकता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

मिडिल व मैट्रिक ग्रेड अध्यापकों का फिक्सेशन

१२२०. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : Will the Minister for Education be pleased to state :

1. How many cases of fixation of Middle grade and matric grade teachers of Girls Schools of Jaipur City are pending since the year 1950 ?

2. What action has the Government taken to dispose of these cases ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) कुल २६५ केसेज़ थे जिनमें से १९६ तो पूर्ण हो चुके हैं, बाकी ६९ पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(२) आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : फिक्सेशन केसेज़ का कुल बकाया कितना है ?

Page No.9

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितने बकाया केसेज़ हैं उनकी तादाद बतादी है, कितना कुल इनका बकाया है, यह अलग प्रश्न है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि १९५२ में और १९५६ में फिक्सेशन किये थे फिर ये कुछ केसेज़ रह गये, ये क्यों रह गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कइयों के रेकार्ड से बहुत सी चीजें पूरी नहीं होने से। ६९ में से ३४ तो ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ कर चले गए, २० ऐसे हैं जो स्थानान्तरण से बाकी हैं और १५ डिप्टी अध्यक्ष जिला के पास पेंडिंग हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि बहुत से टीचर्स को गवर्नमेंट के खर्च से एस. टी. सी. की ट्रेनिंग दिलाई, उन्हें वह ग्रेड नहीं दिया जाता और जो उनसे जूनियर हैं उनको दे दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग से प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

भूमिवितरण तहसील हनुमानगढ़

१०२१. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राज स्वमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

तहसील हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ में गत वर्ष कितने भूमिहीन किसानों की दर्ख्वास्तें आईं तथा कितनों को भूमि दी गई ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : तहसील हनुमानगढ़ में ऐसी कोई दर्ख्वास्त पेश नहीं हुई, अलबत्ता तहसील सूरतगढ़ में जमीन के लिए ३५२१ भूमिहीन किसानों के प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं जिनमें से लगभग सबको जमीन दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला बादल।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत।

प्रश्न संख्या १०२२

उच्चस्तरीय माध्यमिक पाठशाला, जैतारण

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : Will the Education Minister be pleased to state:

1. Is it a fact that 8 students of Higher Secondary School, Jaitaran, have been turned out of the School by the Head Master ? If so, on what grounds ?

2. Whether any representation had been made to the Government for the same, and if so, what orders were passed and when ?

मुख्य व शिक्षामंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां, यह सही है कि हैडमास्टर, राजकीय हायर सैकन्डरी स्कूल, जैतारण ने अनुशासन रखने के लिए ८ विद्यार्थियों को, जिन्होंने अपने स्कूल के हैडमास्टर को पीटा, स्कूल से निकाल दिया। यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है।

(२) जी हां, उस पर विचार किया गया और जनवरी ५८ में केस फाइल कर दिया गया।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या उन विद्या-

Page No.10

(श्री तेजाराम गहलोत)

र्थियों ने उसे स्कूल के अन्दर पीटा या बाहर अनुशासन तोड़ा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मेरी जानकारी में नहीं, पर यह सूक्ष्म भेद मैं नहीं समझ पाया।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा मतलब यह है कि स्कूल ऑवर्स में अनुशासन तोड़ा या बाद में बाहर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ हैडमास्टर को पीटा, यह जानकारी सत्य है। बाद में पीटा या स्कूल ऑवर्स में पीटा, स्कूल के अन्दर पीटा या बाहर पीटा, यह जानकारी मेरे पास नहीं है पर माननीय सदस्य भी इस बात को मानते हैं कि पीटा है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह जानकारी है कि उसको पीटा क्यों गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अदालत में केस चल रहा है, उसका अदालत में फैसला होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र।

जयपुर में पुरुषार्थियों के निमित्त बनी हुई दुकानों का वितरण

१०२४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५० में जौहरी बाजार जयपुर में कितनी थड़ियां थी और अब कितनी हैं ?

(२) जौहरी बाजार में से कितने थड़ी वालों को बापू बाजार की दुकानें दी गईं, कितनों कैप न्यू मार्केट, मिश्रा मार्केट में भेजा गया और कितनों को अन्यत्र कहीं ?

(३) बापू बाजार में कुल कितनी दुकानें बनाई गईं ? क्या ये दुकानें पुरुषार्थियों के अतिरिक्त भी किसी को दी गईं ?

(४) नेहरू मार्केट में कितनी दुकानें बनाने की योजना है और यह अभी तक क्यों कार्यान्वित नहीं हुई ?

(५) क्या सरकार ने बापू बाजार और नेहरू बाजार के अतिरिक्त भी कहीं और इस प्रकार की दुकानें बनाई हैं यदि हां, तो किस जगह, क्या यह सब दुकानें भी पुरुषार्थियों को दी गईं ?

(६) क्या इन बचे हुए थड़ी वालों को भी अन्यत्र कहीं दुकानें बना कर देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) फरवरी १९५० में थड़ियों को रजिस्टर्ड किया गया, उस समय जौहरी बाजार में ४५४ थड़ियां थीं। अब इस समय जौहरी बाजार में पुरुषार्थियों की १४४ थड़ियां हैं।

(२) जौहरी बाजार की ४५४ थड़ियों में से २२३ थड़ियां हटा कर निम्न स्थानों पर पक्की दुकानों में भेजी गईं :

बापू बाजार	१५८
फतेह टीबा	२०
चांदपोल मार्केट	६
नेहरू बाजार	२८
सुभाष चौक	९
सी. स्कीम	२

इसके अतिरिक्त २९ थड़ियां हटा कर बापू बाजार में रखी गई हैं।

Page No.11

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) बापू बाजार में कुल १७२ दुकानें बनी हैं और ये सब दुकानें पुरुषार्थी थड़ी वालों को ही दी गई है ।

(४) नेहरू बाजार में २८ दुकानें बन चुकी हैं और ६३ दुकानें और बनने की मंजूरी आ चुकी है जिसके निर्माण का कार्य अभी तक इसलिये शुरू नहीं किया जा सका कि साइट के एक्वायर करने के लिये एक्वीज़िशन प्रोसीडिंग चलर ही थीं । ये एक्वीज़िशन प्रोसीडिंग्ज अब फाइनल हो गई है । इसलिये इन ६३ दुकानों के निर्माण का कार्य मुआवजे की रकम अदा करते ही शुरू किया जायगा ।

(५) जी हां, बापू बाजार और नेहरू बाजार के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर सरकार ने और दुकाने बनाई हैं और वे शरणार्थी थड़ियों वालों को ही दी जावेंगी । अलावा सुभाष चौक में बनी हुई ३२ दुकानें में से २ दुकानें मोटर यूनियन को तथा १ दुकान वेटरनरी डिपार्टमेंट को दी गई है :

आदर्श नगर	४६
चांदपोल मार्केट	५३
सिटी केम्प	१८
सी. स्कीम	३
सुभाष चौक	३२

(६) जी हां, कुल ४५७ दुकानें बनाई गई हैं और ६३ दुकानें प्रोसेशनल गेट और अजमेरी गेट के बीच में बनाने का कार्य जल्दी ही शुरू किया जावेगा जैसा कि चौथे प्रश्न में बताया गया है । इसके अलावा ६,००,००० रुपये की लागत से ४०० दुकानें निम्न स्थानों पर बनाने की योजना भारत सरकार को भेजी गई थी जिसमें से १०० दुकानों की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से २४-२-५८ को प्राप्त हो गई है और बाकी ३०० दुकानों की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

१. प्रोसेशनगेट और अजमेरीगेट के बीच में	६३
२. सांगानेरी गेट और घाटगेट के बीच में	१५०
३. आदर्श नगर २० दुकानों के पास	१०
४. अजमेरी गेट बस स्टैन्ड	१०
५. जमीन चुनी जावेगी	३७
६. सांगानेरी गेट–परकोटा	३०
७. चांदपोल गेट–परकोटा	३०
८. अजमेरी गेट परकोटा	३०
९. बापू बाजार लिन्क रोड	२०
	४००

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नेहरू मार्केट में जमीनें एक्वायर की जा रही हैं और लोगों को दी जा रही है । उनसे कीमत मांगी जा रही है और इसलिए वे लोग नेहरू मार्केट में जाने को तैयार नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कीमत मांगी जा रही है या नहीं यह प्रश्न मेरी जानकारी में नहीं है । उनके मकानों की एवज में कम्पेन्सेशन और जमीनों की एवज में जमीन दिया जाना चाहिये ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आतिश की जगह में मार्केट बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार उनसे एक्वायर करके ले सकती हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह सरकारी जमीन नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार उसके लिये कोई उपयुक्त कारण समझती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार का उसको एक्वायर करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नेहरू मार्केट की प्रोसीडिंग्ज किस स्टेज पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह फाइनल हो चुका है और उनको रुपया दे दिया जावेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या किसी प्रकार की इसमें आपत्ति है ? क्या किसी ने आपत्ति की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपत्ति के लिए अलग से आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा । आपने पूछा कि वह किस स्टेज पर है । मैंने आपको बताया कि वह फाइनल हो गया है कम्पेन्सेशन देना बाकी है ।

डॉ चन्द्रकला : क्या यह १९५९ के भीतर-भीतर पूरा हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो जाना चाहिये । उम्मीद तो ऐसी ही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रामकरणसिंह ।

छात्रावास, कोटपुतली

१०२५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(१) हाई स्कूल कोटपुतली के छात्रावास में कितने छात्रों के रहने की व्यवस्था है ?

(ख) क्या सरकार उक्त छात्रावास को बंद कर चुकी है ?

(ग) यदि हां, तो कब से व किसके आदेश से तथा क्यों बन्द किया गया ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया है ।

मुख्य मन्त्री व शिक्षा मन्त्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ४५ छात्रों के रहने की व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं, छात्रावास पूर्ववत् चल रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह समझा जावे कि यह छात्रावास उसी तरह सरकार के खर्चे से चलाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा पहले चलता था उसी प्रकार चलता है । यही समझ कर चलना चाहिए ।

श्री रामकरणसिंह : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि उसी प्रकार से सरकार के खर्चे से चलता है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास यह जानकारी नहीं है । छात्रावास चल रहा है या नहीं इसके बारे में आपने जानकारी चाही और उसके बारे में जानकारी है ।

एक माननीय सदस्य : क्या छात्रावास को सरकार बन्द कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने उत्तर दिया पूर्ववत् चल रहा है ।

श्री रामकरणसिंह : मेरा प्रश्न (ख).

(श्री रामकरणसिंह)

बिल्कुल साफ है, "क्या सरकार उक्त छात्रावास को बन्द कर चुकी है" ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, मैंने उत्तर दिया।

श्री मदनसिंह दांता : यह किसकी तरफ से चल रहा है, कौन चला रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : छात्रावास चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन चला रहा है। गवर्नमेंट चला रही है या प्राइवेट चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह निश्चित जानकारी इनके पास नहीं है। एडेड भी हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि पूर्ववत चल रही है। इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत हो तो आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी इसलिये चाही कि सरकार की तरफ से चलती है या प्राइवेट।

श्री अध्यक्ष : आपने यह नहीं पूछा कि सरकार की तरफ से चल रहा है।

श्री रामकरणसिंह : मैंने पूछा था कि पहले चल रहा था, उसी प्रकार चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है, "जी हां"।

श्री मदनसिंह दांता : पहले तो ऊटपटांग चल रहा था उसी तरह व अब भी चलता है ?

श्री अध्यक्ष : पूर्ववत् चल रहा है।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

जागीरदारों द्वारा निर्धारित मुआवजे की रकम से अधिक रकम की वसूली

१०२६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में कई जागीरदारों ने सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे के हिसाब से प्राप्त होने वाली रकम से कई गुना अधिक रकम प्राप्त कर ली है ?

(२) यदि हां तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) जी नहीं।

(२) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास पेश हुई थी और उसकी जांच होने के बाद वह सही पाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। यह भी सही है कि उनको आदेश दे दिया गया था उन्होंने अर्जियें दी थीं लेकिन उनको पेमेन्ट नहीं मिला। उन्होंने लेने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ज्यादा रुपया लेने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि बहुतसों की शिकायत अभी जेर-तजवीज है। और उसकी जांच की जा रही हैं ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं हैं। मगर किसी जागीरदार ने ज्यादा पैसा प्राप्त कर लिया होगा तो जरूर उसके संबन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री शिवचरणदास।

समाज कल्याण कार्य, भीलवाड़ा

१०२७. श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाड़ा में समाज कल्याण विभाग का कार्य कितने अर्से से हो रहा है ?

(ख) अब तक उक्त विभाग द्वारा कितनी धनराशि किस किस को किस साल में वितरित की गई ! सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ग) क्या यह सही है कि कई प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग हैं तथा उन्हें रकम नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे प्रार्थना-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : समाज कल्याण विभाग और जिलों की भांति जिला भीलवाड़ा में भी गत ७ वर्षों से कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न अस्पष्ट है फिर भी गत वर्षों में किये गये मोटे मोटे खर्चों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। अनुदान सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न (ख) बिल्कुल स्पष्ट है। अब तक उक्त विभाग द्वारा कितनी धनराशि किस किस को किस साल में वितरित की की गई ! सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? मैं यह कह सकता हूं कि फिर किस तरह से कहा जाता है कि यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार मेरे प्रश्न (ग) का भी कोई उत्तर नहीं मिला है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि दुबारा इसके उत्तर के लिये दूसरे दिन के लिये रखा जावे और आपका आदेश हो कि इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाए।

श्री भीखाभाई : (ख) में आपने यह नहीं पूछा कि किस किस मद में क्या खर्च हुआ। इसलिये यह विषय अस्पष्ट है। हाउसिंग आदि के सम्बन्ध में मैंने सूची सदन की मेज पर रख दी है फिर भी मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं। जिससे आपको तसल्ली होगी। १९५५ : ५६ में कालयास, टालोली, और दौलतगढ़ में एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये ७००० रु०, रुपाहेली में ३,१५० रु०, राजीयास में १७, १५० इस प्रकार कुल मिला प्रकार २७,३०० रु० खर्च हुए।

श्री भीखाभाई : (जारी) इसी तरह से लाइट एन्ड वाटर के लिए है।

श्री अध्यक्ष : यह तो लिस्ट में दर्ज हैं।

श्री भीखाभाई : लिस्ट में तो दे दिये हैं लेकिन उनको संतोष नहीं होता।

श्री शिवचरणदास : मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि इस विभाग ने कितनी कितनी धन राशि किन किन को दी है ? सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट पेश करना चाहिए था !

श्री अध्यक्ष : जिला भीलवाड़ा की ही बात हो रही थी।

Page No.15

श्री शिवचरणदास : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : जिन जिन व्यक्तियों को दी गई, उनकी लिस्ट चाहिए ?

श्री शिवचरणदास : जी हां । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अस्पष्ट नहीं है लेकिन उनका उत्तर अस्पष्ट है । उत्तर साफ देना नहीं चाहते क्योंकि इसमें बहुत घोटाला है ।

श्री भीखाभाई : जहां तक व्यक्तियों का सवाल है व्यक्तियों के लिए नहीं होती । छात्रवृत्ति तो छात्रों के लिए होती है । यह तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लिस्ट हो जावेगी । हजारों लड़कों को दी गई होगी । किस मकसद से ? आपको क्या इन्फोर्मेशन चाहिए वह आप दे दें । एक जनरल लिस्ट दे दी जाय उसमें बड़ी दिक्कत होगी ।

एक माननीय सदस्य : उनकी दिक्कत बड़ी बात नहीं है । लेकिन उन गरीबों के लिए बहुत बड़ी है । वे नौ साल से इनको रो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप ठीक से बोलें ।

श्री शिवचरणदास : मैं वही लिस्ट चाहता हूं कि किस किस को दी और उसको सदन के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए । हर बार अस्पष्ट जवाब देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इससे आपका मकसद क्या है, केवल जनरल लिस्ट मांगने से ? यदि घर में व्यवस्था नहीं हुई, कुओं की व्यवस्था नहीं हुई तो स्पेसिफिक प्रश्न करिये उसका उत्तर दिया जावेगा ।

श्री शिवचरणदास : सारे महकमे में ही बहुत घोटाला है और उसको मैं सदन के सामने प्रूव करूंगा, इसीलिए मैंने लिस्ट मांगी है ।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट आ जावेगी उसमें से क्या प्रूव करेंगे ?

श्री शिवचरणदास : एक एक व्यक्ति की बात बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

श्री शिवचरणदास: तो क्या मैं उम्मीद करूं कि लिस्ट आवेगी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं । इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री शिवचरणदास : मैंने अपने प्रश्न में लिस्ट मांगी है. अध्यक्ष महोदय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या म्युनिसिपल बोर्ड को भी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री शिवचरणदास : मैं स्पष्ट कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

श्री शिवचरणदास : जी हां । आसींद, मांडल और हुडां में कुओं के लिए रकम दी है, तो क्या वहां पानी की कमी है ?

श्री भीखाभाई : पानी की कमी के आधार पर नहीं दी जाती किन्तु पिछड़ी हुई जातियों की सुविधा की दृष्टि से ही दी जाती है ।

श्री शिवचरणदास : तहसील, इत्यादि में जहां जहां पिछड़ी हुई जातियां हैं और जहां पानी का बिलकुल अभाव है ऐसे गांव इस लिस्ट में क्यों नहीं दिये हैं!

श्री भीखाभाई : जहां से प्रार्थना पत्र आते हैं वहीं दी जाती हैं, पेन्डिग कोई नहीं।

श्री शिवचरणदास : मैंने स्पष्ट पूछा है। यह उनकी ओर से अस्पष्ट उत्तर है। मैंने इसीलिए सारी लिस्ट मांगी थी। किन किन की दरख्वास्तें पेन्डिग पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दिया कि एक भी पेन्डिग नहीं है।

श्री शिवचरणदास : हैं पेन्डिग। निम्बाहेड़ा में रत्ता भील, चिलेसट में कालू और भग्गा बलाई, इनके अलावा भी और नाम हैं जो गायब हैं।

श्री भीखाभाई : भीलवाड़ा के बारे में यदि कोई प्रार्थना-पत्र हो तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, इतना झूठ। सदन में कह दिया कि एक भी पेन्डिग नहीं है और अब कहते हैं कि नाम बतायें तो जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष : जांच करेंगे नहीं तो क्या करेंगे ?

श्री शिवचरणदास : सदन के सामने कह रहे है कि कोई पेन्डिग नहीं है और अब कह रहे हैं कि जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : उनके यहां कोई पेन्डिग नहीं है लेकिन यदि किसी के लिए आप जानकारी देंगे तो उसकी जांच करके जानकारी करावेंगे।

ठा० मदनसिंह : अगर वे सही हैं तो क्या असेम्बली के सब ही सदस्य सही हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं आप दोनों ही सही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या समाज कल्याण विभाग की ओर से म्युनिसिपल बोर्डों को भी सहायता दी जाती है ?

श्री भीखाभाई : म्युनिसिपल बोर्डों के हरिजन मोहल्लों में यदि लाइट और पानी के बन्दोबस्त करने की बात हो तो सहायता दी जाती है।

श्री शिवचरणदास : किस किस साल कितनी कितनी किन किन को दी ? !

श्री भीखाभाई : भीलवाड़े का प्रश्न है। लिस्ट सामने रख दी है। यदि अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

प्रश्न संख्या १०२८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पटवारियों का बकाया वेतन, तहसील पदमपुर

१०२९. **डॉ० चन्द्रकला** (श्रीमती मतवन्तकौर की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसील पदमपुर में बहुत से पटवारियों को दिसम्बर, १९५२ व जनवरी,-फरवरी, १९५३ की तनख्वाहें अब तक नहीं मिली है ?

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी और उन पटवारियों को शीघ्रातिशीघ्र वेतन दिलवाये जाने का प्रबन्ध करेगी ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) सिर्फ तीन पटवारियों की तनख्वाह माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, १९५२ व जनवरी, १९५३ की बाकी है।

(ख) जांच हो चुकी है। यह बिल पटवारियान के दस्ती लाने-जाने से गुम हो चुके हैं जिनकी डुप्लीकेट कापी कराई जाकर शीघ्र ही पास कराई जाकर पेमेंट कराने का आदेश दिया जा चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : पटवारियों को कब तक वेतन मिल जावेगा ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही मिल जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला : ५२-५३ से बाकी है, तो फिर कब मिल जावेगी ?

श्री सम्पतराम : कार्यवाही चल रही है। दुबारा डुप्लीकेट बिल्स बने हैं, पास होकर आवेंगे और पेमेंट मिल जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

कंजरों के लिए आवास की व्यवस्था

१०३०. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील छबड़ा के ग्राम चांचोड़ा में कंजरों को बसाने हेतु कितने मकान बनाये जा रहे हैं ?

(२) कितने मकान बन कर तैयार हो गये एवं कितने मकान अधूरे पड़े हैं तथा वे कब तक बन कर तैयार हो जावेंगे ?

(३) उक्त योजना कब चालू हुई थी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कार्य में अधिकारीगण कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) ५० मकान।

(२) कार्य चल रहा है। मकान इस वर्ष में बन कर तैयार हो जाने की आशा है।

(३) १९५६-५७ के वर्ष में।

(४) जी नहीं।

श्री जयसिंह राणावत : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक्स ट्राइब्स को बसाने की योजना है या अलग अलग गांवों में चौकीदार रखने की ?

श्री भीखाभाई : बसाने की योजना है। ५० परिवारों को बसाया जा रहा है।

श्री जयसिंह राणावत : कपासन, लक्ष्मणगढ़, तहसील मांडल और तहसील पंढेर के बसाए हुए एक्स ट्राइब्स को बसाने में जो लाखों रुपया खर्च हुआ है उनको दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : इसका मौजूदा प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री धन्नालाल हरित : अब तक कितने मकान बन गये हैं ?

श्री भीखाभाई : एक्स ट्राइब्स को बसाने का मामला बड़ा कठिन है, सहयोग नहीं करते। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह कार्य की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जावेगी।

श्री धन्नालाल हरित : क्या यह सही है कि एक भी मकान नहीं बना है।

श्री भीखाभाई : बुनियाद खुद गई है।

श्री गोवर्धनसिंह : कितने मकानों की खुद गई है ?

श्री भीखाभाई : जहां तक चांचोड़ा का सवाल है मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री गोवर्धनसिंह : कितनों की बुनियाद खुद गई है ?

श्री अध्यक्ष : पचास मकानों की।

नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

उद्योग विभाग का स्थानान्तरण

१०३१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार) : क्या मन्त्री, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनपोल बाजार, जयपुर में स्थित महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स बिल्डिंग में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संचालक का कार्य कब, क्यों और किस आज्ञा से स्थानान्तरित किया गया।

(२) स्थानान्तरण के समय इस विभाग के आधीन कितने कमरे लिए गये और कितने कमरे स्कूल के लिये छोड़े गये ?

(३) क्या इस कार्यालय को अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित किये जाने की आज्ञा दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

उप उद्योग व वाणिज्य मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्यालय जून, सन् १९५१ में स्थान के अभाव के कारण स्कूल ऑफ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स बिल्डिंग में सरकारी आदेश संख्या एफ। ७ (५४) जी. (ए)। दिनांक १२-८-५३ के अनुसार स्थानान्तरित किया गया।

(२) स्थानान्तरण के समय इस विभाग के आधीन ३ हॉल व ७ कमरे लिये गये और १७ कमरे स्कूल के लिये छोड़े गये।

(३) जी हां। दिनांक १६-७-५७।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने तीसरे प्रश्न का उत्तर १६।७।५७ बताया यह किसका बताया ? इस आज्ञा के अनुसार उद्योग और वाणिज्य विभाग को स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां। इस विभाग की गीजगढ़ हाउस में स्थानान्तरण करने का आदेश हुआ था लेकिन वहां के मालिकों ने उसका किराया बहुत मांगा था इसलिए वह दफ्तर वहां नहीं गया। अब इसके बाद में दूसरे मकान की तलाश की जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग के यहां से हटने की बात थी और उसकी जगह कला संस्थान नामक संस्था आने वाली थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, ऐसा ही विचार किया था।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह दफ्तर जब तक वहां से नहीं हटेगा तब तक, क्या कला संस्थान संस्था को जिसको मकान की बहुत दिक्कत है, उसके लिए सरकार दूसरे मकान की व्यवस्था सोचती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिए दूसरे मकान की तलाश में हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक हटेगा तो दूसरे को तकलीफ होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूमि के लगान में कमी, जिला गंगापुर

१०३२. **श्री रामकिशन** (नौहर) : मंत्री राजस्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री रामकिशन)

(क) क्या जिला गंगानगर की तहसील नोहर व सूरतगढ़ में रबी और खरीफ दोनों की फसलों की भूमि है ?

(ख) क्या इन दोनों किस्मों की भूमि पर लगान एक सा ही लगता है ?

(ग) क्या एक फसल वाली भूमि के लिए सरकार लगान कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकिशन : क्या यह वाजिब है कि एक फसल होती है वहां पर भी वही लगान की दर और जहां दो फसल होती हैं वहां पर भी वही दर।

श्री सम्पतराम : वाजिब और गैरवाजिब का सवाल नहीं है। जब सेटलमेन्ट हुआ था उस समय जो क्लासिफिकेशन–ऑफ–सोइल हुआ उसी के आधार पर रेन्ट रेट कायम की गई है। यह तो काश्तकारों पर मुनस्सर है कि व एक फसल बोयें अथवा दो फसल।

समाज कल्याण कार्यों पर खर्च की गई धन राशि, तहसील दौसा

१०३३. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

समाज कल्याण विभाग की ओर से तहसील दौसा में कितनी रकम खर्च की गई और वह किस कार्य में काम में आई; कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : दौसा में सन् १९५५ से एक समाज कल्याण केन्द्र चल रहा है।

प्रश्न संख्या १०३४.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

अध्यापकों का स्थानान्तरण समाज कल्याण विभाग, डूंगरपुर

१०३५. **श्री बालमुकुन्द** (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस साल डूंगरपुर जिले से समाज कल्याण विभाग के अध्यापकों के ट्रान्सफर जिले के बाहर हुए हैं ? यदि हां तो कितनों के ?

(ख) बाहर ट्रान्सफर किस कारण से किये गये जब कि जिले में ही अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी हां, तीन भील जाति के अध्यापकों के ट्रान्सफर हुए हैं। बाहर ट्रान्सफर राज्य हित को दृष्टिगत् रखते हुए किये गये हैं। जिले में कोई अध्यापक का स्थान रिक्त नहीं है।

श्री बालमुकुन्द : इनके नाम क्या क्या हैं जरा बतलाइये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री नन्दलाल श्री कान्तिलाल, श्री रामकृष्ण।

श्री बालमुकुन्द : इन अध्यापकों की क्या ट्रान्सफर इसलिए की गई कि ये अध्यापक छात्रवृत्ति की रकम का घोटाला करते थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी नहीं।

प्रश्न संख्या १०३६

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३७

श्रीमती गौरी पूनिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पाठ्य-पुस्तकों का अभाव

१०३८. डॉ० चन्द्रकला : (श्रीमती सतवन्त-कौर की अनुपस्थिति में) :

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या आपके पास ऑथोरिटी है ?

डॉ० चन्द्रकला : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : आप गंगानगर से आयी हैं ?

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में ५ वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को आज पुरी पुस्तकें न मिलने का क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(क) उचित मात्रा में कागज के उपलब्ध न होने के कारण केवल तीसरी, चौथी व पांचवी कक्षा के छात्रों को पूरी मात्रा में पुस्तकें नहीं मिली ।

(ख) जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता सरकार इस मामले में स्वयं प्रयत्नशील है ।

डॉ० चन्द्रकला : पुस्तकों के अभाव के कारण विद्यार्थियों का जो हर्जा हुआ क्या सरकार उसके लिये अपने को उत्तरदायी नहीं समझती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर बहुत वाद-विवाद हो चुका ।

डॉ० चन्द्रकला : परीक्षायें होने वाली हैं, अतः जिन क्लासों की पाठयपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकीं क्या उन छात्रों के लिये परीक्षा में कुछ रियायत दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है । अब इसमें पड़ने से कोई लाभ नहीं है।

भूमि आवण्टन जिला चित्तौड़गढ़

१०३९. श्री जयचन्द मोहिल (कपासिन) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चित्तौड़गढ़ जिला, तहसील भदेसर में इस समय कितने बीघा भूमि ऐसी है जो काबिल काश्त होकर उसे अलॉट करना है ?

(२) इस भूमि के अलावा कितना बीघा भूमि आज तक अलॉट की जा चुकी है और

Page No.21

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

वह किस किस मौजा में किस किस को कितनी कितनी ।

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :
(१) २७४१४ बीघा ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयचन्द मोहिल : प्रगति बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है इसका क्या मतलब ?

श्री सम्पतराम : इसमें प्रयत्न का सवाल ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आपने उत्तर में यह कहा था प्रगति बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : ऐसा मैंने नहीं कहा था ।

श्री जयचन्द मोहिल : यह तो जो सूची दी गई है उसमें लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

विस्तार खंड

१०४०. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राष्ट्रीय विस्तार खंड एवं सामुदायिक विस्तार खंडों में किये जाने वाले विकास कार्यों के मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा कोई जांच की जाती है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) यदि हां, तो किन-किन विकास खंडों में जांच की गई है ?

सामुदायिक विकास योजना मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, विकास खंडों में किये गये कार्यों के मूल्यांकन की जांच की जाती है । सन् १९५६ में श्रमदान के द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन के लिये नियुक्त कमेटी (इवेल्यूएशन कमेटी) की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई । नवम्बर सन् १९५७ में एक इवेल्यूएशन कमेटी और नियुक्त की गई है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) उस कमेटी ने १० विकास खंडों में गहरी जांच की थी जिसकी सूचना उपरोक्त रिपोर्ट में दी हुई है ।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सादूल रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड

१०४१. श्री धर्मपाल (नौहर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व बीकानेर राज्य द्वारा सादुल रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड द्वारा गांव दीपलाना तहसील नौहर को नये कुए बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया था ।

(ख) उन पर कुल धन-राशि कितनी खर्च हुई ?

(ग) क्या उक्त रकम में से कुछ रकम किसी व्यक्ति द्वारा गबन भी की गई थी ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) ५०२० रुपये ।

(ख) रुपये ६८०१-८ आने । खर्च की सूची दे दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये ।)

आदिवासियों की नियुक्ति

१०४२. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगूंदा) : क्या मुख्यमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि डेवलपमेन्ट विभाग में कोई भी आदिवासी किसी भी पद पर नहीं है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो वह किस पद पर ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) बांसवाड़ा व डूंगरपुर के विकास खंडों में ही २७ आदिवासी कर्मचारी हैं । इनमें २५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं एक ड्राइवर व एक स्टॉकमेन है ।

चकबन्दी-सवाई माधोपुर

१०४३. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली) : क्या राजस्वमन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार सवाई माधोपुर ज़िले में चकबन्दी करने का विचार रखती है ?

(२) अगर हां, तो पहले कहां-कहां चकबन्दी शुरू की जावेगी, और कब तक ?

(३) पूरे ज़िले का चकबन्दी-कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो सकेगा ?

उपराजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) अभी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा में अफीम का तस्कर व्यापार

१०४४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि कोटा डिविजन में अफीम का तस्कर व्यापार आजकल जोरों से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गए हैं ?

उप मंत्री, चुंगी व कर विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है । (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सरकार की जानकारी में है कि सन् ५७ में तीन चार केस तस्कर व्यापार के रजिस्टर किये गए ?

श्री सम्पतराम : आपका सवाल था, तस्कर व्यापार जोरों से बढ़ रहा है लेकिन स्थिति यह है कि पिछले सालों से कुछ कम है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : पिछले साल के क्या आंकड़े हैं ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कोटा डिवि-

Page No.23

(श्री सम्पतराम)

जन के अन्दर पिछले सालों से तस्कर व्यापार के cases कुछ कम हैं।

श्री श्रीभानसिंह : How did the Hon. Minister come to the conclusion that it is not increasing?

श्री सम्पतराम : मेरा इस विभाग से संबंध है मेरे पास जानकारी आती रहती है।

श्री श्रीभानसिंह : बेसिस ऑफ इन्क्वायरी क्या है जिससे आप यह कहते हैं कि पहले से कम हुआ है?

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के सभी हिस्सों की जानकारी आप कह सकते हैं कि कम हुआ है लेकिन जब तक आपके पास कोटा डिवीजन के आंकड़े नहीं हैं तो किस आधार पर कहते हैं कि वहां तस्कर व्यापार कम हुआ है?

श्री सम्पतराम : जहां तक मूल सवाल का संबंध है उसमें आपने जो चाहा था, वह मैंने बता दिया। जो मेरे पास विभाग द्वारा सूचना आती है उसी के आधार पर मैंने यह धारणा बनायी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोटा डिवीजन के पिछले साल के क्या आंकड़े हैं यह तो बता दीजिये?

श्री सम्पतराम : आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन जो सूचना मेरे पास आती रहती है उसके आधार पर कह सकता हूं वहां यह व्यापार पहले सालों की अपेक्षा कम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अल्लटप्पू कह देते हैं यदि माननीय मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं तो वह कह सकते हैं इस समय मेरे पास जानकारी है।

श्री दयाकृष्ण विजय ; पुलिस विभाग द्वारा कोटा डिवीजन के कितने केस रजिस्टर हुए?

श्री सम्पतराम : एक्साइज विभाग द्वारा जानकारी की गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक्साइज विभाग में इस प्रकार के कितने केसेज आये, गए साल कितने केसेज पकड़े हैं?

श्री सम्पतराम : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो यह आप किस जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि आंकड़े कम हैं?

श्री सम्पतराम : जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब मैंने दे दिया अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो अलग से सवाल कीजिये मैं सब जानकारी एकत्र आपको देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब ये केसेज़ बढ़े नहीं तो इनको रोकने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

श्री सम्पतराम : मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं एग्जेक्ट फीगर्स हमारे पास नहीं है लेकिन जहां तक मुझे डिपार्टमेंट का अन्दाज है मैं कह सकता हूं तस्कर व्यापार के केसेज़ कम हुए हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या धीरे-धीरे जो तस्कर व्यापार हो रहा है उसको आप सहन कर सकते हैं?

श्री सम्पतराम : आपने जो सवाल किया कि बहुत जोरों से बढ़ रहा है मैंने कहा पहले से कम हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

श्री सम्पतराम : नहीं, इसके लिए तो व्यवस्था है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने क्या व्यवस्था कर रक्खी है ?

श्री सम्पतराम : यह अलग से सवाल करिये।

श्री अध्यक्ष : यह तो सीधा प्रश्न है। इससे सम्बन्धित है। आपने कुछ इन्तजाम तो किया होगा इसको रोकने के लिये।

श्री सम्पतराम : स्मगलिंग फोर्स तो है, पुलिस है और भी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : बस उत्तर आ गया तो फिर।

नेक्स्ट, १०४५।

तकावी वितरण, तहसील बाली

१०४५. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५५-५६ व ५६-५७ में बाली तहसील में कितनी धनराशि तकावी के लिये दी गई है ?

(२) उक्त रकम किस-किस को कितनी-कितनी दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) ऑर्डिनरी तकावी निम्न प्रकार दी गई :

१९५५-५६ में ६,०००); १९५६-५७ में ८८५०)।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मोती बाबा : सूची मिली नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : अब दे दीजिये।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, सूची तो भेज दी गई है। किस कारण से और क्यों नहीं मिली, यह एक अलग प्रश्न है और फालतू चाहें तो दे सकता हूं।

श्री मोती बाबा : इन्क्वायरी पर तलाश किया हमने पर वहां भी नहीं मिली।

श्री सम्पतराम : हमने तो असेम्बली को भेज दी, आपको वहां से लेनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम।

एस० टी० सी० महिला कॉलेज जोधपुर में व्यायाम प्रशिक्षक की नियुक्ति

१०१२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : Will the Education Minister be pleased to state:-

1. What are the qualifications required for a Physical Instructor for S. T. C. College (Female) ?

2. Is it a fact that one matriculate mistress who is the daughter of Deputy Director of Education, Jodhpur has been appointed as a Physical Instructor, S. T. C. College (Female), Jodhpur ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

3. If so, has she passed the physical instuructor's training or not ?

4. Whether the above post has been advertised or not ?

5. Whether any other applications were pending at the time of apoinmtent ? If pending why they were not considered ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) (१) एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल में काम करने वाले फिज़िकल इन्स्ट्रक्टर के पद के लिए फिज़ीकल ट्रेनिंग का डिप्लोमा तथा तीन साल का हाई स्कूल कक्षाओं के फिज़िकल इन्स्ट्रक्टर का अनुभव होना आवश्यक है ।

(२) जी हां। यह सही है कि श्री शम्भू लाल शर्मा, उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जोधपुर की लड़की श्री मती चन्द्रकान्ता शर्मा की नियुक्ति फीमेल एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर में फिजीकल इन्स्ट्रक्टर की पोस्ट के लिये की गई है जो कि मिडिल ग्रेड ४०-१-५० में की गई है न कि १५०-३०० की ग्रेड में।

(३) उसकी योग्यता निम्न प्रकार है :

(१) व्यायाम प्रवेश परीक्षा। (२) विद्या विनोदिनी। (३) इन्टर ड्राइंग।

(४) जन सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या २४ दिनांक १३-११-५६ द्वारा इस पोस्ट का विज्ञापन निकाला था परन्तु कोई उचित योग्यता वाली अध्यापिका प्राप्त न हो सकी।

(५) उपरोक्त अध्यापिका की नियुक्ति के समय किसी अन्य अध्यापिका का आवेदन पत्र नहीं आया हुआ था।

श्री तेजाराम : आपने बताया कि जो क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए वे उसमें नहीं थी तो फिर उसको नियुक्त क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस क्वालिफिकेशन का इन्स्ट्रक्टर जब पी० एस० सी० द्वारा विज्ञापन करने के बाद भी नहीं मिला तो इसके बाद इस ख्याल से कि वहां की ट्रेनिंग सफर न करें इसे नियुक्त किया गया और फिर इसके अलावा और किसी की एप्लीकेशन भी हमारे पास नहीं थी।

श्री श्रीभानसिंह : यह डिग्री कौनसी है ? क्या यह यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज़्ड है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, रिकग्नाइज़्ड है। यह अमरावती से मिलती है और इसे यूनीवर्सिटी रिकग्नाइज़ करती है

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१५

तहसील आमेर में अनावृष्टि व ओलों से फसल की बर्बादी

१०१५ **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** (आमेर) क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आमेर तहसील में अप्रैल, सन् १९५५ से दिसम्बर १९५७ तक अनावृष्टि और ओलों के कारण कितने गांवों की फसल बर्बाद हुई तथा इन गावों को सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएँ दी गई।

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) आमेर तहसील में अप्रैल सन् १९५५ से दिसम्बर १९५७ तक ओलों से ४ ग्रामों में

Page No.26

(श्री सम्पतराम)

फसल को क्षति हुई । अनावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ ।

(ख) ओलों से जिन ग्रामों में नुकसान हुआ उसमें उनको लगान में ४७१ रुपया १० आना की वसूली स्थगित कर दी गई है और छूट दी जाने की कार्यवाही चल रही है।

(ग) ऊपर बताये मुताबिक कार्यवाही छूट लगान की जा रही है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह आॅर्डर कब जारी किया ? किस तारीख को ?

श्री सम्पतराम : तारीख तो याद नहीं पर फसल की हालत को देख कर उसी वक्त लगान स्थगन की आज्ञा दे दी थी । इसके बाद फसल में जो नुकसान हुआ उसकी नियमानुसार जांचकी गई और उसी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार होकर अन्तिम निर्णय के लिये सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अभी तक सरकार की फाइलों में आॅर्डर मौजूद है, किसानों को तो फायदा हुआ नहीं ! अगर फायदा हुआ है तो तारीख बतावें उस आर्डर की और यह बतावे कि वह आॅर्डर किस तारीख को तहसीलदार को भेजा गया ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, किसान को उसी वक्त फायदा हो गया जब लगान स्थगित कर दिया गया था । अब प्रश्न तो रेमिशन करने का है कि कितना किया जाय । यह विचाराधीन है । तब तक यह मान लेना गलत है कि सारा का सारा माफ नहीं होगा ।

श्री मदनसिंह : क्या ऐसी चीज़ अनाॅउन्स कर दी जाय कि आपने माफ कर दिया ?

श्री सम्पतराम : केवल वसूली स्थगित कर दी है ।

श्री मदनसिंह : इससे तो कोई लाभ नहीं है । फिर से वसूल कर सकते हैं ।

श्री सम्पतराम : इसके रूल्स टिनेन्सी एक्ट के मातहत पहले ही पब्लिश कर दिये गये हैं । उन नियमों के अनुसार होगा तो छूट मिल जावेगी, नहीं तो वसूल किया जावेगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या यह सही है कि उनसे लगान वसूल किया जा रहा है और इसके लिये किसानों को तंग किया रहा है ?

श्री सम्पतराम : नहीं ऐसी बात नहीं है ।

श्री मदनसिंह : किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सही नहीं है । तंग किया जा रहा है उनको ।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष, आपको पता तो होता नहीं । खाली डिस्टरबैंस करने की बीच में बात करते रहते हैं ।

श्री मदनसिंह : मैं कह रहा हूँ, वह सही कह रहा हूं । पूरे पते से कह रहा हूं ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : अब यह निर्णय कब तक कर दिया जावेगा । जरा जल्दी से किया जाये तो ठीक होगा ।

श्री सम्पतराम : इसकी मैं निश्चित तारीख तो नहीं दे सकता पर सरकार के सामने मामला विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम

१०१७ **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (श्री भैंरोंसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या विकास एवं योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर तथा जयपुर नगर में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत किन किन राज्य कर्मचारियों को कितनी कितनी धन राशि अब तक सरकारी ऋण के रूप में दी गई है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) क्या इन कर्मचारियों में से किसी ने इस रकम का सही उपयोग नहीं किया है ? यदि हां, तो इनके प्रत्येक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष : विकास एवं योजना मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई नहीं है साहब।

(हंसी)

विकास एवं योजना मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) उदयपुर तथा जयपुर नगर में लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जिन-जिन राज्य कर्मचारियों को जितना-जितना धन-ऋण के रूप में दिया गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया, अत: इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं नोटिस रूम में गया था और नोटिस रूम में मुझे तालिका नहीं मिली। ऐसे दो प्रश्न हैं। दूसरे की तो मिल गई, पर इसकी नहीं मिली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर से मैं स्वयं काफी प्रयत्न करता हूं कि प्रश्न कर्त्ता के पास सूची पहुंचा दी जाय। सूची उपलब्ध है और प्रश्न कर्त्ता चूंकि इसमें भैरोंसिंहजी हैं और वे अनुपस्थित हैं इसलिये उनको सूची पहुंचाई नहीं जा सकती थी, दूसरों को सूची पहुंचाना मुश्किल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भैंरूसिंहजी ने यह प्रश्न पूछने की अनुमति मुझे दे दी है और इसकी सूचना आपके पास है तो मेरा निवेदन करना यह है कि जब यह कहा गया कि तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है, पर वह नोटिस रूम में नहीं है यह मैं स्वयं जाकर और देखकर आया हूं। अब मुझे उसे प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न आपके और मेरे बीच का है। वह तो तय करना अध्यक्ष का अधिकार है। यहां आम तौर से कहा जाता है, पर मन्त्रीगण अपने उत्तर सदन की मेज पर नहीं रखते हैं। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी भी गिरफ्त में आ रहे हैं और इस तरह का उत्तर दे रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पूरा प्रयत्नशील रहता हूं कि माननीय सदस्य के पास सूची पहुंच जाय। नोटिस रूम की बात छोड़िये, मैं स्वयं उनके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अब वह सूची पहुंची या नहीं, यह वे कैसे कह सकते हैं यह तो सेक्रेटेरियेट कह सकता है।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं जानकारी देता हूं कि वह सूची नोटिस ऑफिस में नहीं है। मैं अभी वहां पूछकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अब दूसरा प्रश्न पूछिये।

(विराम)

श्री भैरोंलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

प्रान्त से बाहर सरकारी स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने वाले मन्त्रियों पर किया गया व्यय

१०२८ श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: (श्री भैरोंसिंह की अनुपस्थिति में) क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:

(क) इस वर्ष राजस्थान से बाहर देहली को छोड़कर अन्य स्थानों पर सरकारी स्तर पर होने वाले सम्मेलन (डिफरेन्ट टाइप ऑफ कान्फ्रेन्सेज) में भाग लेने के लिये किस किस तारीख को कितने कितने दिन के लिये कौन कौन मन्त्री किस-किस स्थान पर गये थे?

(ख) इनके साथ कब-कब और कौन कौन अधिकारी गये थे?

(ग) क्या यह सही है कि कई मन्त्रियों के साथ सरकारी कर्मचारियों के अलावा कई और भी गैर सरकारी व्यक्ति गये जिनका खर्चा भी राज्य सरकार को भुगतना पड़ा है या जिस स्थान पर गये हैं उस सरकार को भुगतना पड़ा है, यदि हां, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया: (क) इसके लिये कृपया संलग्न पत्रावली का अवलोकन करें जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसकी तालिका तो आ गई। सप्लीमेन्टरी पूछता हूं। क्या श्रीशिवचन्दजी भारीवाल कलकत्ता से १७।१।५८ को गोहाटी गये थे और २०।१।५८ को सरकारी काम से कलकत्ता आये थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या उपरोक्त डिप्टी मिनिस्टर साहब गोहाटी से कलकत्ता सरकारी खर्चे से आये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या सरकारी काम से कलकत्ता वापिस आये, क्या सरकार के खर्चे से आये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जयपुर से कलकत्ता तक सरकारी खर्चे से और कलकत्ता से गोहाटी अपने खर्चे से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वित्त मन्त्री तो 'ना' कर रहे हैं और वे 'हां' कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जयपुर से कलकत्ता सरकारी खर्चे से और गोहाटी आना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाना अपने खर्चे से, मेरे कहने का यह मतलब है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या उनके साथ निजी सचिव और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सरकारी खर्चे से गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जा सकते हैं नियमानुसार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे कलकत्ता से गोहाटी निजी खर्चे से आये गये तो वहां तक भी क्या ये लोग उनके साथ सरकारी खर्चे से आये गये ? क्या उनका वहां से आना-जाना सरकारी खर्चे में बताया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नियमानुसार मन्त्री स्वयं निजी खर्चे पर जावें तब भी सरकारी कर्मचारियों को अलोंउन्स मिल सकता है और वह सरकारी ट्रिप उनकी गिनी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट्, श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती गौरी पूनिया।

छात्रावास, (दलित वर्ग) नागौर।

१०३७ **श्रीमती गौरी पूनियां डीगाना:** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागौर ज़िले में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये कोई छात्रावास है ?

(ख) अगर हां, तो उसमें कितने छात्र हैं ?

(ग) अगर नहीं, तो निकट भविष्य में कब तक खोले जाने की आशा है ?

(घ) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रावास के भवन के निर्माण के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से कितनी सहायता मिलती है ?

उप समाज कल्याण विभाग मन्त्री : (श्री भीखाभाई) (क) जी हां।

(ख) १८ छात्र हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी कोई सहायता नहीं दी जाती

श्री धर्मपाल : यह छात्रावास नागौर में है या और कहीं ?

श्री भीखाभाई : डीडवाना में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१. २ म० प०)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री महेन्द्रसिंह, डिवीजन नम्बर ६१ ने दिनांक ३१-३-५८ से ३-४-५८ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

Page No.30

१. ३ म० प०

सदन की मेज पर राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन रूल्स, १६५७ की प्रस्तुति

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई तथा सहकारी विभाग की विज्ञप्ति संख्या F. 5 (121) Coop./57 dated 6-12-57 को, जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रूल्स, १६५७ बनाये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(१. ४ म० प०)

राजस्थान नगर सुधार, विधेयक, १६५७ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५७ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी सदन के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाये।

श्री श्रीमानसिंह : इसके रीजन्स तो होने चाहिये कि क्यों समय बढा दिया जाये ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग ७-११-५७ को हुई उस समय माननीय सदस्यों की यह राय रही कि पार्लियामेन्ट ने नया अर्बन इम्प्रवमेंट एक्ट पास किया है, उसको देखें और उसके बाद में यह तारीख ३-२-५८ तक स्थगित कर दी गई। उस समय वह पार्लियामेंट का एक्ट कमेटी के सामने पेश हुआ और १६ क्लॉज़ेज़ तक कमेटी ने विचार किया। उसके बाद में १० तारीख से हाउस की बैठक थी इसलिए माननीय सदस्यों ने यह चाहा कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग स्थगित कर दी जाये। उसके बाद में कमेटी की मीटिंग १५, १६ और १७ मार्च को रखी गई लेकिन छुट्टियां थीं और माननीय सदस्यों ने यह चाहा कि हम सेशन के बीच में घर जाना चाहेंगे इसलिए यह स्थगित कर दी गई। १६ क्लॉजेज़ इस बिल के हैं और वे कन्सीडर किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(१. ५ म० प०)

अशासकीय सदस्य विधेयक

राजस्थान दहेज (नियन्त्रण) विधेयक, १६५८

(पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डॉवरी (रेस्ट्रेन्ट) बिल, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(१. ७ म० प०)

अशासकीय संकल्प

(क) सौ रुपये तक लगान देने वाले कृषकों की लगानसे मुक्ति

(दिनांक २७ फरवरी के पूर्व क्रम से)

Page No.31

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास का एक संकल्प था जिस पर बहस हो रही थी।

"सदन की सम्मति है कि १००) रुपये तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जावे।"

सरकारी पक्ष की ओर से इसका उत्तर दिया जावेगा।

श्री मदनसिंह (दांता) : अध्यक्ष महोदय, इस पर कई माननीय सदस्य बोलना चाहते थे और चूंकि उस रोज कई सदस्य चले भी गये थे और बोल भी नहीं पाये थे इसलिए मैं यह कहूंगा कि उस समय भागने की सी स्थिति हो गई थी, इसलिए अब मौका दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा टाइम था।

श्री अध्यक्ष : उस रोज ८ सदस्य बोल चुके थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस समय यह रिजोल्युशन लिया गया था करीब-करीब यह खत्म हो रहा था।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष...

श्री दामोदरलाल व्यास : Wait a little please. Let me have my say. उस समय नागौर से आने वाले जो माननीय सदस्य थे वे कुछ अपनी बात कहना चाहते थे और मेरा ख्याल है कि लास्ट में वही बोलने वाले थे और फिर उसके बाद में सरकारी जवाब देना तय हो गया था और इसी पर उस रोज हाउस एडजोर्न हो गया था। फिर भी अगर माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मेरा रिप्लाई का राइट है...

श्री मदनसिंह : आपका आदेश हो गया है कि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं तो ठीक है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, इसमें तीन बार क्लोज़रमोशन मूव हुआ था और जिस समय आखिरी क्लोज़र मोशन मूव हुआ था, उस समय माननीय यातायात मंत्री महोदय खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं सरकारी पक्ष का जवाब नहीं दे रहा हूं। वह माइक हाथ में लिए ही रहे और उस दौरान में असेम्बली की बैठक स्थगित हो गई और इस संकल्प को आगे के लिए रखा। इसलिए हम सोच रहे थे कि माननीय मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से बहस करेंगे और हमें यह आशंका थी कि यह ड्रॉप हो जायेगा। हमने क्लोज़र मोशन इसीलिए मूव किया था कि सरकारी जवाब के लिए हम उत्सुक थे और रूल्स में यह साफ है कि आगे बोलने का मौका हो सकता है और उधर के लोगों की तरफ से ही यह राय थी कि बोला जाये और इसलिए रेवेन्यु मिनिस्टर साहब क्यों इतने उतावले हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, जो यह प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जहां तक इस प्रस्ताव की भावना है मैं उसका आदर करता हूं। मगर जिस तरह से यह प्रस्ताव रखा गया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। माननीय सदस्य जो प्रस्तावकर्त्ता हैं अगर वे अपने भाषण के जरिये या उसकी डिटेल्स को समझाते कि आखिर १०० रुपये की इनकम से, वह होल्डिंग से किस तरह से कनेक्ट करते हैं या सौ रुपये की इनकम वाले काश्तकार का एक्सपेन्डीचर क्या होता है और नैट इनकम कितनी आती है तो मैं उससे जरूर सहमत

(श्री श्रीमानसिंह)

होता । मगर जिस भावना से आज यह प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका आदर जरूर करता हूँ और मेरी यह मान्यता है कि एक समय आयेगा जब कि सरकार को इस पर गौर करना पड़ेगा । पर आखिर जब हम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर रहे हैं तो हमारे सामने दो समस्यायें हैं । एक तरफ तो हम अधिक रिसोर्सेज़ चाहते हैं, इनकम चाहते हैं और दूसरी तरफ हम यह भी चाहते हैं कि जो एक्सपेन्डीचर हों वह इतने diversified हों कि जिससे जो मासेज़ हैं वह बेनीफिट करें और तीसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि हम जो प्लॉन बना रहे हैं वह हम माननीय सदस्यों के लिए या देश की जनता के लिए बना रहे हैं या देश की जनता इस प्लॉन के लिए है या मैं इसको और साफ तरीके से समझाऊं कि हमारी कहीं टैक्सेशन की पॉलिसी या इनकम लेने की पॉलिसी ऐसी तो नहीं है कि जिससे जो जनता गरीब है उस पर अन्ड्यू बर्डन पड़े । अगर अन्ड्यू बर्डन पड़ता है तो हमें हमारी टेक्सेशन की पॉलिसी इन जनतंत्र के दिनों में और कल्याणकारी राज्य के अन्दर बदलनी पड़ेगी । इन सब चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं इस नतीजे पर आया कि जो लोग इनकम के काश्तकार हैं जो आज ८० प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पर रहती है उनमें से शायद ६० प्रतिशत ऐसे काश्तकार होंगे जो कि एग्रीकल्चर को सिर्फ Subsistence फार्मिंग करते हैं । हम यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री है और जब हम यह कहते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इसमें क्या प्रोफिट होता है । तो मैं तो यह कहूँगा कि एग्रीकल्चर को एक इन्डस्ट्री कहना गलत चीज है । क्योंकि जिस प्रोफेशन से या जिसको मैं Subsistence फार्मिंग कहता हूँ उससे कोई इन्कम नहीं होती और जो काश्तकार पैदा करता है उसी को वह कन्ज़्यूम करता है और इससे उसको कोई प्रोफिट नहीं होता तो फिर उसको लगान देना पड़े तो हम कम्पेरेटिवली देखें कि कौन ज्यादा सेक्रिफाइज़ करता है । हम दूसरी तरफ यह कह दें कि हम सोशल एक्सपेन्डीचर करते हैं, उससे मासेज़ को बेनिफिट करते हैं, मगर जब हम सोश्यल एक्सपेन्सेज़ करते हैं तो मैंने एनेलाइज़ करके देखा है कि अगर सरकार एक रुपया खर्च करती है तो सबसे ज्यादा हैवियेस्ट एक्सपेन्डीचर शायद ६ आना वह Non developmental पर खर्च करती है और ३ आ० ६ पा० आयेगा उन सोशल बेनिफिट्स पर, यह सोशल एक्सपेन्डीचर है । मगर इन सोशल एक्सपेन्डीचर के अन्दर लिमिट्स नहीं आतीं हैं । जो सोश्यल एक्सपेन्डीचर आप करते हैं उसका बड़ा इन्कम ग्रुप, मिडिल इन्कम ग्रुप और लोअर इन्कम ग्रुप सब बेनिफिट्स उठाते हैं । स्पेशल बेनिफिट का कोई एक्सपेन्डीचर नहीं है जो कि गरीब काश्तकारों पर आप करने वाले हैं । तकावी लोन्स का कहा जा सकता है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, मगर जब सोशल एक्सपेन्डीचर सब के लिए है, फिर जब उसका बड़ी इन्कम वाले जो हैं वे बेनिफिट ड्रॉ करते हैं तो हम यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेन्डीचर है वह इन्कम की जो इनिक्विलिटीज़ हैं या डिस्पेरिटीज़ हैं उनको कम करता है, हम यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेन्डीचर है उसका ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू दी ग्रेटेस्ट number को मिल रहा है । जब यह क्लेम नहीं कर सकते हैं तो जो लोअर इन्कम ग्रुप के द्वारा सेक्रिफाइस एक पाई भी होती है वह सेक्रिफाइस एक लाख रुपये जिसकी इन्कम है अगर वह पांच

(श्री श्रीमानसिंह)

हज़ार का टेक्स देता है उसको ज्यादा बढ़कर होता है। टेक्सेशन का मतलब है कि टैक्सेज़ उन पर लेवी करें जो कि बियर कर सकें। हमारे यहां हम चाहते हैं कि प्लॉन सक्सेस हो, प्लॉनिंग के अन्दर एक्सपेन्डीचर जो है वह पूरा हुआ करे। परन्तु देखना यह है कि भारतवर्ष में ऐसा इन्कम ग्रुप ज्यादा नहीं है जिनकी वजह से कह सकें कि प्लॉनिंग का अनड्यू Burden Low Income Groups पर ज्यादा नहीं है।

अब उसको फिर फौलो किया जाय कि टेक्सेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेन्ट राजस्थान क्या है लेण्ड रेवेन्यू में। सबसे ज्यादा जो टेक्सेशन की इन्कम है वह लैण्ड रेवेन्यू से होती है। जब लेण्ड रेवेन्यू से होती है तो जो इसके ऊपर मैं कहूँ तो जमा किया जाय कि लैण्ड रेवेन्यु पॉलिसी हमारी यानी टेक्सेशन जो है वह रिग्रेसिव है। हमको सोचना चाहिये कि इसको प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाय। जो टैक्सेज़ रिग्रेसिव होते हैं उनको एबोलिश करना पड़े तो करना चाहिए। रिग्रेसिव क्यों है? क्योंकि हम जो लो. इन्कम ग्रुप हैं जिनके पास ५ एकड़ या २ समथिंग एकड़ जमीन है उन लोगों के कन्ज़म्शन पर टैक्स करते हैं। टैक्सेशन का सबसे बड़ा सिद्धान्त है कि जो टैक्सेशन कन्ज़म्शन को टेक्स करे वह टेक्स लगाये नहीं जायें और उन पर जिनके पास अगर हम nutrition लेवल हम देखें तो उनका बहुत कम nutrition लेवल है, एवरेज न्युट्रिटिव लेवल नहीं है तो हमारी लेण्ड रेवेन्यु पॉलिसी रिग्रेसिव है। अब यह सोचा जाय कि इसको प्रोपोर्शनल कैसे बनाया जाय? इस पर अभी मैं सुझाव नहीं दे सकता, मगर इसको एडजस्ट जरूर करना चाहिये। फ्लैट रेट पर लेवी करते हैं हम लेण्ड रेवेन्यू। जिसके पास १ हज़ार बीघा जमीन है वह भी सवा गुना देता है और जिसके पास २ बीघा जमीन है वह भी वही देता है और बेनिफिट्स के अन्दर इक्वली सब शेयर करते हैं तो हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है लेण्ड रेवेन्यू की वह रिग्रेसिव है।

दूसरा अब आप देखें इर्रिगेशन को। इर्रिगेशन में अगर देखा जाय तो काश्तकारों पर लागू होती है आपकी betterment लेवी, और बेटरमेंट लेवी के अन्दर सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अशोक मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स und tak n किये हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर रिलीफ की अब तक पॉलिसी रही है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट बिग लेण्ड लार्ड्स, बिगर होल्डर्स ने उठाया है जिनके पास में ज्यादा जमीन है. छोटे-छोटे काश्तकारों ने नहीं। अब बेटरमेंट लेवी और इर्रिगेशन रेट्स आदि के आखिर इन्सीडेन्स क्या हैं? किसके ऊपर जाकर यह फॉल होते हैं? क्या एक स्मालेस्ट काश्तकार उतना ही से क्राइस करता है कम होल्डिंग होते हुए भी जितना कि एक बड़ा काश्तकार करता है? तो हमारा प्रश्न यह है, कि जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं वह यह है कि हम तो सेक्रिफाइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है according to production, according to income and according to capacity जिसको कहा जाय टैक्सेशन के अन्दर टैक्सेबल केपेसिटी। तो टैक्सेबल केपेसिटी जो है वह एक छोटे काश्तकार की बहुत कम है उसके पास से जब हम टैक्स कर सकते हैं। आज पॉलिसी ऐसी हैं लेकिन गवर्नमेंट इस तरह की पालिसी सेट इन करे कि एक छोटे काश्तकार के पास सेविंग हो। टैक्सेशन उस चीज पर किया

(श्री श्रीमानसिंह)

जाता है जब कि सेविंग हो। जब मेरे पास सेविंग नहीं हो तो टैक्सेशन कैसे लग सकता है ? आप किसी चीज़ के लिये, स्टेट एक्सचेकर के लिये मेरा कन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, जब आप एक छोटे काश्तकार का कन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो उसकी टैक्सेबल केपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और टैक्सेबल केपेसिटी बढ़ाते हैं तो सेविंग बढ़ाते हैं, तब आप उनको टैक्स कर सकते हैं। आप कन्ज़म्शन पर टैक्स करते हैं और कन्ज़म्शन पर टैक्स नहीं चाहिये जब कि हमारे देश के अन्दर न्यूट्रिटिव लेवल कम है।

हमको देखना है कि लैण्ड रेवेन्यू पॉलिसी या यह जो प्लॉनिंग है Grow more food, का वह जो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ चलता है यानी हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, हमारे इन्सेन्टिव को एनकरेज करे। एक काश्तकार को इन्सेन्टिव दे कि वह invest करे एग्रीकलचर के अन्दर। हम देखेंगे तो हमारी फर्स्ट प्लॉन में, क्षमा करें अगर मैं यह कहूं तो, गवर्नमेन्ट का जितना जो कुछ एक्सपेन्डीचर हुआ है एग्रीकल्चर पर, उसका वह बेनिफिट नहीं मिला है। यह यों नहीं मिला कि वह जो एक्सपेन्डीचर डिफिरेन्ट डाइरेक्शन में किया गया है लोगों में एक इन्सेन्टिव, एक उत्तेजना उस एक्सेपन्डीचर से पैदा नहीं हुई, एग्रीकल्चर के अन्दर इन्वेस्टमेन्ट करने की। जितना भी टारगेट था उसके एचीव करने का कारण यह था कि बारिश अच्छी रही, वैदर कन्डीशन्स अच्छी रहीं। जहां पर वैदर अच्छी नहीं रहीं वहां पर हमारा फूड् प्रोग्राम मालूम पड़ गया कि हम सेल्फ सफिशियेन्सी को एचीव नहीं कर सके हैं। प्राइसेज़ बढ़ गईं और प्राइसेज़ बढ़ीं तो कहा गया कि काश्तकारों को फायदा हुआ है इसलिये लैण्ड रेवन्यू रियलाइज़ की गई, मगर यह देखना चाहिये कि प्राइसेज़ के बढ़ने से १९५४ के अन्दर एडवान्टेज किसको मिला। एडवान्टेज उन्हीं लोगों को मिला जिनके पास बेचने के लिये सरप्लस ग्रेन था। उस आदमी को जिसके पास सरप्लस ग्रेन नहीं रहता उसको एडवान्टेज हाई प्राइस का नहीं मिला। जितनी भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी है, इर्रिगेशन की बेटरमेंट लेवी है उसमे छोटे काश्तकारों को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आखिर सोचना होगा कि इन्सेन्टिव देने के लिये कैसे रिलीफ के मिजर लेने चाहिये ? यह नहीं हो सकता है कि एक डेट केवल फिक्स कर दें कि १०० रु० की इन्कम हो जिस पर नहीं। हो सकता है कि १५० रुपये की इन्कम करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है कि बहुत कम काश्तकार हों जिनके पास १०० रुपये की इन्कम हो। हमको देखना पड़ेगा कि लोएस्ट लेवल के काश्तकारों को रिलीफ मिलता है या नहीं, एन्करेजमेन्ट मिलता है या नहीं ? इन्वेस्टमेन्ट करने का कोई इन्सेन्टिव नहीं देता है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है प्लॉनिंग को स्टार्ट किया है, सोशल वेलफेयर स्टेट में सोशलिज्म का स्टार्ट किया है शायद सब चीज़ नई है। सोशलिज्म हमारे भारतवर्ष के अन्दर मेरी यह मान्यता है, नई चीज़ है, सक्सेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। जनतंत्र हमारे यहां नई चीज़ है, सोशल वेलफेयर स्टेट नई चीज़ है। ये तीनों चीजें लागू करते हैं तो इसका नतीजा होता है लैण्ड रिफॉर्म्स। वे लैण्ड रिफॉर्म्स आज जो बड़े काश्तकार हैं उनके इन्सेन्टिव को kill करते हैं, और लैण्ड रेवेन्यू पालिसी हमारे छोटे काश्तकारों की इन्सेन्टिव को kill करती है। अगर हम उनको बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, प्रोडक्शन

Page No.35

(श्री श्रीमानसिंह)

के टारगेट को एचीव करना चाहते हैं, फूड के अन्दर सेल्फ सफिशियन्सी लाना चाहते हैं मगर हम यह मिजर्स लागू करते हैं तो इफैक्ट मासेज़ के अन्दर अपने आप होगा, नो कान्फीडेन्स होगा और अपने प्रोडक्शन टारगेट को एचीव नहीं कर सकते हैं, और जब प्रोडक्शन का टारगेट एचीव नहीं हो सकता है तो अगर अपनी लेण्ड रेवेन्यू पॉलिसी को चेन्ज नहीं करेंगे तो इन्सेन्टिव नहीं बढ़ सकता है, एक गरीब काश्तकार है उसके लिये एग्रीकल्चर कोई इन्डस्ट्री नहीं होगी, अगर उसमें कोई प्रोफिट नहीं होगा तो, मगर उसके लिये एक सबसिसटेन्स की चीज़ होगी। जो आदमी उसमें प्रोडक्शन करेगा उसको कन्जूम कर लेता है।

यह सब चीजें जैसा कि मैंने कहा और देशों के अन्दर जो प्लॉनिंग हुये हैं तो उनमें पहले एक डिफरेंन्ट ट्रेन्ड चला। उन्होंने प्राइवेट एन्टरप्राइज़ को एन्करेज़ किया और उसको एन्करेज करने के बाद में, देश को सर्टेन-स्टेन्डर्ड पर वे ले आये तब और चीजें लागू करीं। सोशल वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य या जो कुछ भी आप कहें तब उन्होंने यह चीजें लागू कीं। और हम स्टार्ट से ही यहां भारतवर्ष में जनतन्त्र ले आये, एक नई चीज़ ले आये, और आते ही डिक्लेरेशन किया है सोशलिज्म का, सोशलिज्म की पॉलिसी बहुत अच्छी है। वह मासेज़ को बेनिफिट करती है मगर हमारे देश के सामने कई समस्यायें हैं और जब तक हम इन समस्याओं को हल नहीं करते हैं और इन चीजों को लागू करते हैं तो देखना पड़ेगा कि आखिर जो introduction इनका किया है तो उस introduction से मुल्क के अन्दर बहुत ज्यादा फायदा करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि कन्ज़म्पशन बढ़े, और हम यह भी चाहते हैं कि receipts बढ़ें तो सब चीजें नहीं हो सकतीं एक साथ।

कोई न कोई हमको ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे छोटे छोटे काश्तकारों का इन्सेन्टिव बढ़ता रहे और वे लैन्डमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट करते जांय जिससे उनका प्रोफिट बढ़े और उनकी सेविंग्ज़ बढ़ें। जब ये बढ़ेंगे तभी मैं कहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक तरफ हमको अपनी पॉलिसी को चेन्ज करना है और दूसरी तरफ हमको एग्रीकल्चर के ओरगेनाइजेशन को मज़बूत करना है। आज बहुत से मित्र कहते हैं कि यह सहकारिता से हो सकता है। मैं मानता हूं कि सहकारिता एक अच्छी चीज है। लेकिन क्या आज का काश्तकार उसके लिये तैयार है, क्या काश्तकार उसको ग्रास्प करता है ? मेरी मान्यता है कि वह उसको ग्रास्प नहीं करता। लेकिन इससे उसके दिमाग में आती है इनसिक्योरिटी। लो इन्कम, लो होल्डिंग होते हुए भी वह इसमें अधिक विश्वास नहीं करता। हम कहते हैं कि आप को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाइये, सहकारिता से काम करिये। लेकिन मैं नहीं समझ सका कि जिस देश में व्हीट कल्टीवेशन हो वहां कोऑपरेशन कैसे हो सकता है ? और राजस्थान में व्हीट कल्टीवेशन होता है और जहां व्हीट कल्टीवेशन होता है वहां कभी को-ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसमें टोपोग्रेफी देखनी पड़ेगी। मेरी मान्यता है कि जहां व्हीट क्रोप होती है वहां इन्डिविजुलिज्म आता है और जब इन्डिविजुलिज्म का प्रश्न आता है तब कभी वोलन्टियरी को-ऑपरेशन नहीं हो सकता। आप कम्पलशन कर सकते हैं लेकिन वोलन्टियरी नहीं हो सकता। जहां राइस कल्चर होता है वहां को-ऑपरेशन हो सकता है। जहां व्हीट कल्चर है वहां को-

(श्री श्रीभानसिंह)

ऑपरेशन करना है तो कम्पलशन से ही कर सकते है। मैं नहीं समझ सकता कि अशिक्षित किसान इस प्रिन्सिपल को समझ लेंगे।

आपने यहां पर इन्सिक्योरिटी इन्ट्रोड्यूज़ की है, उसका नतीजा यह हुआ कि सन् ५४-५५ में प्राइस तो बढ़ती है और मार्केट में सरप्लस स्टॉक आता है, तो सरप्लस स्टॉक को कोई नहीं लेते हैं। प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं होती है और सरप्लस स्टॉक आता है तो मार्केट में फ्लक्च्युएशन आता है, भाव गिरता है और छुटे काश्तकारों को इसके कारण सेक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेन्ट छोटे काश्तकारों को प्राइसेज़ या प्रोफिट के लिये कोई गारन्टी नहीं देती है। मुझको एज़ ए फारमर यह तो गारन्टी दे दें कि मैं जो इन्वेस्टमेन्ट करता हूँ उसका रिटर्न फेअर प्राइस के रूप में देंगे। लेकिन आज उसके लिये कोई गारन्टी नहीं है। प्राइस फ्लक्च्युएट करती रहती हैं; कभी ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे आती रहती हैं। हर प्राइस मिडल मैन को पे करने के बाद हमेशा काश्तकार को लोस रहता है। उसके बाद भी एग्रीकल्चर परसू करते हैं। कोई सबसिडरी इन्डस्ट्री उसके पास है नहीं और लैंड लेस लेबर बढ़ता जा रहा है। हमारा प्लानिंग और टेक्सेशन का इफेक्ट एक रहा है। शहरों में तो Salaried & Fixed Income ग्रुप को शेटर किया और विलेजेज़ में हमारे लैंड लेस Labourers और स्माल फार्मर्स को शेटर किया। यहां जो १०० रुपये का प्रस्ताव है उसकी यह भावना है कि उनकी पोज़िशन को रिहेबिलिटेट करना है, स्पेयर करना है। यदि उनकी पोज़ीशन को रेस्टोर करना है; तो उसके लिये खास मैजर्स इवोल्व करने होंगे।

कहा यह जाता है कि हमारे यहां राजस्थान में एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स लागू है। मैं खुद इस पॉलिसी से असंतुष्ट हूं क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लागू करते हैं ४००० से ऊपर की इन्कम वालों पर और इससे नीचे की इंकम वालों को एग्जेम्पशन दिया है; इस माने में हमारी पॉलिसी और प्रान्तों से भिन्न है। हमारे यहां एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स लागू इसलिये किया था कि हायर इन्कमवालों पर टेक्स लगाकर Agri-income में इक्वेलिटी रेस्टोर की जाय और रिग्रेसिव effects को मिटिगेट करें। लेकिन एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स लागू करने से वह नीति एस्टब्लिश नहीं हुई और एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स लागू किया तो यह इन्डीकेट करता है हमारी लैंड रेवेन्यु की नीति के लिये। लैंड रेवेन्यू को एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स से लगा लिया करें। यदि इससे रिअलाइज़ करेंगे तो जो Slab सिस्टम के बेसिस पर यह है तो हमको लैंड रेवेन्यु की वसूली की तरफ देखना पड़ेगा। आज यदि लैंड रेवेन्यु के लिये कोई क्लेम करे कि हमारी पॉलिसी प्रोग्रेसिव है और लोगों को रिलीफ देती है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। आपके यहां मेजोरिटी स्माल फार्मर्स की है और लैंड रेवेन्यु की तरफ यही मेजोरिटी कांट्रिब्यूट करती है। आपको पिछला बजट देखने से पता चलेगा कि लैंड रेवेन्यु पूरी तरह से रिअलाइज़ नहीं होती है। हमें देखना यह है कि इसके रीज़न्स क्या हैं? इसका रीज़न यही मालूम होता है कि फार्मर्स की केपेसिटी पे करने की नहीं है। उनकी केपेसिटी पे करने की नहीं होने से उनको बोरो करना पड़ता है और यदि बोरो करने जाते हैं तो मनि लैंडर्स को उनमें विश्वास नहीं है क्योंकि आज लैंड को वे सीक्योरिटी नहीं रख सकते, इसलिये मनी उनको नहीं मिलती है, जब

(श्री श्रीमानसिंह)

उनको मनी नहीं मिलती है तो वे गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते और इसलिये रेगुलर एरियर बढ़ते जा रहे हैं । इसके लिये मेरा इन्टरप्रिटेशन यह है कि एरियर इसलिये बढ़ता जाता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और डिफिकल्टी एक्सपीरियेन्स करते हैं इसलिये वे पे नहीं कर सकते । ऐसी हालत में बढ़ते हुए लैंड रेवेन्यु के एरियर को देखें, टैक्सेशन को देखें और एक्सपेन्डिचर को देखें, तो इसी कन्क्ल्युज़न पर आना पड़ता है कि यह टाइम है जब कि हम उनको रिलीफ दें किस तरह से दें यह अलग प्रश्न है। हम स्लेब रेट्स बनावें, स्लेब स्केल पर करें. progressive बेसिस पर करें. एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स में सुधार करें और चाहें तो प्राइस stabilise करें ! यह भी है कि प्राइसेज़ बढ़ती हैं तो काश्तकारों को फायदा होता है । लेकिन जब प्राइसेज़ बढ़ती है तो उससे बड़े काश्तकारों को ज्यादा फायदा होता है । तो क्या आप उन बड़े काश्तकारों से ज्यादा वसूल करते हैं ! लेकिन यह नहीं होता । आज एक स्टेज़ आ रही है, जब लैंड रेवेन्यू को सोशलिज्म, सोशियल वेलफेअर स्टेट और प्लानिंग से एडजस्ट करना पड़ेगा । क्योंकि हम चाहते हैं कि nivestment or production को बढ़ावें । अगर हम इस सेक्टर को बढाना चाहते हैं तो यह हमारे लिये कांट्राडिक्शन को एडवान्स करना, है कांट्राडिक्शन आयेगा. लेकिन उसको रिमूव करें और रिलीफ दें । रिलीफ देने का क्या तरीका है, यह सोचें । लेकिन यह नेसेसरी है । या तो इतना होल्डिंग बढ़ावें जिससे इन्कम इतनी हो, सेविंग्ज़ हों । आज हमारे प्लानिंग में डिफिकल्टी हो रही है । अभी सेकन्ड फाइव इयर प्लान टेम्पो गेदर कर रहा है, लेकिन जिस रेट से इन्वेस्टमेंट होना चाहिये उस रेट से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और उसका मेन कारण यही है कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी सरकार की अच्छी नहीं है । यही सोच करके शायद यह रिज़ोल्युशन रखा गया है मैं इस रिजोल्युशन की भावना का आदर करता हूं; लेकिन १०० पर हो या किसी तरह हो या किस तरह होना चाहिये इसका कयास अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह काम्लीकेटेड प्रश्न है, इसलिये इसका इमीडियेट सोल्युशन नहीं है । इसके लिये कमेटी अपॉइन्ट करनी चाहिये जो देखे कि लैंड रेवेन्यू रिग्रेसिव है उसको पर्पेच्युएट किया जाय या नहीं ? अभी हम डिसाइड करदें कि १०० रु. पर या १५० रु. पर हो या ५ बीघा या १० बीघा के होल्डिंग पर हो, अगर ऐसा करेंगे तो यह आर्बिट्रेरि होगा, फेक्ट्स पर नहीं होगा । हमें फेक्ट्स के आधार पर करना है, तभी हम एग्रोकल्चरिस्ट्स को रिलीफ दे सकते हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत लम्बे–चौड़े तरीके पर डिस्कस हो चुका है और माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं यह जरूर निवेदन करूंगा ऑथोरिटीज़ से कि यह ऐसा छोटा मामला है, १०० रु० के ऊपर जो टैक्स लगता है, यह जरूर माफ करने के काबिल है....

श्री शिवचरणदास : १०० रु० तक लगान को माफ किया जाय ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (जारी) उधर की तरफ महानुभाव ज्यादातर इसके पक्ष में बोले और सब ने यह चाहा कि १०० रु० के नीचे के टैक्स को माफी मिलनी चाहिए । जब दोनों तरफ से यह सवाल आता है और इस पर अगर वोट लिए जायें तो वोट के समय के अन्दर उधर की तरफ वालों के

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सामने अपनी पार्टी का प्रश्न आता है और शायद ट्रेज़री बैंच के पक्ष को वे न छोड़ें। इस मामले पर बहस की जरूरत क्या है, क्योंकि १०० रुपये तक के टैक्स को माफ करने का प्रश्न इस समय में इस मंहगाई के समय के अन्दर ऐसा है, जिसके ऊपर माफी मिलने की निहायत आवश्यकता मैं समझता हूँ। कहीं भी दूसरी गवर्नमेंट में, यहां तक कि युरोप में और दूसरे प्रान्तों में इस तरह का रेंट टैक्स नहीं होता है और अगर होता है तो रियायत के साथ होता है। ऐसी स्थिति में इस सवाल पर अधिक बहस न करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों नहीं जल्दी से जल्दी इस बात को करके ऐसी भावना देश के अन्दर पैदा करने का कोशिश करता कि जिससे राजस्थान का जो मन्त्रीमण्डल है, वह धन्यवाद का पात्र हो। मैं यह भी जरूर निवेदन करूंगा कि इस तरह का अगर यह सवाल १०० रुपये के नीचे के लगान के लिए हो जाय, तो देश के जो काश्तकार हैं, जागीरदार हैं, दूसरे लोगों के पास जो जमीन है, जो रिलीजियस होल्डिंग हैं, जिन पर लोग खेती करते हैं, ऐसी हालत में उनकी हैल्प करनी है, और यह डेमोक्रेसी के जमाने में, सोश्यलिज्म के जमाने में सब से बड़ा कदम होगा और इसको सब एप्रीशियेट करेंगे। मेरा अन्दाज है कि यह होकर रहेगा। यह चीज ऐसी है कि अगर नहीं हुई तो सबसे बड़ी क्रान्ति युग में आ सकती है। ऐसे मामले पर अगर राजस्थान, जो एक गरीब प्रान्त है, कम आमदनी का प्रान्त है, अपनी तरफ से कदम उठाये और उसकी दूसरी जगहों पर लोग एग्जाम्पल लें, तो यह राजस्थान के लिए गौरव की बात होगी। मैं समझता हूं कि इस चीज़ को ज्यादा घुमाने के बजाय फौरन ऐसे काम के वास्ते तैयार हो जाना चाहिये। इधर और उधर के कई महानुभाव अगर इस बात को चाहते हैं और यह कहते हैं कि १०० रु० के नीचे टैक्स को माफ करना चाहिए, तो मैं साफ तौर से यह समझता हूँ कि जिस समय हम लोग बड़ी बड़ी बातें करके गांवों में जाकर वोट के लिए काश्तकारों से कहते थे, उस समय अगर वे यह कहते कि १०० रु० से नीचे वाले टैक्स की माफी नहीं मिलेगी तो शायद आज नतीजा और होता। ऐसे मामले के अन्दर दोनों तरफ के महानुभाव मिल कर, इस प्रश्न को ज्यादा दलील में न पटककर, दूसरे विचार होते हुये भी पार्टी के विचार में नहीं पड़कर इस काम को करने की तरफ अग्रसर होना चाहिये और उन्हें आगे आना चाहिये। मेरा निवेदन है कि राजपूत या काश्तकार और जो खेती करने वाले हैं, उनके पास शायद काफी जमीन, थोड़ी बहुत जमीन मिल जायगी लेकिन जो १०० रु० से नीचे टैक्स देने वाले काश्तकार हैं, उनकी हालत देखी जाय तो पता लगेगा कि वे सो कॉल्ड हरिजन हैं और इसके अतिरिक्त दूसरी भी क्लासेज हैं, जो भील एरिया में और दूसरी जगह रहते हैं, जिनके पास बहुत छोटी होल्डिंग्ज़ हैं, और बड़े काश्तकार हैं वे खेती करते हैं उनको इसमे इफेक्ट होगा और अगर १०० रुपये से नीचे के टैक्स को छोड़ दिया जायगा, तो उनको काफी सुविधा मिलेगी। मेरा निवेदन है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी, कम से कम इस सेशन में निश्चय कर लिया जाय तो यह आयन्दा हमारे वास्ते गौरव की चीज होगी। मेरा इतना ही निवेदन आपके द्वारा रेवेन्यु डिपार्टमेंट से है कि इस हालत में इस वास्ते व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो।

श्री जयसिंह राणावत (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव किसानों का

Page No.39

(श्री जयसिंह राणावत)

लगान माफ करने का आया है, उसके बारे में अपने विचार, आपकी मारफत, हाउस के सामने रखना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, उनकी भावना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की हो सकती है, लेकिन...

श्री शिवचरणदास : सस्ती नहीं है।

श्री जयसिंह राणावत : लेकिन वे जिन किसानों का प्रतिनिधित्व करने आये हैं और जो विचार उन्होंने सदन के सामने रखे हैं मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में वस्तुस्थिति यह नहीं है। आज किसान अपने लगान को माफ कराने में अपना निरादर समझते हैं। कई मौके ऐसे आये हैं, जिन अवसरों पर किसानों से मैंने बात की है। किसान ही नहीं, अब तो जो माफीदार, कुछ सदस्य इस सभा में भी हैं, और जो माफीदार जनता में हैं, उन्होंने भी यह महसूस किया है कि जब तक माफीदारी चलती रही, जमीन अच्छी उपज नहीं देती थी, जब से माफी हटी, गवर्नमेंट ने कुछ परिवर्तन किये, लगान लगाने की बात हुई, तब से जमीन अच्छी उपज देती है। इसलिए किसानों का टैक्स माफी करने का प्रश्न है। वह किसानों की इज्जत को खतरे में डालने का प्रश्न है। जो परिश्रमी किसान है, वह याचना नहीं करता और उसकी सच्चे रूप में यह भावना है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि वे हाउस में किसानों का प्रतिनिधित्व करें तो किसानों के हित की बात करें।

श्री शिवचरणदास : सही रूप आप बता दें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज की बात करने वालों से इस लगान की मुक्ति के लिए जिस तरह की भावना सुनने को मिली, उसकी आलोचना नहीं करते हुए जिन माननीय सदस्य ने यह समाजवादी ढांचे की ओर अपना कदम उठाने वाला संकल्प रखा है, मैं उनकी उस उदारता की तारीफ करता हूं। मैं समझता हूं कि जो सज्जन इसका विरोध करते हैं उन्हें राजस्थान के इस समाज की आर्थिक स्थिति जो है उसका शायद ज्ञान नहीं है और ज्ञान शायद होगा भी नहीं क्योंकि वे उन बैंचेज़ पर बैठे हुए हैं, जहां से समाज का सच्चा स्वरूप दिखाई नहीं देता। समाज का सच्चा स्वरूप देखने की आवश्यकता पड़ती है तो समाज के साथ घुल-मिल कर बैठने की आवश्यकता होती है। जो लोग बंगलों में रह कर, पुराने जमाने की जागीरदारी को भोग कर आज समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, मैं समझता हूं कि यदि वे आज की इस परिस्थिति में भी अपने आपको नहीं बदलते हैं और उनकी नजर में यह विचार समाया हुआ है, मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, वे प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष, आज राजस्थान की जो सामाजिक स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। हम जब उस क्षेत्र की ओर, जहां से इस प्रस्ताव के प्रस्तावकर्ता आये हैं, ध्यान देते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कि भील, मीना जाति और इतर जातियां छोटे-छोटे गांवों में रहती हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी-थोड़ी भूमि है। उनके पास इतनी भूमि है कि वे अपने शरीर को कपड़ों से ढक नहीं सकते, वे अपने भूखे पेट में रोटी नहीं डाल सकते, जहां कड़कड़ाती धूप में रेतीली जमीन तपती है, उसके अन्दर जूते पहन कर नहीं चल सकते, जिनके

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बच्चों को अगर हम देखते हैं तो वे नंगे खड़े रहते हैं। ऐसे राजस्थान के अन्दर यह बात कही जाय कि किसान यह कहते हैं कि किसानों का अपमान होता है, अगर वे लगान नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ, राजस्थान की जो आर्थिक अवस्था चल रही है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन आज हमारी प्रणालियों के द्वारा छोटे-छोटे हिस्सों में बँट गई है और जमीन इतने लोगों के पास रह गई है कि वे उसके द्वारा जीवन का पोषण नहीं कर सकते। आज प्रश्न यह आ जाता है कि आखिर क्यों उन किसानों से, जिनके पास अपने जीवनयापन के लिए भूमि नहीं, लगान लें। और जब हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर इतने बड़े-बड़े जमींदार हैं, चौधरी हैं, जिनके पास हजार-हजार बीघा जमीन है और जब सीलिंग का प्रश्न आता है तो यह क्वेश्चन यहीं दब जाता है उनकी आवाज के द्वारा, क्योंकि आज मेरा यह आरोप है कि आज जो तख्ते-ताऊस पर बैठे हैं वे उन चौधरियों से, जमींदारों से दबे हुए हैं और आज सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है कि जमीन का बँटवारा हो, इसमें शायद अभी देर है। तो ऐसी सूरत में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसकी भावना की कद्र करते हुए गम्भीरतापूर्वक शांति और सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करना चाहूंगा कि जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया है कि जो काश्तकार १०० रुपये तक लगान देता है, उसका लगान माफ कर दिया जाय और इसके साथ ही साथ हमें यह देखना है कि जो माफीदार थे, उनकी माफियों को माफ कर दिया गया है, उनको लगान देना पड़ता है, और देखा जाय तो जिन दिनों माफी चलती थी उन दिनों भी उनकी हालत अच्छी नहीं थी। हम योजनाएं बना कर जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की बातें करते हैं पर आज योजनाओं पर खर्च करने के लिये न भारत सरकार के पास पैसा है और न राजस्थान सरकार के पास पैसा है और इसके लिये राजस्थान की जनता को दुहा जा रहा है और इसे इतना अधिक दुह लिया है कि अब राजस्थान की जनता के अंचल में पैसा नहीं है और आज हमारे समाज की हालत नहीं रही है कि एक भी ज्यादा टैक्स को बर्दाश्त कर सके, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया, बेटरमेंट टैक्स लगाया और पंचों को अधिकार दिया कि पंचायतों के अन्दर काश्तकार पशु लाते हैं, और अन्य कोई जीवनोपयोगी वस्तुएं लाते हैं पंचायत क्षेत्र में तो पंचायत उन पर टैक्स लगा सकती है। और बिक्री कर से आज तरह-तरह के टैक्स सरकार ने किसानों पर लगा दिये हैं। कहेंगे कि हम तो समाजवादी समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिये टैक्स ले रहे हैं और उन टैक्सों का असर बड़े-बड़े लोगों पर पड़ता है पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिक्री कर एक ऐसा प्रतिगामी कर है जो उपभोक्ताओं पर लगता है, कन्ज्युमर्स पर यह टैक्स लगता है। काश्तकार कपड़ा खरीदता है, दूसरी चीजें काम में लेता है, कागज़ स्टेशनरी और अन्यान्य चीजें काम में लेता है इन पर टैक्स लगा हुआ है, इसको देखें और फिर राजस्थान की आर्थिक अवस्था का निर्णय करते हुए, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सोचें कि यह प्रस्ताव आया है वह उचित है या अनुचित है?

मैं तो समझता हूँ कि यह राजस्थान की जनता के अनुकूल प्रस्ताव है और उन किसानों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के अनुकूल है जिनको ऊंचा उठाने का ढोंग राजस्थान की सरकार कर रही है। आज जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के आंकड़ों की पुस्तक निकाली जाती है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना आई उससे जनता का जीवन स्तर इतना ऊंचा उठाया गया और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना चल रही है उससे जनता का जीवन स्तर इतना और ऊंचा उठ जायगा, अन्न का भंडार हमारे यहां हो जायगा पर आज १० वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि क्या हमारा राजस्थान अन्न से आत्म निर्भर हो गया है, जो गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं, क्या उनके जीवन स्तर को थोड़ा बहुत भी ऊंचा उठाया है, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया है, उनके लिये औषधि का इन्तजाम किया है, उनके रोटी और कपड़े का, रहने के लिये मकान का कोई प्रबन्ध किया गया है ? इन सब बातों को देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और उनसे जो विकास आना चाहिये था वह हम नहीं देख रहे हैं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करना चाहूंगा कि यह बहुत श्रेष्ठ संकल्प है, इस पर विचार करना चाहिये और इसे स्वीकार करना चाहिये। जो काश्तकार १०० रुपया तक लगान देते हैं देखा जाय तो उनके पास कितनी सी जमीन होती है ? १० बीघा सिंचाई की जमीन में क्या कोई काश्तकार अपने कुटुम्ब का पालन कर सकता है ? आज भूमिहीन किसानों की कितनी दर्खास्तें आती हैं और यों ही पड़ी रहती हैं, उनको जमीन नहीं दी जाती। मैं अभी मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में गया तो वहां मीणे और बोला लोग हैं उनकी दर्खास्तें आई हुई पड़ी हैं, उनको जमीनें नहीं दी जाती। जमीनें ऐसे लोगों को दी जाती हैं जिनके पास पहले से ही जमीनें हैं, वे लोग अपने भाई, बीबी-बच्चों के नाम से दर्खास्तें देते हैं और जमीनों पर जमीनें ले रहे हैं और जिनके पास वास्तव में जमीनें नहीं हैं और जिनको अपने जीवन निर्वाह के लिये जमीनों की आवश्यकता है उनको जमीनें नहीं दी जाती हैं और आज भी एक भयंकर समस्या हमारे सामने है कि इन काश्तकारों का क्या करें ? उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हमने उनके लिये साधन नहीं जुटाये हैं, उल्टे उन पर टैक्स लगाये हैं। उन टैक्सों को हटा कर उन्हें उठाना पड़ेगा, कम से कम उन पर जो यह लगान का टैक्स है उसे तो हटाना पड़ेगा।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यह जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह !

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने यह संकल्प आया है कि १०० रुपया तक का जो लगान देते है उन किसानों को जमीनें फ्री कर दी जायं १०० रुपये तक का लगान नहीं लगाया जाय। मैं साफ तौर से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जहां सरकार ने समाजवादी समाज की व्यवस्था कायम करने के लिये, राजस्थान के प्रान्त से पुराने जमाने से चली आने वाली जागीरी प्रथा को समाप्त किया वहां फिर से हम सदन के सब सदस्य मिलकर चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जागीरदारी प्रथा को फिर से कायम करें; क्या मेरे मित्र ने इस ओर गौर किया है कि १०० रुपया लगान देते हैं, उसकी कितनी

(श्री सूबेदारसिंह)

जमीन होती है। एक रुपया बीघा लगान की जमीन हो तो १०० बीघा का लगान देते हैं, उसकी कितनी जमीन होती है। एक रुपया बीघा लगान की जमीन हो तो १०० बीघा, और दो रुपया बीघा के लगान की जमीन हो तो ५० बीघा और हमारे यहां तीन चार रुपये के दर की मामूली जमीनें हैं जो किसी कदर २०, २५ बीघा से ज्यादा नहीं जातीं।

ठीक है राजस्थान में जागीरदारी प्रथा थी, बड़े बड़े जागीरदार थे पर इस बहस को करते समय यह सोचना चाहिये कि ये बड़े बड़े जागीरदार थे वे उंगलियों पर गिने जाने वाले थे; थोड़ी ही मात्रा में ये चन्द व्यक्ति ही जमीदार थे। अब २०,२५ बीघाया ५०—१०० बीघा जमीनों को फ्री करना चाहते हैं तो हमारे प्रान्तों की सबसे बड़ी भूमि का बंटवारा जागीरदारों के हाथ में चला जायगा और हम इस प्रस्ताव से उन काश्तकारों को फिर से जागीरदार और माफीदार बनाने जा रहे हैं।

(१. ४२ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, यह बिल्कुल निश्चित और तय शुदा बात है कि जिस चीज के लिये ई कुछ देता नहीं, वह उसकी कद्र नहीं करता। आज किसान जो जमीन बोता है, उसको इस बात का फिक्र है कि उसको उसके लिये लगान देना है इसलिये उसका सारा परिवार उस जमीन में मेहनत करने में लगा रहता है और सारे के सारे परिवार के लोग उस जमीन पर धंधे में लगे रहते हैं........

श्री शिवचरणदास : उसके बाद भी उन किसानों की हालत क्या है ?

श्री सूबेदारसिंह : ठीक है, आज वे साधन है या नहीं हैं, पर हम रोजाना सरकार से प्रश्न कर के बहस में और इन्टर्व्यू लेकर अपने अपने इलाके के किसानों की बातों का रिप्रजेन्टेशन करते हैं कि वहां पर ज्यादा कुएं खुदवाये जांय, नहरें लाई जांय, तालाब बनाये जांय, नये आधुनिक तरीके के कृषि की उन्नति के साधन उन्हें दिये जायं, रोजाना सुझाव देते हैं और सरकार से याचना करते हैं और सरकार भी इस ओर अग्रसर है।

अभी दो ही दिन की बात है, राजस्थान केनलका उद्घाटन किया गया है जो किसानोंके हित के लिए है। अध्यक्ष महोदय, १०० रु० तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त करने की बात करते हैं यह ऐसी हालत में कैसे उचित हो सकती है। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि मुफ्त में जमीन देते हैं तो जमीन की कीमत नहीं रहेगी और किसान उसकी कीमत नहीं समझेंगे, उसकी उपयोगिता नहीं समझेंगे, यदि आप उस जमीन पर किसी प्रकार का लगान नहीं लगायेंगे तो किसान लोग उस जमीन में से बहुत सी जमीन को बंजर की तरह पड़ी रखेंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ हमको यह भी सोचना होगा कि हमारे यहां राजस्थान में जो एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, यहां पर कितनी ऐसी जमीन है कि जिस पर काश्तकार १०० रु० से ज्यादा लगान देते हैं। आप एक तरफ तो सीलिंग चाहते हैं और दूसरी तरफ यह चाहते है कि काश्तकार को १०० रु० तक के लगान से मुक्त किया जाए। यह वाजिब बात नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है उसको वापिस ले लेंगे। इसी में काश्तकारों

Page No.43

(श्री सूबेदारसिंह)

का हित है। क्योंकि जब लोग किसी जमीन का लैन्ड रेवेन्यु देते हैं तो उस जमीन से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। उनको उस जमीन से ज्यादा ममता होगी जब वे लगान देंगे और जब जमीन से ममता होगी तो वे लोग ज्यादा अन्न पैदा करेंगे और उससे देश की खाद्यान्न की कमी पूरी होगी।

श्री जनार्दनराय नागर (माथली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है इसके लिए तो मैं उनकी बुद्धि की निश्चित रूप से तारीफ करना चाहता हूं। मैं यह पहले ही कह देना चाहता हूं कि यह बड़ा मायावी प्रस्ताव है और वह मायावी इसलिए है कि इससे काश्तकारों का हित होगा या नहीं, लेकिन ज्यादातर अखबारों में प्रचार होने का जहां तक प्रश्न है, हो जायगा। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव अत्यन्त आकर्षित कहा जा सकता है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि प्रस्तावक महोदय ने इसमें काश्तकारों का हित नहीं देखा है, बल्कि अपनी आगे होने वाली शोभा का ही ध्यान दिया है, क्योंकि वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि आज राजस्थान में कितनी इस प्रकार की जमीन है जिससे १००) से ज्यादा लगान सरकार को वसूल हो सकता है। इसके अलावा भूमि पर अधिकार किसका है? भूमि पर अन्ततोगत्वा, आखिर तो मालिकाना अधिकार सरकार का ही है और जो लोग भूमि के मालिक हैं, मुख्तलिफ वे कौन लोग हैं? माननीय उपाध्यक्ष, जो काश्तकार हैं वे भूमि के मालिक हैं लेकिन अत्यन्त महत्व की बात तो यह है कि भूमि की मालिक सरकार ही है। इस तथ्य को मेरे माननीय मित्र ने ध्यान में नहीं रखा है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर शहर में रहने वालों से टैक्स नहीं लिया जाता है इतनी कम आमदनी पर उसी प्रकार गांव में किसानों से भी १००) रु० तक लगान देने वालों को कर से मुक्त किया जाना चाहिये। अगर आप इसके मूल में जावें तो यही अर्थ हैं कि १००) तक की जमीन की आमदनी वाले काश्तकारों से लगान नहीं लिया जाना चाहिये। मगर मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी प्रकार का उनसे कर नहीं लेते हैं तो भूमि को उन किसानों को देंगे कैसे? आखिर यह तो राज्य की चीज है, राज्य की संपत्ति है; राज्य की संपत्ति को अगर कोई नागरिक उपयोग में लाता है, अपने लाभ के लिये तो उससे आप कोई न कोई मूल्य तो लेंगे ही। तब यह प्रश्न आता है कि भूमि का खुद का मूल्य लें। जब कोई जमीन लेना चाहता है तो उससे उस जमीन की कीमत ले ली जावे। क्या आपका यह मतलब है कि जो जमीन जोतने के लिये ले वह उसका मूल्य दे दे। अगर ऐसा हो तो एक बीघा पर वह क्या देगा? यदि आप किसान के पास जितनी जमीन होती है उस पर लगान की दर को देखें तो आपको मालूम होगा कि जो लगान एक काश्तकार २० वर्ष में सरकार को देता है वह कीमत एक बीघा जमीन की उसको खरीदते समय देनी होगी। इसलिये जो काश्तकार लगान इस समय देता है वह समाजवाद की व्यवस्था को देखते हुए और उसके आधारभूत तरीकों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ठीक हैं। यदि हम इसमें कुछ परिवर्तन करें और यह चाहें कि काश्तकार अधिक खेती कर सके तो मैं यह कहूंगा कि यह किसान के हित में नहीं होगा। यदि हम यह करें कि १००) रु० तक का लगान हटा लेते हैं और किसान से कहें कि २०-२५ बीघा जमीन

(श्री जनार्दनराय नागर)

खरीदे तो मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जो लगान काश्तकार से लिया जाता है उसको देखते हुए काफी अधिक रकम किसान को उस पर खर्च करनी होगी, क्योंकि मामूली किसान के पास जो जमीन होती है उसकी कीमत ३ हजार या ४ हजार रुपये होती हो और एक बीघा पर १० रुपया भी मान लें तो भी काफी रुपया लगान का पड़ेगा।

इसके अलावा अभी हमने यह कानून खड़ाउ का बनाया उसमें यह किया था कि काश्तकार लोग कुछ वर्षों तक का शामिल लगान दे सकते हैं, मगर उसमें किसानों ने खड़ाउ के अधिकार प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिये किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी या नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन समाचार पत्रों की सहानुभूति तो प्रस्तावक महोदय को जरूर मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : You will not refer those matters which are not related.

श्री जनार्दनराय नागर : तो मैं यह कहना चाहता था, अखबारों के लिये नहीं कहना चाहता था मगर प्रस्तावक महोदय के इस संकल्प का प्रचार हो जाएगा इसके लिये कह रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बड़े बड़े सवाल हैं जिसमें खास प्रश्न यह है कि शहर वालों को कम टैक्स देना पड़ता है। मगर मैं यह कहूंगा कि शहर में इनकम टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है और दूसरे भी कई प्रकार के टैक्स शहर वालों को देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं उनको हर चीज की कीमत पर टैक्स देना पड़ता है। मगर किसानों को इस तरह से देखा जाए तो ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। किसान लगान तब देता है जब वह भूमि आबाद करता है। कभी कभी भूमि, किसान को बिना किसी लगान पर ही दी जाती है और वह उसको आबाद करता है और उसके बाद में ३ साल की अवधि होती है, उसके बाद उसको मामूली सा लगान देना होता है। कहने का तात्पर्य यह कि तीन साल बाद किसान लगान देना शुरू करता है और वह भी बहुत कम दो या ढाई पर्सेन्ट। मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दुस्तान में हमको २०-२५ वर्षों में इस लगान की प्रथा को समाप्त करना होगा और लगान की जगह कोई दूसरी आर्थिक व्यवस्था भूमि के लिये करनी होगी, लेकिन उसकी क्या व्यवस्था होगी, क्या मूल्य होगा यह राज्य सरकार व किसानों के बीच में आपसी मामला होगा मगर उसकी आज कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि अगर आज आप लगान को हटा देते हैं तो पैसे की व्यवस्था है वह नहीं रहती। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि यह लगान की प्रथा जो आज से सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही है उसका आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा स्थान है। अगर हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें कोई दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि से व्यवस्था कायम करनी होगी। माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है कि १००) तक लगान नहीं लिया जाय उसका मतलब यह है कि लाखों किसानों से लगान नहीं लिया जावे इस प्रकार की आप बात करते हैं। इससे मैं यह कहूंगा कि राज्य को करोड़ों रुपये की आमदनी से हाथ धोना पड़ेगा। इससे आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा भारी असर होगा। इसलिये यह उचित नहीं हो सकता। आज भले ही मेरे मित्र किसानों से जाकर कहें कि उन्होंने १००) तक लगान हटाने की बात कही है, तो मैं यह कहूंगा कि किसान लोग भी इस

(श्री जनार्दनराय नागर)

बात को पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि किसानों के पास आज १०–२० बीघा जमीन है और उसको लगान के रूप में जो रुपये देने पड़ते हैं वह धीरे धीरे २० वर्ष में देता है और अगर वह उसी जमीन को खरीदता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। इन सब बातों को सोचने के बाद मैं यह कहूंगा कि किसान कभी भी इसको मंजूर नहीं करेगा। आज की राजस्थान की स्थिति है उसको हम खराब नहीं करना चाहते हैं। मगर आज से १५–२० वर्ष बाद हमें कोई दूसरी व्यवस्था कायम करनी होगी। आज मैं यह कहूंगा कि लगान के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति और किसानों की यह मनोविज्ञान की स्थिति हो गई है। माननीय मित्र ने यह बात कही, यह ज्यादा चलने वाली नहीं। मैं यह मानता हूं कि यह धीरे धीरे जब देश का काफी विकास हो जाएगा किसानों के पास भूमि के साथ दूसरे औद्योगिक विकास के साधन हो जाएंगे उस समय आप ऐसा करने की बात सोच सकेंगे। आज अगर आप किसानों से यह कहें कि लगान मत दो और जमीन खरीदो तो किसान भारी मुश्किल में पड़ जावेगा और राज्य को भी इसमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

श्री मदनसिंह दांता : आपका सुझाव....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! आप जारी रखिये।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कहूंगा कि लगान को किसानों से छोड़ देने की बात इसलिये करें कि किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स हैं, उन पर पंचायतों से टैक्स लिया जाता है तो प्रजातन्त्र युग में प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये तो हमको टैक्स लगाना ही होगा, राज्य की आय को बढ़ाने के लिये हमें टैक्स तो लगाना ही होगा और उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के सभी सभ्य से सभ्य मुल्कों में इस प्रकार के टैक्स लगते हैं और वे लोग इस प्रकार के टैक्स देते हैं। जनतन्त्र में यह टैक्स सभी जगह मौजूद हैं। जो लोग यह कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया जावे तो मैं यह कहूंगा कि वे किसी प्रकार से जनतन्त्र के हामी नहीं हैं।

इसीलिये आज यह कहना कि किसानों पर टैक्सों का बहुत बड़ा बर्डन है इसलिये यह माफ कर दिया जावे, यह किसानों के हित में नहीं है। जो किसान ४००० की नेट इन्कम पर मुनाफा उठाता है तो भी आप कहते हैं कि उससे टैक्स नहीं लगाया जावे, यह उचित नहीं है जबकि राजस्थान के सभी लोगों पर यह टैक्स लगाया जाता है।

(२ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, यदि १३–१४ हजार की ग्रोस इन्कम किसान की हो, डिडक्शन देने के बाद चार हजार रुपया नैट मुनाफा रहे तो उस पर टैक्स लगाते हैं और वह १२५) तक आवेगा। आप यह भी देखियेगा कि एक लाख किसानों में से लगभग १२५ पर ही इसका असर पड़ता है तो मैं नहीं समझता कि आम किसानों पर इसका असर पड़ता है और यह कहा जाय कि किसानों पर काफी टैक्स बढ़ा दिया गया है। किसान ग्रामों में रहते हैं, जहां पंचायतें हैं, एवं जहां छोटी-मोटी सुख सुविधाओं की व्यवस्था उनके लिए है। यदि पंचायतें थोड़ा बहुत टैक्स लगाती भी हैं तो कुल मिलाकर यह कहना कि किसानों पर इतना भारी बर्डन राज्य की नीति से डाल दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह केवल एक प्रचार की दृष्टि से ही ठीक हो सकता है लेकिन यदि

(श्री जनार्दनराय नागर)

इसको सचाई की दृष्टि से देखें तो यह सही नहीं है। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि शहरों और गांवों में जो आज भेद नजर आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा लेकिन यदि उसको आज हटाने की बात मान लें और यदि सदन इस प्रस्ताव को मान ले तो मैं समझता हूं कि किसान समाज को अनायास ही भारी मुसीबत में, असमंजस में डाल देंगे। मैं मानता हूं कि इस प्रस्ताव में एक दार्शनिक प्रचार की छटा छिपी हुई है। आज हम देखते हैं कि टैक्स देने वाले जो किसान हैं उनकी संख्या लाखों की है और यदि उनको एक सम्मोह में डाल देते हैं और राज्य की जो एक निरन्तर जमी हुई आर्थिक आय है उनको रौंद देते हैं तो यह ठीक नहीं होगा किन्तु समाज के लिए एक घातक बात होगी। यदि हम राज्य की रेवेन्यू पॉलिसी पर विचार करने बैठते हैं तो हमें कई प्रकार से इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं मेरे माननीय मित्र को कहना चाहता हूं कि राज्य की जो नीति है वह मूलभूत राष्ट्रीय नीति है, उसके प्रति यदि हल्की फुल्की प्रचारात्मक दृष्टि से कहें तो वह ठीक नहीं मालूम होता। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की जो रेवेन्यु नीति है वह एक प्रगतिशील नीति है, राजस्थान के विकास की सही दिशा में वह नीति जा रही है और जो परिवर्तन किये जा रहे हैं या किये जाते रहे हैं वे एक निश्चित प्रगतिशीलता की दृष्टि से किये जा रहे हैं। राजस्थान का समाज एक कृषक समाज है, इसके मार्ग में जितने अवरोध थे वे धीरे धीरे इस नीति के द्वारा दूर किये जाते रहे हैं, जिस किसान का शोषण होता था उसको दूर किया और विकास की ओर इस नीति के द्वारा लाया जा रहा है। जो हल्के-फुल्के इस नीति के द्वारा परिवर्तन किये गये हैं, जो रद्दोबदली भूमि के प्रश्न को लेकर हुई हैं, जो आज परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं वे सब इस नीति के परिणाम स्वरूप हैं और उसका एक कारण है जो आज स्पष्ट रूप से हमारे सामने विद्यमान है। उसी नीति के कारण चौथा बांटा था वहां छठा किया गया, जिन किसानों का जागीरदारों द्वारा शोषण किया जाता था, जो जागीरदारी के शोषण के नीचे पिस रहे थे उनको दूर किया और उसके परिणाम स्वरूप जागीरदारियों को समाप्त किया। जब इसी नीति के अनुसार चलते हुए सीलिंग तय करने की स्थिति में आते हैं तो मेरे मित्र एक दार्शनिक प्रस्ताव, विचित्र प्रस्ताव लेकर आते हैं और कहते हैं कि सरकार को १००) तक लगान देने वाले किसान से लगान नहीं लेना चाहिए। वे कहें या न कहें, महाभारत में लिखा है कि राजकीय नीति है वह "विदुर उवाचः" नीति है। यदि किसानों को लगान से माफ कर दिया जाय तो इसके माने यह है कि किसान जमीन को खरीद सकता है, उस हालत में एक बीघा पर १५०), २००) देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि किसान को मुफ्त में जमीन दे दी जाय तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वाभिमानी किसान कभी भी मुफ्त में जमीन नहीं लेगा। किसान के सामने बड़े दल-दल आते हैं और वह राज्य सरकार से मुफ्त मांगने के लिए इन्कार कर देता है। जो किसान दलदलों में फंसा रहा, गिरा, उठा और जिसने उन दलदलों के आते हुए भी अपने घुटने नहीं टेके वह किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसको मुफ्त में जमीन दी जाय और दी भी जाती है तो वह उसको स्वीकार नहीं करेगा, यह उसका एक स्वाभिमान है। समाजवादी समाज की व्यवस्था यह नहीं कहती कि काश्तकार को मुफ्त में जमीन दे दी जाय। समाजवादी समाज में व्यक्ति

(श्री जनार्दनराय नागर)

का स्वाभिमान प्रमुख है और यदि वह स्थिति आयी कि लगान लेने की आवश्यकता नहीं है तो अवश्य ही भूमि का मूल्यांकन करना होगा और उसको सरकार लेगी। सरकार को एक बीघे की कीमत १५०), २००) रखनी पड़ेगी लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। यदि इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा जाय तो मैं समझता हूं कि केवल किसान समाज को इस समय एक संकट में डालना होगा।

इस प्रस्ताव का जो मकसद है, उपाध्यक्ष महोदय, वह बिलकुल स्पष्ट है। सीलिंग लागू करना चाहती है सरकार। कृषकों का एक जमा हुआ स्तर का वर्ग है जिनको शोषण करने वालों ने, सामन्ती तत्वों ने रोंद रखा है, जब राज्य सरकार की नीति के द्वारा उन शोषणों को और सामन्ती तत्वों को दूर किया गया तो किसान को यह दृष्टिगोचर होने लगा कि उनके विकास की यह सीढ़ी चलती रहे, राज्य सरकार की विधि द्वारा उन तत्वों को दूर किया गया और जब भूमि के समीकरण करने की परिस्थिति आयी तो यह कहा गया इस प्रस्ताव के द्वारा कि उनसे टैक्स न लिया जाय। इन्कम टैक्स की तीन हजार तक की छूट दी गई है और किसानों को कोई छूट नहीं है, लेकिन केवल इसके पीछे जो आदर्श की बात की जाती है वह आदर्श की बात नहीं की जा सकती। एक और चीज है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में जो लगान की मिकदार है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि आज नहीं कर सकते। उसके कई राजनैतिक कारण हैं, कई सामाजिक कारण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि का विकास हुआ हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हो रहा है और होगा, उसको देखते हुए एक बीघा पर जो लगान लेते हैं वह कम है। हमने एक्साइज टैक्स को हटाया और उसकी जगह सेल्स टैक्स लगाया लेकिन उससे २, २॥ करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ। यदि एक-दो रुपया लगान पर बढ़ा देते हैं, टैक्स लगाकर उसमें परिवर्तन कर दें, तो मैं समझता हूं कि इस विकास की दुनिया में हमको वह करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज नहीं कर सकते, यह बात हमारे माननीय मित्र को पसन्द नहीं आयगी। चूंकि भूमि का विकास हुआ है और उस हालत में यदि १, २ रुपया बढ़ा दिया जाय और उस कारण से विकास के कार्यों में उसकी मदद को काम में लिया जाय, भूमि का एक प्रतिदान किसान से लिया जाय उसको हम पसंद नहीं करते, माननीय मित्र उसको पसन्द नहीं करेंगे बल्कि वे तो इस प्रस्ताव द्वारा चाहते हैं कि १००) तक के लगान में छूट कर दी जाय। एक प्रचार मात्र की दृष्टि से यह प्रस्ताव है। कहने के लिए बहुत कुछ है, सोने के मृग की तरह है। सोने के मृग से रामचंद्रजी छले गये और इस प्रस्ताव से समाज के हृदय को छलने की कोशिश है। यह प्रस्ताव केवल एक स्वर्णिम मृग है। आज का राजस्थान आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के दौर से गुजर रहा है, एक परिवर्तन का दौर राजस्थान में आया है और राजस्थान का राजकीय आर्थिक प्रगतिशील नीति से विकास हो रहा है, उस विकास को रोकने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। जो विकास हुआ है और हो रहा है उसका मूल्यांकन ६ १० वर्ष में नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव का रूप बड़ा सुन्दर है, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रचार की दृष्टि से भी सुन्दर है। शूर्पणखा भी सुन्दर बनकर रामचंद्रजी के पास गई थी लेकिन उसको अपने नाक कान कटाने पड़े। आपका प्रस्ताव बड़ा सुन्दर है लेकिन

(श्री जनार्दनराय नागर)

आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य नहीं है इसलिए इसके कान और नाक काटने की जरूरत होगी। यह प्रस्ताव किसानों के हित का नहीं, किसान नहीं चाहता कि उसको मुफ्त में जमीन मिले। लेकिन यह एक विकराल विभीषिका है, मैं कहता हूं कि किसान के साथ एक दुरभि सन्धि है और सबको इससे सावधान होना चाहिए। आदर्श की ओर आकर्षक बातें कहना एक सरल चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें, हिन्दुस्तान में किसी ने जिम्मेवरी के साथ उपदेश नहीं दिया। वे किसानों की आज हित की बातें कहते हैं ताकि किसान एक विभीषिका में पड़ जाय। उनको महरबानी करके सोने का मृग नहीं बताइये। उनको शूर्पणखा की तरह सुन्दर बनाकर न भेजिये जिससे उसका नाक और कान काट दिये जायं। यदि किसान का विकास करना है, किसान की भूमि का विकास करना है तो उसको इस दुरभिसन्धि से पृथक रखिये। चाहिये तो यह था कि जो भूमि का विकास हुआ है और आगे विकास के लिए १), २) लगान में बढ़ाया भी जाय तो कोई अनुपयुक्त नहीं। लेकिन आज नहीं; इससे मैं सहमत हूं हिन्दुस्तान में २५-२५ वर्ष के बाद किसान के पास भी अन्य प्रकार की सुविधायें होंगी, उनके पास सुख और सुविधायें हों, धीरे २ लगान नष्ट होगा और तब भूमि का मूल्यांकन तय करना पड़ेगा। एक समय आयगा जब हमें बैठ कर तय करना पड़ेगा कि समूचे लगान बन्दी के बाद क्या चीज़ लायी जाय। उस वक्त किसानों के अन्दर आर्थिक क्षमता बढ़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि पांच-दस बीघों की कीमत तीन हजार रुपया देने को तैयार हो उतनी क्षमता उस किसान में हो। वैसी हालत में किसी भी कार्य को करते हैं और उसको ठीक तरह से विकसित करने में क्षमता उत्पन्न हो या क्षमता उत्पन्न कराने का प्रयत्न हो। ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि यह जो सौ रुपये तक की लगान माफ कर दी जाय इस प्रस्ताव से किसी का हित होने वाला नहीं और मैं इसमें किसी भी प्रकार का किसान का हित नहीं मानता।

(श्री किशनसिंह एवं डा० चंद्रकला के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

श्री किशनसिंह (बट्टड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई दफा खड़ा हुआ लेकिन मुझे बोलने के लिये समय नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : महिला सदस्या खड़ी हैं, उनको पहले मौका दिया जाना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये उसके बाद मैं बोल लूंगी।

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को सुना, मुझे यह प्रस्ताव बहुत ही सुन्दर लगा। किसी ने भी सुना उसको यह लड्डू की तरह मालूम हुआ, लड्डू नाम सुनकर हर एक का जी ललचाता है, अगर उसमें जहर हो तो कहीं खाकर मर न जायं, यह प्रस्ताव इसी तरह का है, जो बड़ी सुन्दरता के साथ रखा गया है। किसान सुनेंगे तो कहेंगे कि देखो कितना अच्छा प्रस्ताव लगान माफ का रखा गया है, लेकिन प्रस्ताव कहां से आया, किसने रखा जब यह उनको पता चलेगा तो वे विचारेंगे कि कल सुबह तक जो लोग मर रहे थे, किसानों पर लगान लगा रहे थे जो लोग किसानों को अपने साथ तक नहीं बैठने देते थे आज वे

Page No.49

(श्री किशनसिंह)

ही लोग कहते है कि लगान माफ कर दिया जाय। अब हमें देखना है कि उनमें इतना जल्दी परिवर्तन कैसे हुआ ? मैं अर्ज करूंगा एक हमारे वयोवृद्ध सदस्य, शासन करते हुए जिनको चालीस वर्ष हो चुके, जिन्होंने अपने राज्य में पचासों तरह की लाग-बाग लीं और आज शासन की आलोचना कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यक्तिगत प्रश्न को लाकर न रक्खें। यहां बहुत बड़े प्रश्न को लेकर चल रहे हैं।

श्री किशनसिंह : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, बल्कि दांता के जागीरदार साहब की बातें कह रहा हूं; किसी सदस्य की बात नहीं। उन्होंने अपने शासन काल में कितनी लागें लगा रक्खी थीं। उनको सोचना चाहिये कि उनके समय में और आज के समय में कितना अन्तर आ गया है ! कितनी प्रकार की लागें थीं. क्या वे किसानों को अपने पास गढ़ में बैठने देते थे ! अपने जूते के पास भी बैठने नहीं देते थे। यह हालत थी आज से पांच वर्ष पहले इन किसानों की। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि दांता ठाकुर के शासन काल में एक एक जमीन के दो दो पट्टे दिये गये; उसी पट्टे की नकल दूसरे को भी दे दिया करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यक्तिगत किसी भी सदस्य के बारे में कुछ न कहें, किसानों तक ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, दांता की जागीर में जो लेन्ड रेवेन्यू था वह सभी जगह कर दिया जाय। पता नहीं वहां क्या लगान है अब तो दांता की जागीर में भी पहले से बहुत अधिक लगान बढ़ गया है।

श्री किशनसिंह : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव न रख कर ऐसा प्रस्ताव रखते कि जो मुआवजा जागीरों का वे ले रहे हैं वे आज से नहीं लेंगे, मैं उनको यह राय दूंगा, पहले वे मुआवजे को माफ कर दें। लेकिन वे तो खुद ऐसा नहीं करने वाले हैं और जो जहर का लड्डू है उसे उन्होंने किसानों के जेब में रखना ठीक समझा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान खुद यह महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि किसानों को लगान माफ कर दिया जाय, वे लोग कैसे हैं उनके शासन काल में क्या क्या जुल्म ज्यादतियां किसानों पर होतीं थीं, आज ये सारी बातें किसान समझने लग गया है। वह आज यह भी जानता है कि किसमें उसका फायदा और किसमें उसका नुकसान है। आज का किसान भोला नहीं। जिस किसान को दस वर्ष पहले लूटते थे, जो अपने जूते के पास भी किसान को बैठने नहीं देते थे, ये वे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है। किसान समझने लगा है कि यह प्रस्ताव जो लगान माफ करने के लिए रखा गया है वह केवल इसलिए रखा गया है कि जाकर वे किसानों को यह कह सकें कि हमने तो आपके लिये यह करवाना चाहा. लेकिन उनको यह याद रखना चाहिये कि आज का किसान भोला नहीं है, आपकी बातों में आने वाला नहीं है। वह जानते हैं कि जब आपका शासनकाल था उस समय आपने क्या क्या जुल्म उनके साथ किये। आपको यदि इस प्रकार की कोई शुरूआत करनी ही है तो पहले अपने

(श्री किशनसिंह)

मुआवजे से शुरूआत कीजिये। आज आप यह कहते हैं कि किसी प्रकार टैक्स नहीं लगाना चाहिये। दूसरी तरफ आप यह भी कहते हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाहें कम हैं, हमारे गांवों में शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो ऐसी हालत में आपको यह सोचना होगा कि इन सब बातों की पूर्ति बिना टैक्स के कैसे हो सकती है इन बातों का समन्वय कैसे बैठ सकता है? इन शब्दों के साथ मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव न तो हाउस के स्वीकार करने योग्य है और न जनता के लिये ही उपयुक्त है। इसलिए मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है: वे अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे और नहीं लेते हैं तो हाउस को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। अब मैं इतना कह कर बैठ जाता हूं, महिला सदस्या को बोलने का मौका देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मौका नहीं देंगे, अब तो मेरे हाथ में है मौका देना न देना। आप तो बोल चुके।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है इसमें जहां तक किसानों के प्रति सहानुभूति की भावना की झलक है इसका मैं सम्मान करती हूं लेकिन जहां तक इस संकल्प की अव्यावहारिकता का संबंध है मैं इस संकल्प का विरोध करती हूं।

किसान हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, हमारे समाज के पोषक हैं, वे समाज का पालन करने वाले हैं इसलिए हम सब की यह राय है कि किसानों को जीवन की सुख सुविधायें प्राप्त हों। उन्हें अपने कारोबार को चलाने के लिए सुन्दर और आधुनिकतम साधन प्राप्त हों, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनके बाल बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिले, ये सब चीजें किसान के लिए आवश्यक हैं। लेकिन ये सब सुविधायें इस प्रकार के संकल्प द्वारा मिल नहीं सकतीं, इसका मार्ग दूसरा होगा।

आज जो हमारी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को हम सबने स्वीकार किया उस व्यवस्था में यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले मैंने सदन का ध्यान वर्गभेद की भावना की ओर आकर्षित किया था, उस समय मैंने यह बताया था कि जब से कांग्रेस पदासीन हुई तब से हमारे समाज में शासक और शासित, ये दो वर्ग उत्पन्न हुए और इस संकल्प के प्रस्तुत करने में भी मुझे यही भावना नजर आती है, यही वर्गभेद की भावना इस संकल्प को लाने में प्रेरक बनी है। आज जनता और सरकार दोनों सिद्धांतः एक होते हुए भी दोनों में भेदभाव है। आज जो सरकार कार्य कर रही है वह सरकार अपने राजनैतिक अधिकार का यानि मताधिकार का उपयोग करके बनी है। इस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है, एक एक किसान, एक एक नागरिक और एक एक व्यक्ति ने इसे स्वीकार किया है। जब हमने इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार किया है वैसी हालत में यह आवश्यक है कि शासन में हर एक का सहारा लगे। आज हम जो १०० रुपये तक के लगान को माफ करने की बातें करते हैं, उसके साथ साथ हम यह भूल जाते हैं कि हमारे प्रान्त के अधिकतर निवासी किसान ही हैं और उसमें से भी बहुत अधिक लोग १०० रुपये तक का लगान देने वाले हैं, तो क्या हम यह सोच सकते हैं कि इस प्रकार के किसानों से लगान न लिया जाय और बिना लगान लिए

(डॉ० चन्द्रकला)

ही सरकार का ढांचा खड़ा रहे। हम लोग भी जो २०० रुपया मासिक और साढ़े बारह रुपया प्रतिदिन का और प्रथम श्रेणी का किराया लेते हैं वह आखिर आता कहां से है ? किसानों से राजस्व लेकर हमारे कोष में धन एकत्र किया जाता है.............

श्री मदनसिंह दांता : आज से ही पचास रुपये कर दीजिये।

डॉ० चन्द्रकला : (जारी रखते हुए) कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप प्रत्यक्ष कर दिखाइये, कल से ही सरकार से मांग करना बन्द कर दीजिए कि हमको स्कूलें नहीं चाहिये अस्पताल नहीं चाहिये और अपने आप ही सब प्रबन्ध करना शुरू कर दीजिए। आज सामूहिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे को सहयोग दें। आज हमें शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए जहां किसानों की उन्नति के लिए कार्य होते हैं वहां किसानों का भी यह कर्तव्य है कि वे राजस्व के रूप में सरकार को सहयोग दे और सरकार उस धन का उपयोग जनता के सुख-साधन जुटाने में करे। यह बात दूसरी है कि आज जो यह तरीका है, जो आज यह सरकार की व्यवस्था है, उसमें कुछ दोषारोपण हो सकता है, सरकार की व्यवस्था की कमियों के लिये क्या जिम्मेदारी है, यह अभी सोचने की बात नहीं है। पर मैं कहना चाहती हूं कि एक पक्ष की बात को लेकर १००) रुपये तक की आय वाले किसानों को माफी दी जावे, इतना ही काफी नहीं है और सचमुच अगर ऐसा करना है तो गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा कि यह सारी व्यवस्था कैसे चलेगी ! आज तो हम कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये और वह नहीं होना चाहिये, पर हम सरकार से जो मांगें करते रहते हैं वे कैसे पूरी होंगी ? जहां मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं वहां मैं अपनी सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार आजकल नगरोन्मुखी ज्यादा है, वह गांवों से विमुख होती जा रही है। कौन नहीं स्वीकार करता कि हमारा जो बजट बनता है उसकी बहुत सी आमदनी किसानों से आती है, पर वहां से आकर खर्च कहां होती है, यह भी हम जानते है। मै छोटे से गांव का उदाहरण दूं। अगर छोटा सा हिसाब लगाया जावे तो मालूम होगा कि जिस दिन से गांव बसा उस दिन से आज दिन तक राजस्व के हिसाब में उसने कितना दिया और इसके साथ ही हम उसका जमा नाम देखें तो उतने सारे समय में सरकार के खजाने में कितना आया और उसके बदले में गांव को सरकार ने क्या दिया, इसको देखेंगे तो पता लगेगा कि देने के मुकाबले में उसको जो मिला वह बहुत ही नगण्य सा है और इसी कारण से आज यह संकल्प किसान का ध्यान आकर्षित करेगा, सस्ती लोकप्रियता आकर्षित करेगा। सरकार का यह हाल है कि वह गांवों से न केवल विमुख है पर उसके आदान-प्रदान में भी कमी है। इसी चीज को लेकर एक तरह का असन्तोष लोगों में रहता है।

अभी गंगनगर का जिक्र आया जहां संसार की सर्व प्रथम लम्बी व सर्वोत्तम नहर योजना का समारम्भ हम अभी करने जा रहे हैं, वहां पर ...

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): वह किसके लिये है ?

डॉ० चन्द्रकला : वह किसानों के लिये

(डा० चन्द्रकला)

होगा, मैं यह कह रही हूं। पर एक छोटा सा उदाहरण तो आप देखें कि कुछ दिन पहले एक छोटी सी संस्था को एक लाख रुपया दिया गया। मैं सरकार को बधाई देती हूं संस्था की ओर से इस उदारता के लिये। पर इसी जगह दूसरी भी एक संस्था है जिसमें की मन्त्री महोदय पधारे हैं। उसमें दो तीन हजार लड़के पढ़ते हैं, २५० से ३०० विद्यार्थियों के लिये होस्टल भी है; सभी कुछ है पर उस संस्था को आज तक सरकार की ओर से एक पैसा भी सहायता का नहीं मिला। मैं वहां के किसानों की ओर से पूछना चाहती हूं कि क्या वहां पढ़ने वाले बच्चे के मां-बाप लगान नहीं देते हैं ?

एक माननीय सदस्य : वह कौनसी संस्था है, बताइये ?

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा इसी आवाज पर)

डॉ० चन्द्रकला : गंगानगर का गुरु नानक कॉलेज और हाई स्कूल। (मुख्यमन्त्री को लक्ष्य करते हुए) इसमें आप गये हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : एक लाख किसको दिया ?

डॉ० चन्द्रकला : ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह गांव में है या शहर में ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं इसको कहते हुए गांव-शहर की बात नहीं बोल रही हूं, पर यह बताना चाहती हूं कि शिक्षण संस्थाओं को भी आप किस प्रकार पक्षपात की नजर से देखते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं संकल्प के दायरे को ज्यादा विस्तृत कर देना पसन्द नहीं करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो यह बताना चाहती हूं कि इस संकल्प का विरोध मैं करती हूं, पर संकल्प की भावनाओं को लेकर लोगों में एक तरह की कुभावनाएं होती हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूं, जो आवश्यक है। और इसलिये मैं मानती हूं कि मैं संकल्प के दायरे में हूं। जिसका भी सरकार के खजाने में पैसा आता है उसको उसका उचित प्रतिकार मिलता रहे, उचित आदान-प्रदान होता रहे, इसकी सिफारिश मैं करना चाहती हूं और यह भी साफ है कि हमारी सरकार की प्रणाली में कहीं न कहीं थोड़ी त्रुटी है जिसको कि सरकार को ठीक करना चाहिये। अगर वह ठीक करती है तब तो ठीक है, नहीं तो सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं पायेगी। यह तो मैं मानती हूं कि यह संकल्प किसी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि मूलभूत रूप से यह गलत है। हम व्यवस्था एक स्वीकार करें और जो साधन उसके लिए उपलब्ध कराने चाहिये वे न करें, तो यह होने वाला नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा, इस सरकार का ध्यान इस संकल्प को देखते हुए इस ओर दिलाना चाहती हूं कि वह उसके कारणों को देखे, इस संकल्प को लाने वालों को प्रेरणा किन कारणों से मिली उसे देखे और अगर नहीं देखा और इसी तरह से पक्षपात या कुछ इसी तरह की बातें होती रहीं तो सम्भव है कि एक दिन वह आएगा जब किसान खुद इस प्रकार के प्रस्ताव लावेंगे

(डॉ० चन्द्रकला)

कि क्यों नहीं वे १०० रुपयों तक आमदनी वाले लगान देना बन्द कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष : Hon' ble Minister to reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बोलना शुरू कर दिया।

डॉ० चन्द्रकला : आप बोल चुके हैं इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : मोहरसिंह जी आप बोल चुके हैं इस पर। दुबारा बोलना चाहते हैं क्या ? दुबारा की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री गिरधारीलाल : मैं नहीं बोला साहब, मैं बोल दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा विश्वास है कि आप किसानों के वकील हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मानो उधर तो किसान ही किसान हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो मिनिट तक तो मौन रहे और अब बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं।

श्री लच्छूराम : मैं बोल दूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : शुरू करिये।

श्री लच्छूराम (मडावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प यह है कि सौ रुपये तक लगान देने वाले किसान से लगान न लिया जावे। संकल्प जिस विचारधारा को लेकर रक्खा गया है, उसमें दो राय नहीं हैं।

प्रश्न यह आता है कि इसके पक्ष में बोलें या विपक्ष में, तो इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं कि सौ रुपए तक लगान देने वाले किसान के लिए यह लाभदायक है और इसका विरोध करने का सवाल नहीं पैदा होता।

कहा यह जाता है कि अगर ऐसा किया गया तो राजस्व की आय बिलकुल ही खतम हो जावेगी। राजस्थान की लैंण्ड रेवेन्यू ६॥ करोड़ है। अगर इसमें से यह आमदनी निकाल दें तो दो करोड़ के करीब बचती है। अब इस संकल्प को मान लेने से जो ४॥ करोड़ का घाटा रहता है उसको आसानी से दूसरे तरीकों से पूरा किया जा सकता है। वह मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान में २.६० करोड़ रुपया जागीरदारों को मुआवजे का देते हैं, तो जब यह प्रस्ताव जागीरदारों की ओर से है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे १५ साल तक सन्तोष करें और यह २.६० करोड़ रुपया इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में छोड़ दें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अगर सरकार यह मान लेती है तो मैं संकल्प करता हूं। आज से मैं यह लेना छोड़ता हूं।

(करतल ध्वनि)

श्री लच्छूराम : माननीय रावल साहब ने इस प्रकार का जो आदर्श रक्खा है उसका मैं स्वागत करता हूं।

इसके अलावा फिर हम १७ लाख राजाओं को देते हैं भत्ते के रूप में। उसको भले ही हमारी असेम्बली नहीं ले सकती पर पार्लियामेंट को सिफारिश कर सकती है।

(श्री लच्छूराम)

इसके अलावा कमिश्नरियां हैं। उनका खर्चा कम किया जा सकता है। प्रशासन में इस कमी से अन्तर नहीं आएगा। फिर असेम्बली के सदस्य का पचास रुपया कर दीजिये, इससे मैं भी सहमत हूँ जैसा माननीय सदस्य ने कहा। इसी तरह मिनिस्टरों की तनख्वाह २६०) या २५०) रु० कर दी जावे तो इस तरह से यह कमी पूरी की जा सकती है आसानी से। तो जो लोग कहते हैं कि इसको मानने से राजस्व की आय कम हो जायगी और हमारा बजट घाटे का हो जावेगा तो यह समस्या हल हो जायगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नाम मात्र के २५) रु० लेना मैं मन्जूर करता हूं, बाकी का छोड़ता हूं।

(करतल ध्वनि)

श्री लच्छूराम: जैसा कि मुझे विश्वास है विरोधी पक्ष वाले सभी इस संकल्प के लिए तैयार हैं। पचास तो क्या पचीस के लिए भी तैयार हैं तो उधर बैठने वाले भी कुछ कह सकते हैं क्या!

एक माननीय सदस्य : हम २४) ले लेंगे।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप संकल्प पर बहस चालू रक्खें। छोड़ने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंहजी ने कहा है यह अपने आप गुफ्तगू कर लें ट्रेज़री बेन्चेज़ से।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वह छोड़ेंगे तो मैं हाजिर हूं। मैंने इतने आदमियों के सामने निवेदन किया है।

श्री लच्छूराम : जो माननीय सदस्य द्वारा २४-२५ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है यह तो एक प्रस्ताव ही है, जब कि उन्होंने खुले सदन के सामने इस प्रकार की घोषणा की है। यह बात आदर्श की बात होगी। हिन्दुस्तान में ही नहीं परन्तु दुनिया के अन्दर यह आदर्श की बात होगी कि राजस्थान के माननीय सदस्य २४-२५ रुपए लेकर राजस्थान के दबे हुए किसानों को लगान से मुक्त करा कर उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है।... ...

श्री बहादुरसिंह : लेकिन केरल में तो १२५ से १५० कर लिए हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हां तो फिर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!!

श्री लच्छूराम : केरल वालों ने १५० कर लिये हैं, तो अगर हम भी १५० पर आ जायें तो अच्छी बात होगी। यह भी आदर्श है।

श्री बहादुरसिंह : १२० तो कांग्रेस के ही टाइम में थे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य संकल्प पर आ जायें और इस प्रकार के वाद-विवाद को बन्द करें।

श्री लच्छूराम : मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सौ रुपए तक लगान देने वाले काश्तकार को लगान से मुक्त करने पर घाटे का जो सवाल हमारे सामने आयेगा, मेरा ख्याल है इस प्रकार हमारा घाटा पूरा हो जायेगा जो मैंने अभी बताया। घाटे वाली समस्या तो इस प्रकार से पूरी हो जायेगी। परन्तु खास चीज यह है कि हम इन कुर्सियों के ऊपर इस प्रकार से चिपक गए हैं कि यहां पर से हटना ही नहीं चाहते और जो आराम

(श्री लच्छूराम)

के साथ मिले हुए हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। यह जो पैसे घटाने आदि की बात है यह तो अव्यवहारिक बात है जो हम यहां पर आकर कह देते हैं....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो कहने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! आप पहले अध्यक्ष को एड्रेस करें और फिर कुछ कहें। मेरा यह निवेदन है कि आप बोलना आरम्भ करें उसके पहले अध्यक्ष को संबोधित करें; आज्ञा मांगें फिर बोलें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो मैं आज्ञा मांगता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : किस प्रश्न पर?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : किसानों की राहत के लिए मैं १० परसेंट से ज्यादा अपनी जागीर का रुपया देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप (श्री लच्छूराम) आरम्भ रखिये।

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि क्या सन् ४७ के बाद हिन्दुस्तान के आजाद होने पर किसानों को राहत मिली है और अगर मिली है तो कितनी मिली है? राजस्थान के किसान को मैं जहां तक समझता हूं बन्दोबस्त के अलावा उसे और किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है और बन्दोबस्त का भी श्रेय कांग्रेस सरकार के ऊपर नहीं है बल्कि बन्दोबस्त का श्रेय तो किसानों के ऊपर ही है। किसान और जागीरदार की जो डाइरेक्ट फाइट थी यह बन्दोबस्त उसी का परिणाम है। बन्दोबस्त के अलावा किसान को और कोई भी आर्थिक सहायता जहां तक मैं समझता हूं नहीं मिली है। कई माननीय सदस्य उधर बैठने वाले यह कह सकते हैं कि किसानों को हर प्रकार की तकावी दी जाती है, लोन दिया जाता है और हर प्रकार से उसको सहायता दी जाती है। मगर मैं तो यह कह सकता हूँ कि जिस किसान को तकावी दी जानी चाहिए उसको नहीं मिलती है और उसका फायदा दूसरे ही उठाते हैं और यह तकावी उन काश्तकारों को दी जाती है जो कि नाम मात्र के काश्तकार हैं या जो खुद खेती न करके दूसरों से खेती कराते हैं। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि सन् ४७ के बाद में बन्दोबस्त के अलावा और कोई खास किसानों को सहूलियत नहीं मिली है।

दूसरी बात यह है कि आजकल पिछड़ी हुई जातियों और बैकवर्ड क्लासेज़ और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, मैडिकल एड दी जाती है, शिक्षा की एड दी जाती है लेकिन राजस्थान के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सौ या चार सौ की आमदनी है लेकिन किसानों के लड़कों के लिए कोई भी छात्रवृत्ति या मैडिकल एड आदि की सहायता नहीं दी जाती है। इस तरह से जो गरीब किसान हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दिये जाने से यह बीस-पच्चीस वर्ष जैसी हालत में थे उसी हालत में रहते जायेंगे और आगे भी उसी हालत में रहते जायेंगे क्योंकि दूसरे कास्ट के आदमियों को तो सहायता दी जाती है जिससे वह ऊंचे चले जायेंगे और फिर गरीब किसान जो हरिजन नहीं हैं उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने से उसी बेढंगी रफ्तार से वह चलते रहेंगे..............

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी भी किसान से अपनी संस्था में फीस नहीं ली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने क्या क्या सहूलियतें दीं, वह सुनने को हम आतुर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि एक एक सहूलियत एक एक भाषण में आ चुकी है। हां, आरम्भ रखा जाये। माननीय सदस्य संकल्प को सामने रखकर बोलें।

श्री लच्छूराम : मैं संकल्प पर ही बोल रहा हूं कि किसानों को कोई भी राहत नहीं मिली है इसलिए सौ रुपया तक का लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त कर दिया जाये। किसान को पहले के सामन्तवादी युग में बहुत सताया गया है और उस युग के किसानों की इस युग के किसानों से तुलना करना सामाजिक दृष्टिकोण से या सामयिक दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं है। इसलिए किसान की अगर तुलना करना है तो जो हमारे पड़ौसी राज्य हैं चीन, रूस और अमेरिका आदि इन देशों के किसानों के साथ हमारे देश के किसानों की तुलना करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हमने किसानों को कितनी तरक्की दी है। आज राजस्थान के किसान से पन्द्रह वर्ष पहले के सामन्तवादी जीवन के किसान के साथ तुलना कर के हमें संतोष नहीं होना चाहिये। आज हमें देखना चाहिए कि चीन का किसान किस प्रकार का हो गया है, रूस का किसान किस प्रकार का हो गया है ! अगर हमारे यहां का किसान चीन, रूस और अमेरिका की बराबरी नहीं करता है तो हमें इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए कि किसान को काफी सहायता दी जाती है और किसानों के लिए काफी सुविधायें प्रदान कर दी हैं तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सामन्ती युग के किसानों की तुलना आज के युग के साथ नहीं की जानी चाहिए। यह हम मानते हैं कि किसानों को जो लिफ्ट आज मिली है, जागीरदारों के जमाने में किसानों को काफी चूसा जाता था, उनको आज के जमाने में काफी राहत मिली है। परन्तु इस स्वतन्त्रता के जमाने में, बीसवीं सदी के जमाने में जो किसानों को सहूलियत मिलनी चाहिए वह काफी सहूलियत उनको नहीं है। इस सहूलियत में १०० रुपये तक का लगान माफ कर दिया जाय तो वाकई में प्रश्न ऊंचे सुझाव का है, इसके अलावा जो संकल्प को रखने वाले माननीय सदस्य हैं वह सब जागीरदारों को इकट्ठा करके यह, प्रस्ताव पेश करेंगे कि हम १५ साल तक मुआवजा नहीं लेंगे और १७ लाख का जो राजाओं की प्रिवी पर्स का खर्चा है उसको छोड़ते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी तनख्वाह में भी कटौती करते हैं, और जो बेकार का प्रशासन में रुपया खर्च किया जाता है उसको कम करें तो १०० रुपये का लगान अगर माफ नहीं कर सकते हैं तो है ५० रुपये तक कर दिया जाय। और अगर ५० रुपये तक का लगान माफ करते हैं तो तीन करोड़ का राजस्व आय में घाटा पड़ता है, तो उसको जो जागीरदारों को मुआवजा दिया जाता है उससे और कुछ मिनिस्टरों और एम. एल. एज़ को जो तनख्वाह मिलती है उसको कम करके और प्रशासन में बेकार का खर्चा है उसको कम करके और जो १७ लाख रुपया राजाओं के रिश्तेदारों को दिया जाता है उसको बन्द करते हैं तो उससे यह कम्पेन्सेट हो जायगा। इसलिए इस सुझाव का मैं उस हद तक जब कि माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के रखने वाले हैं या प्रस्ताव

Page No.57

(श्री लच्छूराम)

पेश करें कि हम जो मुआवजा लेते हैं वह नहीं लेंगे....

डॉ० बहादुरसिंह : On a point of information, Sir, क्या केरल में वहां के राजाओं को कम्पेन्सेशन देना बन्द कर दिया है ?

श्री लच्छूराम : यह केरल नहीं राजस्थान है।

श्री उपाध्यक्ष : You want an information from the Chair, you mean ?

आप शुरू रखें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजाओं से निवेदन करूंगा कि वे कटौती करें, मगर यह प्रस्ताव पास तो किया जाय ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : राजाओं के प्रतिनिधि से आप निवेदन करेंगे क्या ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं प्रतिनिधि राजाओं का भी हूँ।

(हंसी)

अब तक किया ही है, केवल १० वर्षों से छोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी तरफ से आप कटौती स्वीकार कर रहे हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऐसा प्रस्ताव अगर आप ले आते हैं तो मैं कह कर करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री लच्छूराम से) शुरू रखें।

श्री लच्छूराम : इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो कि ज्यादातर जो खर्चा होता है वह चीज वोटिंग को बेटर करने के लिए नहीं हो तो यह एक दो बातें हैं। यह भी माफ होना चाहिए।

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष, उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केरल में बन्द नहीं हुआ है। यह समझ कर खुशी हुई कि हम केरल की नकल करना चाहते हैं। अच्छा हो कि हम केरल की नकल करें।

एक आवाज : नकल के लिए अकल चाहिए।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यही ढंग रहा तो राजस्थान भी केरल बन जायगा।

(करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही परम्परा के आधार पर नहीं हो रही है। आप (श्री लच्छूराम से) आरम्भ रखें बीच में दस्तन्दाजी नहीं करें।

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय रावल साहब ने जो कहा है वह वस्तुतः सत्य है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : शायद मैं बूढ़ा आदमी हूं यह देखने को बैठा नहीं रह सकूंगा।

(हंसी)

Page No.58

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष, रावल साहब ने राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में जो सदन को आश्वासन दिया है अगर वाकई में वह बात सत्य हो तो यह सदन माननीय रावल साहब के लिए बड़ा आभारी रहेगा क्योंकि १७ लाख रुपए की योजना से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जैसा कि एक माननीय सदस्या ने हमारे सामने यह प्रार्थना रखी थी कि संगरिया को एक लाख का दान दिया गया है और दूसरे स्कूलों को नहीं दिया गया, मगर इस प्रकार से १७ लाख हमारे पास आते हैं तो इस प्रकार की १७ संस्थाओं को दान कर सकते हैं। मैं माननीय रावल साहब से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी राजा महाराजाओं से मिल कर इस मामले को तय कर लें जिससे कि हमारे १७ लाख रुपए बच जायं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि आप, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, इस प्रस्ताव को प्रचलित करायें तो मैं हाजिर हूं।

श्री मदनसिंह दांता : राजाओं का मुआवजा किसानों को नहीं मिलने वाला है। यह चेक कैसे होगा कि उनका मुआवजा किसानों को मिलेगा। अगर आप यह गारन्टी देते हैं तो मैं करवा सकता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजाओं के प्रतिनिधि यह हैं साहब।

श्री मदनसिंह दांता : मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं व—राजाओं—का भी करता हूं, क्योंकि जनता में वह भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आरम्भ रखें।

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य सब कुछ कर देंगे लेकिन किसानों के पास वह नहीं जायगा तो इसमें तो सीधी सी बात है कि १०० रु० तक का लगान माफ करेंगे या ५० रुपये तक का करेंगे तो किसानों को अपने आप राहत मिल जायगी। यह तो कोई विचारणीय प्रश्न नहीं है। राजाओं और जागीरदारों के मुआवजे अगर हम बन्द कर देंगे तो किसानों को उससे राहत जरूर मिलेगी।

श्री मदनसिंह दांता : मैं कहूंगा कि जमीन का आधा बांटा उस तरफ लग जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order I order please I मैं विश्वास करता हूं कि अब आप समाप्त करेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह मेरे पीछे बैठे हुए हैं। हम दोनों ने विचार कर लिया था कि इस तरह से बातचीत करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के बाहर जाकर निर्णय करके चले आयें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

एक आवाज : आज पहली अप्रैल है, साहब।

(हंसी)

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष रावल साहब का जैसा त्याग है, मैं आशा करता हूं कि उधर बैठने वाले माननीय मन्त्री गण और माननीय सदस्य भी इस त्याग में से कुछ हिस्सा बटायेंगे और सभी इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे तो यह कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको कि हम हल नहीं कर सकते।

Page No.59

(श्री लच्छूराम)

अब मेरा कहना यह है कि १०० रु० तक का अगर हम लगान माफ नहीं कर सकते हो तो कम से कम कुछ तो रखें, ३०,४० या २५ के अन्दर तो क्या जायेंगे? यह जो हमारा सिद्धान्त का प्रस्ताव है अगर १००) रु० का अव्यवहारिक है तो कुछ काम करदें, परन्तु कम से कम २५ रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए और इतना माफ करके हमको त्याग करके दिखाना चाहिए। उससे जो घाटा पड़ेगा हमारी राजस्व आय में, तो उसे प्रशासन में जो बेकार पैसा खर्च होता है उसको कम करके और अपना कुछ त्याग करके पूरा करना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि किसानों को लगान से कुछ छूट मिलनी चाहिए।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। इस प्रस्ताव पर बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने समाजवाद के सिद्धान्तों के बारे में काफी वर्णन किया है, परन्तु दुःख की बात तो यह है कि समाजवाद और प्रगतिशीलता की बातें हम जब करते हैं जब कि हमारे हाथ में वह चीज नहीं रहती है और जब हमारे हाथ में मौका था, जब कि हम सिद्धान्तों को बदल सकते थे, उस वक्त हमने अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश की थी। बेचारे गरीब किसानों से आधा बांटा नहीं बल्कि आधे से ज्यादा बांटा लेने की कोशिश करते थे। यही नहीं उनसे भेंट-बेगार और कई तरह की लागें लेने की कोशिश करते थे।—आज—किसानों को ऊंचा चढ़ने का अवसर मिला है तो आज उनके वकील बनकर उनके साथी बनकर उनकी बातों को सदन के सामने रखते हैं, और हम यह नहीं देखते हैं कि प्रेक्टिकल क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है।

इस संकल्प के ऊपर जोबनेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने काफी उत्साह बताया और कई त्याग की भावनाएं बताई। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के मौके पर कि एक दिन वह भी था कि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए कई माननीय सदस्य, और कई माननीय व्यक्ति तैयार रहते थे, और जब त्याग की बात सामने आयेगी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कई माननीय सदस्य मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसी बातों को अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें वस्तु-स्थिति को देखना है और देखना यह है कि वर्तमान रूप में हमें क्या करना है? माननीय उपाध्यक्ष, सभी माननीय सदस्यों को विदित होगा कि लगान का रूप आज कोई नया नहीं है। जब से समाज बना है तब से है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में पता भी नहीं लगाया जा सकता है कि लगान लेना कब से शुरू किया गया? मनु ने भी कहा है कि जो भी काश्त करता है उनसे १।६ बांटा लेना चाहिये और जो संसार के अन्दर जितने भी प्रगतिशील देश हैं उनमें आज भी लगान लिया जाता है।

ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक सिद्धान्त है और वह यह है कि जो भूमि है वह सरकार की है जैसा कि इंगलैण्ड में है that all lands belong to the Crown. इसी भावना को हमारे यहां भी रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम सारी जमीन को सरकार की मानें तो हमें मानना पड़ेगा कि जो लोग खेती उद्योग करते हैं

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उनको उसका कुछ न कुछ हिस्सा सरकार को समाज के लिए देना पड़ेगा और मैं यह मानता हूं कि जो लगान का स्वरूप है वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जमीन के लिये भी अलग-अलग तरह से होता रहा है। कभी जमींदारी सिस्टम लगान का रहा और कभी रैयतवाड़ी सिस्टम रहा। अंग्रेजों ने पर्मानेन्ट सैटलमेन्ट किया। धीरे-धीरे राजस्थान प्रदेश में भी लगान की दरों में एकता लाई गई। तो जो लगान का स्वरूप हमारे सामने है उसके पीछे एक इतिहास है। रामचन्द्रजी के राज्य में भी, जिसे हम रामराज्य के नाम से पुकारते हैं उस समय भी लगान में छूट नहीं थी और किसानों पर लगान लगता था। इस जमाने में भी सरकार की आमदनी का ज्यादा भाग लगान से आता है। इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी जिसने अच्छी तरह से जांच करके इसके प्रोस और कोन्स को देखा और वे इस नतीजे पर आये कि लगान राज्य की आमदनी को बहुत बड़ा हिस्सा देता है। उन्होंने इसका कोई आल्टनेटिव क्या हो सकता है; इस पर भी बहुत सोचा और अन्त में इस नतीजे पर पहुंचे :

"In the circumstances and particularly in view of the financial needs of the state Governments in the context of the implementation of the development schemes, a majority of which are the benefit o the rural areas it is difficult to envisage any real substitute for land revenue.

The State Government derives large revenue from this source and no alternative method which has so far been suggested is likely to yield revenue which even approximates to that figure.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टेक्निकल कमेटी हमारे यहां मुकर्रर हुई, उसने यह देखने की कोशिश की लैंड रेवेन्यू का सब्स्टिट्यूट मुकर्रर कर सकें जिससे सरकार कायम रखी जा सके और विकास के कार्यों में इतनी अधिक रकम खर्च हो रही है वह भी मिलती रहे लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकल सका। जो पुराना तरीका लगान का चला आया है उसी को लागू रखना पड़ा। लेकिन लगान वसूल करने का जो अलग अलग तरीका है और जो असमानता है उसमें एकरूपता लानी पड़ेगी। उसके लिये उन्होंने सजेस्ट किया है कि यह चाहे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के रूप में हो सकता है, स्लाइडिंग स्केल के रूप में हो सकता है लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि लगान माफ कर दिया जाय।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि यहां १०० रुपयों से कम लगान देने वालों पर से लगान हटाने की बात कही जाती है और उसके लिये तरह तरह की बातें सामने रखी जाती हैं। यह सत्य है कि पुराने जमाने से अभी आज के किसान की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। एक जमाना था जब कि किसान के लिये लगान देना मुश्किल था लेकिन आज समय आया है जब कि वे लगान देने में कठिनाई अनुभव नहीं करते। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उनके जीवन का स्तर भी ऊँचा करने में वे प्रयत्नशील हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि लगान उनके लिये बहुत बड़ी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चीज नहीं होगी । लगान और जमीन को दूसरी इन्कम से मिलाना ठीक नहीं होगा क्योंकि जमीन, जैसा कि पहले निवेदन किया, सारे समाज की है, स्टेट की है और आदमी जो व्यक्तिगत आमदनी करता है वह उसकी निजी होती है इसलिये जो दृष्टिकोण किया है वह स्पष्ट नहीं है । १०० रु० की बात कही जाती है उसके बारे में मैं निवेदन करूँगा कि ५० पर्सेन्ट व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं है और १० एकड़ जमीन ३० पर्सेंट व्यक्तियों के पास है इसलिये यदि १०० रु० से नीचे की इन्कमवालों को निकाल दें तो नतीजा यह होगा कि सारे किसानों का लगान माफ कर दिया जाय । क्योंकि ६६ पर्सेन्ट ऐसे किसान हैं जो १०० रु० से कम लगान अदा करते हैं । जब कि स्टेट की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आय के नये नये जरिये ढूँढ़ने पड़ते हैं ऐसी स्थिति में आय का जो सबसे बड़ा जरिया है या यों कहें कि सरकार की आमदनी का इससे बढ़ कर जरिया आज के युग में और किसी को माना नहीं जाता है, उसको छोड़ दें और नया तरीका अख्त्यार करें यह कैसे हो सकता है ! यदि इसमें कुछ बुराई है तो लैंड कमीशन मुकर्रर किया है वह उनको देखेगा और अपने सुझाव देगा । लेकिन यह अवश्य है कि गरीब काश्तकारों पर ज्यादा भार नहीं पड़े यह बात यहां करनी है लेकिन जो भावना इस संकल्प के पीछे है वह आज की परिस्थितियों में अपनाई नहीं जा सकती ।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो हाउस के समक्ष १०० रुपयों से कम लगान देने वालों के लिए संकल्प रखा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा । माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के द्वारा हाउस को संबोधित किया है कि हरिजनों के लिए और आदिवासियों के लिए जरा भी मुक्ति नहीं दी जाती है या और किसी चीज की रियायत उनको नहीं दी जाती है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जागीरदार जो हैं उनके पास अब भी हजारों बीघा से ऊपर जमीन है । हरिजन लोग लगान में छूट नहीं चाहते हैं बल्कि उनको जमीन की आवश्यकता है । इसलिए मैं जागीरदारों से प्रार्थना करूंगा कि वे लगान में छूट देने के लिए नहीं कहें बल्कि उनके लिए यह कहें कि वे उनको जमीन देने के लिए तैयार हैं । (करतल-ध्वनि) आज आप १०० रु० या १५० रु० लगान में छूट दिलाने को तो तैयार हैं लेकिन यह नहीं कहते कि हमारे पास हजारों बीघा जमीन है उसको छोड़ने को तैयार हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं कहता हूँ कि मेरी सब जमीन ले ली जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सब देने को तैयार हैं लेकिन इनको बोलने दीजिये ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : (जारी) एक जमाना था जब राजा लोग २ पैसा या ४ पैसा बीघा लगान लेते थे । उस समय राजाओं और जागीरदारों ने यह पैरवी नहीं की कि १० बीघा जमीन के ५ आने आयेंगे इसको वे छोड़ने को तैयार हैं लेकिन उन्होंने ऐसा न करके ५ आने वसूल किये । यह समझ में नहीं आता कि जो प्रस्ताव १०० रुपयों से कम देने वालों को छूट दिलाने को तैयार हैं वे इस प्रकार की रियायत छोटे-छोटे काश्तकार जिनके पास १ या २ बीघा जमीन है और

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

जिनकी संख्या ५ पर्सेन्ट हो सकती है उनको रियायत दिलाने के साथ-साथ जिन जागीरदारों के पास हजारों बीघा जमीन है वे भी २ या ४ पैसा बीघा लगान ही देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि जो संकल्प रखा है उस पर जिन सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं कि रियायत दी जाय या मुक्त किया जाय वे एक तरफ तो सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों को और अन्य लोगों को जो राजस्थान में निवास करते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वे ही लोग उनको मिलने वाली सुविधाओं को इस तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे सरकार की रेवेन्यू को खत्म करना चाहते हैं और उसके जरिये सरकार के शासन नियंत्रण को कम करना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जागीरदारों और राजाओं के बारे में उन्होंने कहा था कि राजाओं और जागीरदारों के वे नेता हैं मैं उनसे कहूँगा कि राजाओं और जागीरदारों के पास बहुत जमीन है वे इस बात का संकल्प लें कि जो हरिजन उनके गांवों में बसे हैं उनको जमीन दें और उनके लिये अच्छी तरह व्यवस्था करें क्योंकि हरिजन जो वहां पर बसते हैं उनके पास न तो खाने को है और न उनके पास पहनने को है वे भूखों मरते हैं और ठंड में ठिठुरते हैं, उनकी तरफ राजा और जागीरदारों की निगाह नहीं है उनकी ओर ध्यान दें और उनकी व्यवस्था करें। मुझे आशा है कि राजाओं और जागीरदारों के नेता इसको स्वीकार करेंगे। आपको यह चाहिये कि आप के गांवों में जो लोग—भूखे—और नंगे सोते हैं उनके लिये व्यवस्था करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं सारी जमीन सौंप नेको तैयार हूं।

३ म० प०

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरी ओर के एक माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है, उसके विषय में मुझे दो शब्द कहने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने इस प्रान्त का निर्माण करने के लिए पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई और आगे भी योजनायें बना कर इस प्रान्त का निर्माण करना चाहते हैं, इसके अन्दर जो धन, जो पैसा खर्च होता है, वह पैसा कहां से आये? उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त हैं। इसके अन्दर आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा भूमिकर के नाम से किसानों से वसूल किया जाता है लेकिन यहां के किसानों की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं कि हमने उनके ऊपर जितने टैक्स लगा रखे हैं, ये टैक्स सदा के लिए उन पर रखें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रान्त के निर्माण का सवाल है, हम भी यह कहेंगे और कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा, जो कहेगा के इस प्रान्त का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रान्त के निर्माण के लिए पैसा कहां से आये, यह सोचने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं कि यह पैसा कहां से आये, इस विषय में हमारी सरकार ने एक नीति बना रखी है, वह है समाजवादी समाज की स्थापना। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें सबसे पहले दो बातों को ख्याल में रखना पड़ेगा, एक तो हम टैक्स उन लोगों से नहीं ले सकते जो गरीब हैं, जिनके पास इतने साधन नहीं है कि आपने बच्चों को पढ़ा—लिखा सकें, जिनके पास रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अनाज की कमी है। उन गरीबों पर हम टैक्स

(श्री गिरधारीलाल)

नहीं लगा सकते । उपाध्यक्ष महोदय, हमें दूसरी बात यह ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिन लोगों पर, जिस वर्ग पर पहले से ही अधिक टैक्स लगा हुआ है, दूसरे वर्गों पर उनके बराबर टैक्स न लगा कर, दूसरा वर्ग जो शहरी वर्ग है, उससे अधिक टैक्स नहीं लेंगे, उनका ध्यान रखना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों को ख्याल में रख कर हमें एक नीति बनानी पड़ेगी कि हम किस पर टैक्स लगायें । मैं सोचता हूँ कि आज जो लोग प्रभावित हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है । एक तरफ तो सरकार समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है, राम राज्य और कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना चाहती है और दूसरी तरफ टैक्स लगा रहे हैं उन लोगों पर, जिन लोगों के पास पहले से पैसा नहीं है, साधन नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों से सरकार के द्वारा भूमिकर वसूल किया जाता है, यह कह कर वसूल किया जाता है कि यह पैसा तुम्हीं लोगों पर लगायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आप सोच सकते हैं कि जो आदमी पहले से भूखा है, जिस आदमी के पास एक रुपया है, उससे पहले से आठ आने छीन लेते हैं और कहते हैं कि यह आने तुम्हारे पर ही लगायेंगे । यह ऐसी बात हुई कि इससे जनता का जीवन स्तर आप उठाना चाहते हैं, वह नहीं उठेगा । तो सबसे पहले यह ख्याल रखना पड़ेगा कि टैक्स उन लोगों पर लगायें, जैसी कि सरकार की नीति है कि जो गरीब नहीं हैं उन लोगों पर टैक्स लगाये जिनके टैक्स पहले से नहीं लगा हुआ है या कम लगा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, किसान का आज राजस्थान प्रान्त के अन्दर शोषण हो रहा है, वह इतना गरीब है कि उस पर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। आज दिन किसान की हालत, आर्थिक हालत बहुत गिरी हुई है । जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए, मैं जानता हूँ कि उन माननीय सदस्यों ने किसानों के घर पर जाकर नहीं देखा है । उन माननीय सदस्यों ने कभी भी किसानों के साथ रह कर काम नहीं किया है, वे शहर में रहे हैं । आज दिन किसानों की हालत ठीक नहीं है । सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई, सरकार किसानों को कहती है कि हमने तुम्हारे लिए लाखों, करोड़ों रुपया खर्च किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन सरकार नहीं कह सकती कि किसानों का जीवन स्तर उठ सका है । पहले जागीरदारों का जमाना था, उन्होंने किसानों को चूसा, हम मानते हैं। राजाओं का जमाना था, उन्होंने किसानों पर जुल्म किए, लेकिन आज सरकार द्वारा इन्डाइरेक्टली किसानों पर, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, टैक्स लगाये जाते हैं, उससे उनकी कमर टूटी जा रही है । वे लोग पहले से ही मरे हुए हैं, लेकिन मरे हुओं को ज्यादा से ज्यादा मारने की कोशिश की जा रही है । यह नीति अच्छी नहीं है । ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे; सरकार की किसानों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । शहरों के बारे में और गांवों के बारे में, जो माननीय सदस्य उधर बैठने वाले हैं, उन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं कि शहरों के लिए और गांवों के लिए अलग अलग सरकार की नीति है । सरकार द्वारा किसानों से लगान वसूल किया जाता है, उससे लाखों और करोड़ों रुपए की आमदनी होती है लेकिन यह पैसा लगाया जाता है शहरों पर । उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि जो गांव के अन्दर स्कूल खोले जाते हैं, उस गांव को

(श्री गिरधारी लाल)

आधा पैसा सरकार देती है और आधा पैसा गांव को लगाना पड़ेगा, उन लोगों को आधा पैसा लगाना पड़ता है जो स्कूल खुलवाना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल खुलवाना चाहते हैं, लेकिन शहर में हाई स्कूल बनाना चाहते हैं तो उनसे कोई आधा पैसा नहीं लिया जाता। इस प्रकार कई उदाहरण पेश किए जा सकते हैं।

इसी प्रकार सीलिंग का मामला है। इसके लिए किसानों के ऊपर नाजायज रूप से दबाव डाला जा रहा है। जो सीलिंग का मामला है, हम उसके पक्ष में हैं क्योंकि सीलिंग के द्वारा बची हुई भूमि का सामान और उचित वितरण किया जायगा, इससे भूमि की समस्या हल होगी। लेकिन मैं इसके साथ ही कहूंगा कि सीलिंग एक तरफा लागू न करें। सीलिंग लागू करना चाहते हैं तो शहरों और गांवों में, दोनों जगह, लागू की जाय। आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उत्पादन के साधन अपने कब्जे में करना चाहते हैं, तो शहरों के अन्दर जो उत्पादन के साधन हैं उन पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। आप यह कह कर कभी अपने आपको निर्दोष घोषित नहीं कर सकते कि शहरों के अन्दर धीरे-धीरे कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बोगस दलील है, इसलिए मैं, आपके द्वारा, सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगाये जा रहे हैं, पंचायत टैक्स, भूमि कर और बिक्री कर, इसका किसानों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की नीति है, यह बिलकुल अच्छी नीति नहीं है। जिस दिन किसानों को पता चलेगा, उस दिन आपका थोड़ा स्वागत होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है, उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मोगजी : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन से निवेदन करूँ कि नौ संकल्प और अवशेष हैं। हम एक संकल्प पर इतना समय लेगें तो नौ संकल्प की क्या स्थिति होगी, यह सोचना है।

श्री मोगजी : यह बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon' Member at the distant corner, please.

श्री मोगजी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने १०० रुपये तक लगान को खत्म करने का संकल्प रखा है, उस पर काफी सदस्यों ने वाद-विवाद किया बहुत गरमा गरम। इसके बावजूद मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूँ कि यह जो संकल्प है, इसमें किसानों के प्रति जो भावना है, उससे किसानों के भविष्य के लिए काफी लाभदायक स्थिति हो सकती है। लेकिन आज हमारे सामने जो वाद-विवाद हो रहा है, उस वाद-विवाद में हमारे काफी सदस्यों ने समाजवाद के नाम की दुहाई देकर अच्छी तरह विचार प्रगट किये हैं, आडम्बर करके, आभूषण पहना कर, समाजवाद का नाम लेकर एक बहुत अच्छे नाटक की भांति भाषण दे रहे हैं लेकिन समाजवाद की हम रचना करना चाहते हैं, समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं, मैं निवेदन करूँ कि समाजवाद की जो व्यवस्था है, उसमें एक प्रकार का त्याग होता है जो कि हमारे हृदय में बहुत विस्तृत रूप से व्याप्त है। जब हम समाजवाद की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, तब हमारी अपनी आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे समाज के प्रति, उन किसानों के प्रति जो भावना और संकीर्ण भावना है, उसको त्यागने के पहले जरूरत हो जाती है। हम समाजवाद की दुहाई देकर,

(श्री मोगजी)

किसानों को ज्यादा प्रलोभन देकर, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन उस व्यवस्था के अनुसार सरकार कदम नहीं उठा रही है, जिसकी ओर कदम उठाना सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है।

एक हमेशा समाजवाद के नाम पर इस प्रकार की व्यवस्था होगी यह किसानों के लिये शोभाजनक नहीं है। मैं बताऊं कि यह जो किसानों के प्रति भावना आकर्षित करने का जो सरकार की तरफ से आज नारा दिया जाता है वह सही ढंग से एक नीति-निर्धारण के रूप में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आज किसानों की हालत को देखते हुए किसानों के लगान में से माफ करने का जो यह संकल्प है इसके प्रति हमें विचार करना है कि किस प्रकार से किसानों को लगान में से छूट दी जाय या नहीं दी जाय, दी जाय तो कितनी दी जाय ? किसानों की अलग-अलग परिभाषा हो सकती है, एक किसान वह है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, एक किसान के पास हजारों एकड़ जमीन होने के साथ-साथ कल कारखाने हैं, दूसरे धंधे करने के साधन हैं, व्यापार है, इस प्रकार किसान की परिभाषा लेकर उस किसान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कौन किसान कहा जा सकता है। तो इसमें जो खुद काश्त करता है, उसके पास कितनी भूमि हो इसकी परिभाषा दें और उस परिभाषा के साथ किस प्रकार की किसानों को सहूलियत दे सकें ताकि किसान तरक्की कर सकें और आदर्श उपस्थित कर सकें।

तो मैं बताऊं कि हमारे बांसवाड़ा में ३ लाख काश्तकार हैं और उनमें से ८० प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं कि जिनके पास ५० बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। २५-३० बीघा जमीन में १०-१० पन्द्रह-पन्द्रह परिवार गुजर करते हैं। हमारे बांसवाड़ा में ऐसे गांव हैं जिन गांवों में लगान भरते हैं फिर भी उन गांवों में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर वहां लगान में छूट देने का तो सवाल ही नहीं, उल्टे बड़ी सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल किया जाता है और वहां ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां पीने को पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां कुए खुदाने को तकावी नहीं दी जाती है। कहीं कहीं एक दो किसानों को तकावी दी जाती है। हमारे बांसवाड़ा में कई गांव ऐसे हैं जो हजारों वर्षों से लगान देते आ रहे हैं, एक हजार रुपया लगान देते हैं, वैसे जमीन तो एक किसान के पास २५ या ५० बीघा से ज्यादा नहीं है पर इतना बड़ा गांव है कि १००० रुपया लगान का जमा कराते हैं पर एक भी किसान को तकावी नहीं मिली है। न वहां पानी का इन्तजाम है और न स्कूल का प्रबन्ध है। उनके लिये सोचें तो हजारों वर्षों को तो छोड़ दें पर दस वर्षों से आजादी आई। हजारों करोड़ों रुपया किसानों के नाम से तकावी बांटी, बीज देने के लिये साधन देने के लिए पर वहां के किसानों को किसी प्रकार दी सहूलियत नहीं दी गई है। वहां के काश्तकार अगर २५ रुपया लगान का भरते हैं तो १०० रुपया तो इन्डाइरेक्ट टैक्स का देते हैं, ऐसे गरीब काश्तकार हैं, हमेशा के लिये उसी खेती पर जिंदा रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऐसे भोले किसानों के लिये जो कि अनपढ़ हैं, उन्हें पढ़ाने की सुविधा देने के लिये दूसरे प्रकार के जितने टैक्स वसूल होते हैं उनको लगान में छूट दे दें तो कोई बड़ा भारी नुकसान सरकार को नहीं होने वाला है और ऐसे काश्तकारों को जो प्रजातन्त्र के युग में, जब कि पंचवर्षीय प्लान है उसमें सब को बराबर तरक्की देने का है तो उन

(श्री मोगजी)

गरीब किसानों के लिये इस प्रकार की छूट देना, उन्हें तरक्की देना सरकार का कर्तव्य है। यदि इस प्रकार से न सोच कर सब काश्तकारों को समान मान लें और सब काश्तकारों को एक ही प्रकार की सुविधा देने की बात कहें तो मैं समझता हूं इन छोटे किसानों के लिये, जिनका कि हमेशा से ही होता आया है, इस प्रकार सहूलियत देने का कोई कानून न तो आज तक बना है और न ही भविष्य में बनने वाला है। तो सरकार इन काश्तकारों के लिये ऐसी नीति सोचे कि जिससे ये गरीब किसान आगे बढ़ सकें अपनी तरक्की कर सकें। भूखमरी में सरकार कोई सहूलियत या किसी भी प्रकार की मदद इन गरीब काश्तकारों को नहीं देती है और इन किसानों को अपनी जमीन और बाल-बच्चों तक को गिरवी रखना पड़ता है। ऐसे काश्तकारों के लिये विचार करना और एक कमेटी नियुक्त करना जरूरी है।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रश्न पूछ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Closure

डॉ० चन्द्रकला : जी हां। देखिये उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर एक दिन पहले बहस हो चुकी है और आज फिर हो चुकी है, अभी और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद ही क्लोज़र मोशन ले लिया जायगा।

आप प्रारम्भ करें।

श्री कालू भील (मांडल) : म्हां लोगां के कोई जमींदारी होवे असी बात नहीं है, म्हारी कौम रा लोगां कने जमीन थोड़ी है, ऊपर लगाण कम देणों चावे..

(कुछ क्षणों के लिये निस्तब्धता)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जोर जोर सूं कही दो।

श्री कालू : जमींदारी नी है, हमारी जात का करसाण दख पावे है, जल को मां के बन्दोबस्त नी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंहजी, प्रोम्पटिंग थोड़ा ठीक होना चाहिये।

(हंसी और माननीय सदस्य के अपने स्थान ग्रहण करने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the question be put

(स्वीकृत)

क्लोज़र का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष, यह जो संकल्प सदन के सामने है इस पर दो रोज बहस हुई, एक दिन पहले प्राइवेट मेम्बर्स डे के रोज और एक आज। आज बहुत दिलचस्प बहस सदन में हुई, नतीजा तो जो होगा वह सामने आयेगा पर खास तौर से एक बात स्पष्ट हो गई कि हमारे माननीय सदस्य जो जोबनेर से आये हुए हैं उन्होंने सारी जमीन अपनी छोड़ दी और मुआवजा जो उन्हें मिलने वाला है उसे छोड़ दिया।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने शर्त रखी थी, वह शर्त पूरी हो जाय तो छोड़ने को तैयार हैं ऐसा कहा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अगर गलत नहीं.......

रावत श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बड़ी खुशी है कि मन्त्री महोदय ने १०० रुपये से नीचे के लगान को छोड़ दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने शर्त लगा कर यह बात कही थी, मैं तो यही समझ रहा था कि उन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी। तो मालूम हुआ, उन्होंने वास्तव में ऐलान कुछ शर्तों के साथ किया था।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर दो विचार धाराएं चल रही हैं, एक विचारधारा तो यह चल रही है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स पर लगान माफ हो जाना चाहिये। दूसरी शायद यह है कि यह जो लगान है उसका मिनिमम अरेंज हो जानी चाहिये कि वहां तक लगान नहीं लिया जाय। सारी इसके पीछे बात बताई जाती है कि एक काश्तकार की उतनी होल्डिंग जिससे उसको फायदा नहीं पहुंचता उस पर लगान नहीं लेना चाहिए। माननीय सदस्यों ने इस पर काफी चर्चा की है और इसके अगेन्स्ट में और फेवर में दोनों प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। यह बात सामने आई कि जिस प्रकार का संकल्प है, जो मतलब इससे हल करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। अनइकोनामिक होल्डिंग के लिए कि उस पर लगान लिया जाय कि नहीं। मैंने एक दफा सदन में कहा था, उसके रेफेरेन्स में माननीय सदस्यों ने कहा। मैं मानता हूं कि मैंने कहा था कि अनइकोनामिक होल्डिंग पर जब वख्त आयेगा तब विचार करेंगे मैं अब भी कहता हूं कि समय अनुकूल होगा उस वख्त इस पर विचार किया जा सकता है। पर यह संकल्प जो सदन में पेश किया गया है वह अव्यवहारिक है, प्रेक्टिकेबल नहीं है, इससे तो लैंड रेवेन्यू का टोटली एबोलिशन कर दिया जायगा।

अब मैं थोड़े तथ्य, थोड़े फीगर्स सदन के सामने रखूंगा कि इससे तो लैंड रेवेन्यू का बिलकुल एबोलिशन हो जाता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि १००) तक लगान देने वाले काश्तकारों से लगान नहीं लिया जावे और उनको लैण्ड रेवेन्यू माफ कर दी जावे। मगर मैं यह कहूंगा कि यह उचित नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह हमारे यहां राजस्थान में रेन्ट रेट्स सब जगह एक सी नहीं है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेन्ट रेट है। इसलिए रेन्ट रेट की बेसिस मान कर हम यह करते हों तो मैं यह कहूंगा कि अलग अलग जगहों में अलग अलग होल्डिंग बनेंगे और जब वे इस प्रकार के होल्डिंग को देखेंगे तो प्रस्तावक महोदय खुद जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, यह नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कानून पास किया जावे। मैं यह समझता हूं कि उनके ख्याल में यह बात नहीं होगी कि इतने बड़े होल्डिंग हो जावेंगे और बड़े बड़े होल्डिंग को वे नहीं चाहते होंगे। अगर १००) से ऊपर के लगान को रखा जाए और इस सिद्धान्त को रख कर कार्य करें तो आपको मालूम होगा कि आपने यहां कुछ जिलों को लेकर वर्क आउट कराया है और आप देखेंगे कि उसके अन्तर्गत कितनी जमीन आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिससे आपको मालूम होगा कि अगर १०० से नीचे तक का लगान माफ कर देते हैं तो फिर पोजिशन क्या रहती है गंगा नगर को अगर लें तो वहां पर १००) रु० के नीचे लगान वाली २५० एकड़ भूमि है अगर इस सिद्धान्त को लागू करते हैं तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उन काश्तकारों से लगान नहीं लेना चाहिए। बीकानेर में इस प्रकार की ३०० एकड़ भूमि है। जयपुर में ८० एकड़, अलवर में ८० एकड़, झुंझुनू में ५० एकड़, कोटा में ६६ एकड़ और उदयपुर में ८० एकड़।

एक माननीय सदस्य : यह चाही जमीन है या बारानी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको अन इर्रिगेटेड लैन्ड के लिए ही कह रहा हूं। यह मैंने आपको कुछ जिलों के फीगर्स बताए हैं कि अगर १०० तक अन इर्रिगेटेड लैन्ड को छोड़ देते हैं तो बहुत कम जमीन उसके नीचे आती है। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि जितना सिलिंग हम कानूनन रखना चाहते हैं उससे कई ज्यादा भूमि उन लोगों के पास हो जावेगी। इसलिए एक तरफ तो हम सीलिंग इम्पोज करके यह चाहते हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन ली जाए और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि ज्यादा होल्डिंग हो। मैं यह कहूंगा कि यदि इस प्रकार के प्रस्ताव को मान लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि लेन्ड रेवेन्यू का टोटल एबोलिशन कर दिया जाय। क्योंकि जिलों में और गांवों में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत कम भूमि ऐसी है जहां पर काश्तकारों को १००) से ज्यादा लगान देना पड़ता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं। जयपुर में एक गांव डूंगराकरण है जहां ७५ खातेदार हैं उनमें से ७१ खातेदार ऐसे हैं जो १००) से कम लगान देते हैं। चैनपुरा में ८० खातेदार ऐसे हैं जो सो रुपयों से कम लगान देते हैं, पिप्याकाबास में भी १०३ खातेदारों में से १०० खातेदारों ऐसे हैं जो १००) से कम लगान देते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे गांव में जहां ८५ खातेदार हैं उसमें से ८३ ऐसे खातेदार हैं जो १००) से कम लगान देते हैं। इसी तरह से जयपुर, टोंक आदि दूसरे जिलों का भी आप वर्क आउट करेंगे तो आपको मालूम होगा और आप देखेंगे कि १ प्रतिशत या १॥ प्रतिशत ही काश्तकार ऐसे निकलेंगे जो १००) से ज्यादा लगान देते हों। बहुत ज्याद एवरेज आएगा तो दो प्रतिशत काश्तकार ऐसे होंगे जो १००) से ज्यादा लगान देते होंगे। आप जमीन की तादाद और लगान को देख लें उनको देखने के बाद में यह चाहें कि लेन्ड रेवेन्यू को टोटल एबोलिश कर दिया जाए इसके सिवाय मैं समझता हूं कि आपका कोई दूसरा मतलब नहीं होगा। एक तरफ आपने यह मंजूर किया है कि हमारी योजनाओं को हमें कार्यान्वित करने के लिये काफी धन की आवश्यकता है और हाल ही में राजस्थान केनाल के लिये बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस काम को पूरा किया जाय जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि ६॥ करोड़ रुपयों की जो आमदनी रेवेन्यू से होती है उसको टोटली छोड़ दी जाये यह कैसे संभव हो सकता है ? उसको नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा इसके साथ में यह कहना कि काश्तकारों को राहत मिलेगी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उनको राहत मिलेगी ? क्योंकि इसको छोड़ देने से राज्य की फाइनेन्शियल पोजिशन कितनी इफेक्टेड होगी। मैं समझता हूं कि वे खुद इस बात पर देखेंगे कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर विचार करेंगे।

आज हम लगान रेट्स को बेसिस मानकर नहीं चल सकते। क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेन्ट रेट्स हैं। इसके अलावा

Page No.69

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसको मजूर करना मानो लेन्ड रेवेन्यू को टोटली एबोलिश करना है। जब हम एक तरफ कन्सोलिडेशन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ यदि ऐसा किया जाएगा तो फ्रेगमेन्टेशन हो जाएगा। हर एक काश्तकार यह कोशिश करेगा कि उसके पास इतनी ही जमीन रहे कि जिससे किसी प्रकार उसको किसी तरह का लगान न देना पड़े। वह हमेशा एग्जेम्प्ट होने की कोशिश रखेगा और यह प्रवृति फेगमेन्टेशन की ओर जायगी। इसके सिवाय और कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि जिस मकसद के लिए इसको रखा गया है वह मकसद उनका इससे हल नहीं होगा, इसको मन्जूर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुतसों ने इस बात को महसूस किया है कि इसके पीछे जो भावना है उससे काश्तकारों को राहत नहीं मिलेगी। यह हो सकता है कि इस प्रस्ताव से आखिर आप यह चाहते हैं कि लेन्ड रेवेन्यू बिलकुल ही एबोलिश कर दिया जावे और रहे ही नहीं तब तो इसको माना जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं। चाहते इसलिये इसको माना नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि उन काश्तकारों को जिनकी आमदनी कम होती है और पैदावार पर ज्यादा खर्चा होता है तो उनके लिये यह राहत देने वाला नहीं है। बल्कि यह प्रस्ताव तो ऐसा है कि इससे टोटल रेवेन्यू एबोलिश कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष मैं यह आपके मारफत माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा कई ऐसे एक्शन लिये गये हैं जिनसे किसानों पर वजन कम हो और जैसा कि मान्य सदस्यों ने बताया कि १९४९ से बराबर सरकार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि किसानों से लगान कम लिया जाए, उनसे बेगार और सेसेल को खत्म किया है और आधा बांटा लिया जाता था उसको १।४ और १।६ बांटा कर दिया और इससे किसानों को राहत मिली है। इसमें किसी प्रकार से दो रायें नहीं हो सकती। इसके अलावा सरकार ने केश रेन्ट कायम किया है और इस पर लिमिट कायम की है। अलवर, भरतपुर में भी काश्तकारों को राहत दी है इस प्रकार और भी काफी सरकार ने काश्तकारों को राहत देने के लिये कार्य किया है। अब रहा सवाल लेन्ड रेवेन्यू को कम करने का। मैं यह कहूँगा कि आज के इस जमाने में जब हम प्लानिंग के पिरियड में चल रहे हैं ऐसी परिस्थिति में हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिये कि लेन्ड रेवेन्यू को टोटल एबोलिश कर दिया जावे और राज्य की आमदनी को कम कर दिया जावे। मैंने आपको अनइर्रिगेटेड होल्डिंग्ज़ के बारे में बताया कि जब समय आवेगा उस पर विचार कर सकेंगे। जिस समय इन्डस्ट्रीज़ ज्यादा फैलेगी उस समय विचार कर सकेंगे कि अनइर्रिगेटेड होल्डिंग्ज़ को क्या राहत दी जानी चाहिये और आज की स्थिति में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि यह प्रस्ताव इस तरह का है कि यह व्यावहारिक नहीं है, प्रक्टिकल नहीं है। हर जगह इक्वीटेबल जस्टिस मिल नहीं सकती यदि। इस प्रस्ताव को मान लिया जाय तो। एक तहसील से दूसरी तहसील में, लगान में जमीन में और पैदावार में फर्क पड़ेगा। इसलिए इसको बेसिस मान कर अनइकोनोमिक होल्डिंग नहीं कर सकते। इसलिए यह जो प्रस्ताव है वह किसी हालत में मानने योग्य नहीं है। माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्य ने, जिन्होंने खुद इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, वे भी मानेंगे कि यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि वे इसको वापिस लेलें तो ठीक है अन्यथा हाऊस से अनुरोध करूँगा कि वे इसको रिजेक्ट कर दें।

श्री भैरोंसिंह : अन् इकोनोमिक होल्डिंग का निर्धारण करने में क्या बाधायें हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुनते जो मैंने बताया। अगर वक्त आवेगा तो मंजूर कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : वह वक्त कब आवेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पहले ही आशा थी कि सरकार की ओर से क्या उत्तर मिलने वाला है। उसमें कोई नई बात नहीं हुई। बल्कि जिस रोज यह प्रस्ताव पेश हुआ था उसके बाद ही उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से ऐसी बात मालूम हुई कि अच्छा होता यदि यह प्रस्ताव हमारी तरफ से पेश करवाते और उससे सहायता मिलती। खैर, यों तो इस पर २६–२७ सदस्यों ने बोलने में भाग लिया है जिनमें से करीब ८–१० आदमियों ने ही विरोध किया है और कम्पलीट विरोध तो ४ आदमियों ने ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने।

श्री शिवचरणदास : माननीय सदस्यों ने विरोध किया है।

श्री भैरोंसिंह : आदमियों से ऊँचे हैं।

(हंसी)

श्री शिवचरणदास : यदि बहुमत की दृष्टि से एक तरह से बोलने वालों की दृष्टि से मैं कहूँ तो ज्यादातर इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं एक एक सदस्य के भाषण पर प्रकार डालूँ तो बहुत अधिक समय लगेगा लेकिन संक्षेप में मैं निवेदन करूँगा। सबसे पहले पाली से आने वाले एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन पेश किया है उसकी भाषा है : दुर्भिक्ष के समय व रोली दावे इत्यादि कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में लगान से मुक्त किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह नहीं के बराबर संशोधन है। यह परिपाटी तो सदैव से चली आती है। इसमें संशोधन पेश करते अथवा नहीं करते इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस लिए अब इसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आगे चल कर उन्होंने अपने भाषण में इसका विरोध भी किया है और उसका मूलभूत आधार बताया है कि हम प्रगति करने जा रहे हैं उसमें यदि इस तरह की छूट दे दें तो बजट में बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा और इसीलिए यह उपयुक्त नहीं है। इसी तरह से एक माननीय सदस्य श्री बहादुरसिंहजी ने इसका विरोध किया है और उन्होंने बताया है कि यह एक स्टन्ट है इसलिए स्टन्ट बताया कि वे काश्तकारों की भावना को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और खाली भावना की दृष्टि से इसको पेश नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि मैंने किसी भावना से पेश किया हो लेकिन आप अपनी अच्छी भावना की कद्र करते और काश्तकारों को रियायत देते या उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाने में एक सुझाव देते तो हो सकता था आपकी भावना, जो सदन में आकर बिराजमान हुए हैं उनके

(श्री शिवचरणदास)

लिए हितकर होती । उसी तरह से एक माननीय सदस्य जो कुम्भलगढ़ की तरफ से आये हुए हैं उन्होंने भी विरोध किया और अधिक विरोध करने वालों ने उनकी भाषा में जागीरदारों और काश्तकारों को सम्बोधित करके विरोध किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है, एक तरह से मैं नहीं समझ पाता कि सदन के सदस्य होते हुए जागीरदारी पर बड़ा जोर देते हैं और बीती हुई बातों को कह कर इस बात को ओझल करना चाहते हैं और इस तरह से कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को बिलकुल अवॉइड किया जाय। उस ढंग से सदन में कहते हैं । तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, जहां जागीरदारों का प्रश्न आता है मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में एक कहावत है "टोटा जब ही जानिये करिये पुरानी बात।" मैं समझता हूं कि सरकार के पास उत्तर देने की कोई बात नहीं है इसलिए इसको टालने के लिए ऐसी बातें कहीं जाती हैं और सदन में ऐसी दलीलें पेश की जाती हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है । हमें तो आज की स्थिति और समय पर विचार करना चाहिये था और करना चाहिये । हमने आजादी प्राप्त की है। किस उद्देश्य को लेकर की है ! वह यह है कि प्रत्येक नागरिक किस तरह से आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाये जैसे कि एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा था कि जब तक आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाने में खर्चे की सुविधा नहीं मिलेगी आगे नहीं बढ़ा सकते । यह बिलकुल ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, और इसी भावना को लेकर यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आज काश्तकार वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो केवल खर्च ही खर्च करता है और इस पर जितने टैक्स हैं, लैंड रेवेन्यू या और कोई भी कहिये, उस पर खर्च करते हुए लगते हैं, बचत पर नहीं । यदि इस दृष्टि से देखा जाता जैसा अभी माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि आप राजस्थान के सारे बजट के आंकड़ों को आंक कर इसको अवोइड करना चाहते हैं, वह उपयुक्त नहीं है । जहां करोड़ों का बजट राजस्थान का बना है यदि एक तरफ इसकोदेखें तो लैंड रेवेन्यू की आमदनी करीब ५-५॥ करोड़ की होगी, जब कि खर्चा करीब २५.२८ करोड़ का है । यह स्पष्ट है कि लैंड रेवेन्यू के आधार पर हमारा खर्चा नहीं चल रहा है । लेकिन दूसरे टैक्सेज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा खर्चा चल रहा है । दूसरे आंकड़े माननीय मंत्रीजी ने नहीं दिये हैं लेकिन मोटे रूप में अन्दाज बांधूं, आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं हैं, इस प्रस्ताव से ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपयों की कमी हो सकती है । यदि एक करोड़ की पूर्ति के लिए बजट पर ध्यान दें तो कई जगह ऐसी हैं जिनसे इस घाटे की पूर्ति हम कर सकते हैं । लेकिन ऐसी बात हुई है उपाध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने इसको बिलकुल अवॉइड कर दिया है । विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया नही किस-किस तरह से कितना घाटा इससे होगा लेकिन यह कह दिया कि इससे तो घाटा बढ़ जावेगा और उससे खर्चा चलने वाला नहीं, जैसा मैंने निवेदन किया बहुत बड़ी कमी होने वाली नहीं है । इस थोड़ी सी कमी से हमारे बहुत बड़े समाज को, जैसा माननीय मंत्रीजी ने और माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि हमारी थोड़ीसी छूट से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है । माननीय मंत्रीजी ने गंगानगर और कुछ जगहों के आंकड़े पेश किये हैं और यह बताया है कि यह व्यावहारिक नहीं है, गंगानगर में २५० और बीकानेर में ३०० एकड़ आती है।

(श्री शिवचरणदास)

मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चाही जमीन का, पीवल जमीन का जिक्र नहीं किया गया है। यहां जो आंकड़े दिये गये वे हैं जो जमीन पीवल नहीं होती उनके दिये गये। अगर माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट कर देते कि पीवल जमीन के शरीक करने के बाद भी काश्तकार की क्या आमदनी होती है, उसमें से भी सौ रुपये तक का लगान देने वाले कितने हैं, यह भी बता देते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, केवल सौ रुपये तक की लेन्ड रेवेन्यू माफ करनेके पक्ष में नहीं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि वास्तव में किसानों पर लेन्ड रेवेन्यू नाम का टैक्स भी नहीं होना चाहिये क्योंकि जहां एक तरफ यह गरीब देश है उस देश में लेन्ड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के नाम पर टैक्स लिये जाते हैं। इन टैक्सेज़ के बारे में मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निवेदन कर चुका हूं कि किस प्रकार इन टैक्सेज़ का डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट असर किसानों पर पड़ता है। जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने स्पष्ट किया कि इसका असर उन काश्तकारों पर पड़ता है जो वास्तव में गरीब हैं। इससे फायदा किसको मिलता है। बड़े-बड़े काश्तकारों को मिलता है। माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट कर देते अगर वे सौ रुपये तक की आमदनी को ज्यादा समझते हैं तो वे कम से कम पचास, पिचह-त्तर या साठ जो भी वे ठीक समझें कर देते तो मैं भी उनसे इत्तफाक कर जाता लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से स्थिति को स्पष्ट नहीं किया।

दूसरा; माननीय मन्त्री जी यह भी बताया कि यह टैक्स ऐसा टैक्स है जो पहले से लेते आ रहे हैं, नया नहीं है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं पहले भी जो टैक्स लगाते थे उससे भी लोग परेशान थे और हो सकता है इसी कारण संघर्ष किया और लैण्ड रेवेन्यू में सुधार किये। जिस समय लैण्ड रेवेन्यू सम्बन्धी रिफोर्म्स हुए उस पर मैंने बोलते हुए कहा था हमारे शासन का हित इसी में है कि गरीब काश्तकार को लगान माफ कर दे। आजादी प्राप्त हुए दस वर्ष हो गये आज जो किसान यह आशा रखता था कि उस आजादी की प्राप्ति के बाद लगान से माफी मिलेगी लेकिन वे स्वप्न उसके अधूरे ही रह गये। आज कहा तो यह जाता है कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति, उनके आर्थिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये कदम उठा रहे हैं लेकिन मुझे दुःख है कि हमारी तरफ से जितने भी कदम उठाये हैं, वे कदम हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स किसानों पर लागू करना। इससे गरीब का किसी प्रकार भी भला होने वाला नहीं है हां जरूर इसमें यह भावना दीखती है पूंजीपतियों और अमीरों को इसका फायदा मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी चर्चा हुई कि जागीरदार लोग अपना मुआ-वजा छोड़ दें, यदि उनको मुआवजा न देने का सवाल ही तो यह तो सरकार को तय करना चाहिये, सरकार किसी को मुआवजा दे या न दे या सब का मुआवजा बन्द करदे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा तो यह निवेदन है कि गरीब की तरफ थोड़ी सी निगाह डालें। उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के आधार पर हमारी सरकार आज टिकी हुई है उन्हीं किसानों के वोट्स के जरिये दूसरे इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। यह सब उन गरीबों के वोटों के आधार पर, उनको विश्वास देकर आये हैं कि हम तुम्हारा फायदा करेंगे। लेकिन आज वह ही नहीं रहा है। मेरे इस प्रस्ताव रखने में यह भावना नहीं कि राजा महाराजा पूंजीपति या अन्य लोगों को फायदा

(श्री शिवचरणदास)

मिले, उनके अधिकार आप छीनें या न छीने इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे प्रस्ताव की यह भावना है कि गरीबों को कम से कम ऐसा मौका दें ताकि उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो सके। गरीबों को आगे बढ़ाने का मतलब होगा देश की उन्नति करना। देश भी हम नागरिकों से मिलकर बना है। अगर हमारे नागरिक बरबाद होते हैं तो उसके मायने हैं देश की बरबादी होगी। जहां हम नागरिकों की प्रगति करना चाहते है वहां हमें इस प्रकार के केवल नारे बुलन्द करना कि हम किसानों के आर्थिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं, केवल ये नारे कोई मायने नहीं रखते। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को इस भावना से न देखें कि यह विरोधी पक्ष द्वारा रखा गया है और विरोधी पक्ष वाले इसका श्रेय ले जायेंगे, हमें श्रेय नहीं चाहिये आप श्रेय ले जा सकते है, आप इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, आप ज्यादा लगान छोड़ दीजिये। जहां मैंने १०० रुपये तक का प्रस्ताव रखा है वहां आप सवा सौ, डेढ़ सौ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इस भावना को मत कुचलिए, इस भावना को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि आप वास्तव में किसानों का हित चाहते हैं आप वास्तव में काश्तकारों के हितैषी हैं। आप उनको यह ज्ञान न होने दें कि आप उनके हितैषी नहीं, यह उनको कतई मौका न दे इसमें आपका भी भला है और उन लाखों किसानों का भी भला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब ज्यादा इस बात से है कि आज दूसरे चुनाव का दूसरा साल गुजर रहा है लेकिन आसीद से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना मुँह तक नहीं खोला था। लेकिन जब गरीबों के आर्थिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की बात आयी तो वे जरूर बोलने के लिये खड़े हो सकते हैं और वे बोले भी। मेरी उनके प्रति श्रद्धा थी और आत्मिक श्रद्धा थी, लेकिन उनके वक्तव्य को, उनकी बातों को सुनकर, मैं देखता रह गया। उनके अन्तर में जो भावना दबी हुई थी वह एकाएक निकल पड़ी। इसी प्रकार एक-दो सदस्य और हैं जिनको बोलते हुए देखा नहीं था, लेकिन जब गरीबों के पेट का सवाल आया तो उन्होंने अपनी भावना का प्रदर्शन सदन में कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सारी बातें होते हुए भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस प्रस्ताव की भावना को न तोड़ें, आप अच्छी तरह से सोचें कि आप इस प्रस्ताव की भावना को कुचल कर किस ओर जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में जिन बातों का उल्लेख मन्त्री महोदय ने किया उनका समाधान कर दिया है। यह मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत के बल पर वे इस प्रस्ताव को गिरा देंगे किन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि आप बहुमत सदन का न देखें, आप जिस बहुमत का घमन्ड करते हैं, जिन नागरिकों के वोट पर आप आये हैं उन नागरिकों के बहुमत को देखें। आज जिन नागरिकों के बहुमत के कारण सत्ता आपके हाथ में है उन गरीब किसानों के प्रति जिनकी खून और पसीने की कमाई, है आप उसका किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज ही मैंने एक समाज-कल्याण विभाग के बारे में प्रश्न किया था, उसका उत्तर जो माननीय मंत्री महोदय की तरफ से दिया गया उससे साफ जाहिर हो गया कि किसानों के पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग होता है। आज किसान समझ गया है, वह

Page No.74

(श्री शिवचरणदास)

जानता है कि इस प्रकार के टैक्स लगा लगा कर जो पैसा आता है उसका कितना सदुपयोग हो रहा है, आज इस प्रस्ताव द्वारा आप यह न समझें कि मैं आपसे कोई याचना कर रहा हूं, या आप मुझे किसी प्रकार का दान दे रहे हैं, यह याचना नहीं, यह मेरा सुझाव है और आपने यदि इस सुझाव यानी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है और होकर रहेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो चार महीने बाद; छः महीने बाद आपको इसे बन्द करना होगा। आज राजस्थान के किसान में इतनी शक्ति है, आज वह इतना जागरूक है कि वह आपसे इस मांग की पूरी करवाकर रहेगा, अच्छा हो आप उनको ऐसा मौका न दें और पहले ही इस प्रकार के प्रस्ताव को पास कर दें।

जिस उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं सदन से आशा करता हूं कि वे मेरी इस मान्यता को स्थान देंगे। अगर आप इस वक्त इस प्रकार के सुझाव को मानते नहीं तो मेरा यह मानना है कि आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब आप ज्यादा तंग करेंगे जब लोग तंग होने लगेंगे तो वे जंग पर भी जल्दी उतारू हो जायेंगे और फिर, वैसी हालत में आपको यह मानना पड़ेगा।

हमारे मन्त्री महोदय कुछ इशारे से, कुछ मखौलबाजी से इशारा करना चाहते हैं कि मानो यह तेरा प्रयास बेकार है ऐसा कहना चाहते हों, पर मैं चैलेन्ज दे देना चाहता हूं कि आज जब हम किसी भी बात को कभी उठाते हैं, वह फिर कितनी ही भली हो, फिर भी उसे ठुकरा दिया जाता है इस कारण कि किसी भी पुराने पाप की वजह से जागीरदारी समाप्त हो जाने के बाद भी मैं जागीरदारों में पैदा हुआ। पर आज वह समय बीते युग की बात हो गई है। आज राजस्थान की जनता कुर्बानी करेगी। अपने हितों को पाने के लिए जागीरदारी समाप्त हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। आज अगर आप भी अपनी शक्ति और बहुमत के घमण्ड में इस मांग को ठुकरा देंगे तो आप भी इस बात को आज हृदयंगम कर लें कि आपकी भी दशा उन जागीरदारों सरीखी हो सकती है। इसका नतीजा आगे जाकर भयंकर होने वाला है क्योंकि गरीबों का खून चूसकर पनपनेवाली जिस सामन्तशाही को एक समय आपने चुनौती दी थी और जिसको भविष्य की ओर संकेत किया था और जो न मान कर बर्बाद हो गये, उसी संकेत को आप अपने लिए करने का अवसर न दें, उस संकेत को आप खुद भी पहचान लें और उस संकेत पर आप खुद चलें। मुझे याद है बांसवाड़ा के रियासती जमाने में कवि ने कहा था :

'भूखे की सूखी हड्डी पर वज्र बनेगा महाभयंकर'

मैं समझता हूं कि वह वज्रपात आप पर होने वाला है आप नहीं सम्भले तो। इस लिये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस प्रस्ताव की भावना को समझें और उसको पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर दो संशोधन हैं। एक श्री मूलचन्द डागा का और दूसरा श्री रामकरणसिंह का। संकल्प का संशोधन श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने पेश किया वह इस प्रकार है कि 'संकल्प की तीसरी पंक्ति में 'काश्तकार' और 'लगान' के बीच इतने शब्द जोड़े जावें 'दुर्भिक्ष के समय फसल बरबाद होने की स्थिति में उसे ...'

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री

(श्री उपाध्यक्ष)

मूलचन्द डागा को उनका संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह। दूसरा संशोधन श्री रामकरणसिंह ने प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामकरणसिंह ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब मूल प्रस्ताव पर मत-दान होगा। प्रश्न यह है कि संकल्प 'सदन की सम्मति है कि १००) रुपए तक लगान देने वाले काश्तकार को लगान से मुक्त किया जावे,' स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

ना पक्ष जीता।

(शेम शेम की आवाज)

अनेक माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want Division ?

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि श्री शिवचरणदास द्वारा प्रस्तुत संकल्प जो इस प्रकार है, 'कि इस सदन की सम्मति है कि सौ रुपए तक लगान देने वाले किसान को लगान से मुक्त किया जावे, स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

३.५४ म० प०

२. हिन्दी को राज्य-भाषा स्वीकार करने संबंधी

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प का जो भाग्य निर्णय हुआ है उसको देखकर मुझे तो डर लग रहा है कि हिन्दी के जिस प्रस्ताव को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका क्या भाग्य होगा ? प्रारम्भ में ऐसी शंका थी और इसे देखते हुए मैं सोच रहा था कि इस प्रकार के प्रश्न को "हां" या "ना" के दाव पर लगाया जावे या नहीं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसे 'हां' या 'ना' के दाव पर न लगने दिया जावे तो अच्छा है।

हिन्दी का प्रश्न कोई मामूली बात नहीं है। यह हमारे आदर्श का प्रश्न है। यह हमारी उन मूल-भूत मान्यताओं का प्रश्न है जिन पर किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए।

३. ५७ म० प०

(डॉक्टर चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

आज पार्टीबन्दी का सवाल है। पार्टी व्हिप भी इश्यू हुआ है इसलिए शंका है. अगर आज हम इस प्रकार के निर्णय ले लेंगे तो इससे सारे देश में इसको लेकर जो वाद-विवाद चल रहा है उसको देखते हुए इस प्रश्न को धक्का लग सकता है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मुझे एक छोटी सी घटना इसके बारे में याद आती है। एक बार जब अकबर बादशाह छोटे थे तो उन्हें बहुत सी औरतों के बीच छोड़ दिया गया और कहा गया कि तू अपनी मां को पहचान, तो अकबरने मां को पहचानने में भूल नहीं की और अपनी मां को उन सबके बीच पहचान लिया।

इसी तरह से आज हिन्दी का प्रश्न भाषा का प्रश्न नहीं है। यह तो हमारी माता का प्रश्न है और इस तक हम कितने जल्दी पहुंचें यही प्रश्न है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न को दाव पर चढ़ाऊं। पर अन्त में माननीय मन्त्री जी जैसा आश्वासन देंगे उस पर विचार करूंगा पर हां या ना के दाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसी मुझे आशा है परिस्थिति नहीं आवेगी। हिन्दी को हमने अपने संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हमने इसके लिए १६६५ तक की सीमा भी बांधी थी। हिन्दी का इतिहास केवल भाषा का इतिहास नहीं है, वह तो हमारी स्वतन्त्रता का एक जीता जागता इतिहास है। देश के उन भागों तक में जो सुदूर दक्षिण में पड़ते हैं जो स्वातन्त्र्य का प्रयास किया गया था वह भी हिन्दी भाषा के द्वारा किया गया था। आज देश के सबसे बड़े राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिन्दी के विरोध करने पर तुले हुए हैं। पर सबको पता है कि महात्मा गांधी के समय जब दक्षिण में हिन्दी प्रचार का प्रश्न आया था तो सबसे पहले इसका प्रचार करने वाले भी ये ही राजाजी हैं। इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा साधन यह हिन्दी ही हो सकती है, यह वे स्वयं मानते थे। उस वक्त सम्पूर्ण देश के लोगों को अपने भावों का आपस में आदान-प्रदान करने का अवसर अगर किसी ने दिया तो इसी हिन्दी भाषा ने। देश में इसने जो जागृति फैलाई वह एक इतिहास की वस्तु है। देश आजाद हुआ। हमने अपना संविधान स्वीकार किया। इसके बाद भाषा के लिये एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात आई कि हमने इसके लिये एक सीमा बांधी और इसके बाद उससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह हुई कि गोहाटी के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो ऐसा लगता है कि देश में जो विभाजनात्मक प्रवृत्तियां काम कर रही हैं उनके सामने कांग्रेस की सरकार ने घुटने टेक दिये हैं या घुटने टेकने को तैयार हो रही है।

४ म० प०

इस घुटने टेकने का परिणाम हमने एक बार देखा है। कांग्रेस ने इन विघटनात्मक प्रवृत्तियों के सामने सन् १६४७ में घुटने टेके और देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का उदय हुआ। आज पंजाब की जो स्थिति है, सुदूर दक्षिण प्रान्त में या मद्रास में जो अवस्था है उसको देखते हुए आज फिर यह आशंका होने लगी है कि अगर हमने घुटने टेक दिये तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जावेंगे। आज ये विभेदात्मक प्रवृत्तियां इस भाषा के प्रश्न को लेकर देश का बंटवारा करने को तैयार हो रही हैं और वे इस भाषा के प्रश्न को लेकर आज इस ओर चल रही हैं। आज की जो परिस्थिति है जो हमारे देश में आज इस प्रकार की भाषा के नाम पर वाद-विवाद चल रहा है उस भाषा के ऊपर चल रहे वाद-विवाद के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने कामकाज को आगे ले जा सकते हैं ? आज देश में जो नौकरशाही

Page No.77

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

का वर्ग है उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर देश में आज कोई वर्ग भाषा के लिए बाधक वर्ग है तो यह नौकरशाही वग ही है। वास्तव में लोग कहते हैं कि आज जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता है। लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता है, क्योंकि मैं तो कल ही इस प्रकार की घटना का अनुभव करके आया हूं। आज कहा नहीं जा सकता कि देश में जन-प्रतिनिधियों की सत्ता है, जिनके हाथ में बाग-डोर है वह नहीं चाहते कि जनता का शासन हो, वह नहीं चाहते कि शासन सही रूप में जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में पहुंच जाये। इस भाषा के द्वारा जो कुछ हमने अर्जित किया है हिन्दी भाषा के जरिये वह नौकरशाही वर्ग के द्वारा किसी न किसी प्रकार से उसे झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जनता हूं इसके लिए शासन की ओर से कहा जायेगा कि हम प्रयास कर रहे हैं और कहेंगे कि प्रयास करने की दिशा में हमने इतनी हिन्दी की कक्षायें चलाई, इतने राज्य के कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा दी, इतने हिन्दी के टाइपराइटर्स लाये और हिन्दी शोर्टहैंड में ट्रेनिंग दी। इस तरह का उत्तर सरकार की ओर से आयेगा। तो क्या इससे हम संतोष करके बैठ सकते हैं? माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पिछले अधिवेशनों में कई बार दावे किये थे और उन्होंने कहा था कि 'मेरे पिछले १० वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान प्रान्त ने प्रगति की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक भूमि सुधार का प्रश्न है राजस्थान सबसे आगे है,' इस प्रकार का उन्होंने दावा इस सदन के सामने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह दावे के साथ उन्होंने यह कहा उसी तरह वह अब यह घोषणा करेंगे कि इस देश में राजस्थान राज्य में सारा काम हिन्दी में करने का बीड़ा उठाया है। इसके करने में अगर सामने किसी भी प्रकार की बाधा आ जाये तो हम सारे विरोधी पक्ष वाले सभी प्रकार के विरोधों को भूल कर के मत, पार्टी या जितनी भी प्रकार के हमारे मतभेद हैं इन सब को भूल कर हम मुख्य मन्त्री महोदय के पीछे खड़े होने के लिये तैयार है और उनके पीछे इस प्रश्न पर खड़े होने के लिए इसलिए तैयार हैं कि यह हमारी पार्टी या आपकी पार्टी का प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो राष्ट्रीय प्रश्न है, हमारी भावना का प्रश्न है। कांग्रेस ने भी इसको माना था और जनसंघ भी इसको मानती है। लेकिन कांग्रेस के गोहाटी अधि-वेशन की भाषा थी और उसके पहले जिस प्रकार का आन्दोलन देश में खड़ा हुआ और मुझे गर्व है कि हमारे राजस्थान प्रदेश के कमलनयन बजाज का पंडितजी से इसी प्रश्न पर झगड़ा हुआ। मुझे गर्व है कि हमारे प्रान्त के आदमी ने पंडितजी के सामने इस प्रकार की बात की। लेकिन जहां पार्टी का प्रश्न होता है तो सब लोग घुटने टेक देते हैं। तो आज इस प्रकार का हमें निर्णय लेना है कि जिससे हिन्दी को हम अपना सकें। मैं इसे राजभाषा तो नहीं मानता और पंजाब में राजभाषा का नाम देकर हिन्दी की कितनी दुर्गति की है। हमारे देश में १४ भाषायें मानी हैं और उनमें से हिन्दी भी एक भाषा ही नहीं है बल्कि हमारी हिन्दी तो मातृभाषा है और मातृभाषा—चाहे जैसी भी हो सभानेत्री महोदया, अगर मान लीजिए मेरी मां है, मेरी मां काली भी हो सकती है, कुरूप भी हो सकती है, लंगड़ी भी हो सकती है लेकिन फिर भी वह मेरी मां है और किसी भी रूप में मैं अपनी मां को अस्वीकार नहीं

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कर सकता। मैं देखता हूं कि मां को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें इस पर काफी गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे देश के सामने बड़ी भयंकर परिस्थिति आने वाली है। पंजाब में हिन्दी आन्दोलन के समय जिन्होंने हिन्दी का विरोध किया है उन्होंने देश की एकता पर कुठाराघात किया है। आज दक्षिण में मैं देखता हूँ कि हिन्दी का कितना विरोध हो रहा है। सरकार स्टेशनों के ऊपर हिन्दी में नाम लिखवाती है और वह पोत दिये जाते हैं। यहां हमारी ही विधान सभा में कई बार देखा गया है कि जब हमारे माननीय सदस्य अंग्रेजी भाषा में अपना भाषण प्रारम्भ करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हिन्दी में बोलो। यह उनकी भावना नहीं है यह तो राजस्थान की जनभावना है और कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हिन्दी की उपेक्षा करते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारी भाषा क्या है? तुम्हारी भाषा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भाषा में तो इस प्रकार के शब्द हैं जिनको सुन कर लोग यह कहते हैं कि यह भी कोई शब्द हैं और यह भी कोई भाषा है। जैसे रेलगाड़ी को कहते हैं लोहपथगामिनी और रेलगाड़ी का जो संकेत देता है उसको कहते हैं लोहपथगामिनी गमन सूचक हरित रक्त पट्टिका। मैंने तो हिन्दी में ऐसे नाम कभी सुने नहीं। लेकिन हमारे एक दो भाई जो विदेशी संस्कारों को लाना चाहते हैं अपने ही छोटे-छोटे बंधुओं के द्वारा जो मम्मी और डैडी के शब्द सुनता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यह शब्द कहां से आ गए। गुरूजी नहीं कहते मास्टर साहब कहते हैं। जब एक विद्यार्थी किसी से गुरूजी कहता है तो सम्पूर्ण देश का इतिहास उसके सामने खड़ा होता है गुरूजी के शब्द के पीछे। क्योंकि यह अपना शब्द है और मास्टर साहब जैसे हर एक आदमी रास्ते में चलता मास्टर साहब हो जाता है। इस प्रकार के शब्द अंग्रेजी में हैं और फिर वह लोग हमारी हिन्दी के शब्दों की उपेक्षा करते हैं और हमारी हिन्दी के लिए तीखे और व्यंगात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे विदित होता है कि इस तरह कह कर अपने ही बन्धु अपनी ही माता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज मैं इस प्रसंग के ऊपर अधिक बोलना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि आज कोई बोलने का प्रश्न ही नहीं है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि हम आपके पीछे हैं और आप इस बात की निस्संकोच घोषणा कर दें कि राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य है जो अपने राज्य में हिन्दी भाषा को लागू कर रहा है। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य श्री मूलचन्दजी डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभानेत्री महोदया, इस संकल्प को रखने का प्रश्न जिस माननीय सदस्य ने किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हिन्दुस्तान का एक संविधान है, एक निशान है, एक प्रधान है, एक जबान है और उस जबान के अन्दर एक राजभाषा के लिए जिस समय हिन्दी की यह घोषणा हिन्दुस्तान के संविधान ने की कि भारत में राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी भाषा को आसीन किया जाय और राजस्थान सरकार ने गर्व के साथ यह घोषित किया कि हमारी प्रान्तीय भाषा हिन्दी होगी वह गर्व आज वहां तक है या नहीं या उन्हें अपने गर्व के सामने सिर झुकाया है। यह प्रश्न है।

यह उस प्रश्न को चुनौती है कि आप अपने

Page No.79

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रान्त में एक आवाज उठाना चाहते हैं। डेढ़ करोड़ की जनता जहां रहती है उस डेढ़ करोड़ की जनता में केवल ३ प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले हैं और वहां की जनतान्त्रिक सरकार का उस अंग्रेजी भाषा में काम होता है, जहां डेढ़ करोड़ जनता यह चाहती है कि उनकी बोली, उनकी वाणी और उनकी जबान में काम हो उस जगह की सरकार जहां कि लोक राज्य है, लोक शासन है, उस लोक शासन में आप एक विदेशी भाषा को, सात समुद्रों पार की भाषा को जनता पर थोपें तो इसका कारण केवल आपका मोह है, अंग्रेजी भाषा के प्रति आपका एक आकर्षण है और वह आकर्षण किसी प्रकार से भी वान्छनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां की मासेज़ एक तरह से मालूम होता है आपकी शासकीय भाषा में, आपकी राजकीय भाषा जो है, उस राजकीय भाषा में काम करना चाहती है और वह भाषा हिन्दी है। मैं नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से सात साल के बाद भी, १९५० में भारतीय संविधान बना और उस संविधान में यह घोषणा की गई कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन किया जाय, हम नहीं कर सके हैं। आज सात साल बीत गये हैं। एक साल नहीं पूरे सात साल बीत गये हैं, किन्तु आज भी हमारी सरकार का ज्यादा से ज्यादा काम अंग्रेजी में होता है। यह एक प्रकार का प्रश्न है कि क्या आप धीरे-धीरे इस काम को करवा कर, क्या सरकार यह सोचती है कि इस काम में धीरे-धीरे अग्रसर होकर अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगी ? मैं समझता हूँ यह गलत है। जो धीरे-धीरे चलने वाले होते हैं वे कभी अपने निश्चित स्थान पर समय पर नहीं पहुँच सकते हैं। मगर ऐसा मालूम होता है कि यह आपका बुढ़ापा है, आपमें कर डालने की भावना की कमी है, आप में कर डालने की ताकत नहीं है, आप में करोड़ों में प्राण लाने का जोश नहीं है। आपमें उस मशीन को जिस मशीन में अंग्रेजी लिखने और बोलने की ताकत है उस मशीन को बदलने की, पलटने की शक्ति नहीं है (विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि) और उसी कारण हमारी राजकीय भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। आप उदाहरण देंगे कि हमने पंचायत के महकमें में हिन्दी कर दी है, हमने खेती के महकमें में हिन्दी कर दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जनता आपके हिन्दी को थोड़े से शासन के किन्हीं विभागों में लागू करने से संतुष्ट नहीं है।

एक संकल्प माननीय सदस्य महोदय ने रखा है कि १९५८ के अन्त तक हिन्दी कर दी जाय, लेकिन मैंने संशोधन रखा कि वह १९५८ के अन्त तक करदी जाय। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि संकल्प रखने का प्रश्न यह है कि आप गर्व के साथ यह न कहें कि हमारे यहां प्रान्तीय भाषा हिन्दी हो चुकी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह व्यावहारिक नहीं है और कहने वाले आवेग या जोश में कहते हैं। मैं कहता हूं कि जोश क्यों न हो ? आप ही बताइये कि जहां ३ प्रतिशत लोग अंग्रेजी को जानते हैं; अंग्रेजी बोलने वाले एक प्रकार से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता, मेरे कहने का प्रश्न ही नहीं होता कि आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं ? इसका केवल एकमात्र कारण यह है कि गरीबों पर शासन करने वाले लोग जो होते हैं

Page No.80

(श्री मूलचन्द डागा)

वे अपनी भाषा अलग रखना चाहते हैं। अगर आपके सारे कानून हिन्दी भाषा में निकले हुए हों तो एक काश्तकार, एक नागरिक उन्हें अच्छी तरह से पढ़ सकता है, आपकी सारी बातों को सेक्रेटेरियेट के नोटों को हिन्दी में अच्छी तरह से पढ़ सकता है और आपकी सारी चीजों को समझ सकता है। इससे मैं समझता हूं कि लोक राज्य में, लोक शासन में भ्रष्टाचार जो एक प्रकार से बहुत बढ़ा हुआ है, वह कम होगा। यह क्या ? अंग्रेजी भाषा में तोड़ मरोड़ कर हम थोड़े से में वर्णन नहीं कर सकते है। मैंने देखा है कि आपके यहां के बड़े-बड़े ऊंचे मजिस्ट्रेट हैं वे एक शब्द भी शुद्ध हिन्दी में बोल नहीं सकते हैं, मुझे क्षमा करें, अगर मैं यह कहूं तो।

हिन्दी भाषा को हम राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन करना चाहते हैं। आपने संविधान में घोषणा कर दी है। आपने अपने प्रान्त की भाषा हिन्दी घोषित कर दी है, किन्तु उसको लागू करने की जो आपकी नीति है उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करना चाहते हैं। धीरे-धीरे के बजाय एक साल या डेढ़ साल का सशोधन रखा है। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाले जो विषय हैं उसके लिए हम कुछ रुक सकते हैं, लेकिन राजस्थान में वह प्रश्न कैसे पैदा होता है कि आप उस भाषा को हर महकमे में लागू करना नहीं चाहते। केवल इसका कारण यह है कि चन्द अंग्रेजी समझने वाले, वह हुकूकरने वाले जो नौकरशाही वर्ग के हैं वे हिन्दी से अनभिज्ञ हैं। वे हिन्दी में लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिन्दी में लिखने में उनकी कलई खुलती है, उन्हें अपनी कलई खुलने का डर रहता है। साधारण सा समझदार आदमी भी हिन्दी में समझ कर उनके भाव को समझ सकता है। शासन से अंग्रेजी को हटा कर अगर हिन्दी को रख लेते हैं तो शासक की जो भावना है वह कम हो जायगी।

मैंने हिन्दी के लिए यह जो प्रश्न रखा है और उन्होंने (संकल्पकर्त्ता) जिस भाषा में रखा है मैं वहां तक यह कह सकता हूं कि इसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकती हिन्दी ही हमारी राजकीय भाषा होनी चाहिए, चाहे राजगोपालाचारी ही कुछ कहें या और कोई कुछ कहे, किन्तु प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्यभारत और राजस्थान जैसे प्रान्त भी अगर हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में काम में, ७ साल हो चुके, नहीं ला सकते तो फिर यह प्रश्न क्यों खड़ा किया जाता है, और प्रांतों में जो अपने प्रांतों की भाषा को काम में नहीं ला रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए खड़ा किया जाता है कि आज राजस्थान में जनता सरकार की तरफ से कौन सा कोष निश्चित् किया गया है जिस कोष के आधार पर यह कह सकते है कि राजकीय भाषा के शब्द शासकीय शब्द यह होंगे। जैसा कि पहले हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने पहले एक कोष निकाला उसमें बहुत से संस्कृत शब्द, क्लिष्ट शब्द भर दिये गये, क्योंकि उन्होंने जनता का ध्यान नहीं रखा और केवल अपनी विद्वता का ध्यान रख कर के वह शब्द दिये। फिर बाद में दूसरा कोष बना तो उसमें फारसी और अरबी के शब्द भर दिये। उन्होंने भी अपनी विद्वता पर ध्यान दिया। आज भी सात साल के बाद भी राजस्थान सरकार कोई भी शासकीय कोष हिन्दी के लिए निकाल नहीं सकी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह हमारी प्रगति है। मैं आपको पूरी नम्रता से अर्ज करूं कि राजस्थान में इस प्रकार का संकल्प लाया जाय और यह संकल्प यह बताये कि राजस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ घोषित

(श्री मूलचन्द डागा)

किया था कि हिन्दी प्रान्त की भाषा बन चुकी है और आज भी वह भाषा नहीं चले और हमको इसकी तकलीफ, इसकी मुसीबत छोटे छोटे विभागों में भी आ जाती है तो हमको मानना होगा कि और बड़े विभागों में कितनी तकलीफ और कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। मैंने तो यहां तक पढ़ा था एक दफा एक सरकारी इमारत पर "सरकारी तपेदिक का दवाखाना"। मैंने बहुत सोचा कि तपेदिक तो होती है, लेकिन यह 'सरकारी तपेदिक' कौन सी होती है। उस जगह के लिखने से यह मालूम नहीं होता था। हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन इस तरह से गलत प्रयोग करके नहीं। उनको यह मालूम नहीं कि दवाखाना सरकारी है न कि कोई सरकारी तपेदिक है।

ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी भाषा के संबंध में हमारी सरकार की मशीन बहुत धीरे धीरे चलती है तो हम दूसरे दूसरे प्रान्तों का अनुसरण करते है। हम केन्द्रीय शासन के इशारों पर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ हमारी भी अपनी जान होनी चाहिए, अपनी ताकत होनी चाहिए। राजस्थान में तो किसी दूसरी भाषा का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में तो गुजराती का सवाल पैदा होता है, हिन्दी भाषा का भी और महाराष्ट्री, का किन्तु हमारे प्रान्त में तो खालिस हिन्दी है और उस प्रान्त में आप उस भाषा में परिवर्तन करना नहीं चाहते। इसका और कोई कारण नहीं, केवल कोई परिवर्तन लाने की शक्ति, सामर्थ्य की कमी है। मैं यह समझता हूं, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है और मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े जजमेंट्स और फैसले जिन अदालतों में होते हैं, अगर वे हिन्दी में लिखे जायं तो केवल २-३ पृष्ठों में ही वे अच्छी तरह से लिखे जा सकते हैं। बेचारे किताबों की नकल करते हैं, घर की भाषा नहीं लिखते हैं। शब्दों को रट रट करके, अंग्रेजी साहित्यिक सेन्टेन्सेज़ को लेकर, पहले से लिखी हुई चीजों को लेकर भाषा को रट-रट कर बोलने की कोशिश करते हैं। उसके बनिस्बत अपनी भाषा में, अपनी जबान में बोलें तो कितना बेहतर होगा। मैंने देखा है कि १९१८ से लेकर १९५७ तक के फैसलों को कोट करते हुए चले जायेंगे और भाषा का तोड़ मरोड़ होते हुए वही एक भाषा चलेगी। लेकिन हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि सरकारी मशीनरी जिसे कि अंग्रेजी भाषा से मोह है, इस बीच में कुछ हमारे साथी लोग कहेंगे कि विज्ञान में तरक्की करना है या हमको वह काम करना है तो वह अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता है। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि जापान में कौन सी अंग्रेजी भाषा थी, रूस में कौन सी अंग्रेजी भाषा थी? उन्होंने अपनी भाषा में तरक्की की है। यह एक तरह की भावना है और कभी-कभी इस प्रकार जो चीजें उठाई जाती हैं, यद्यपि हम जानते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले आज किसानों और ग्रामीणों पर रौब गालिब कर सकते हैं गिटपिट बोलकर, वे समझते हों कि हम बहुत ऊंचे हैं या हम बहुत ऊंचे धरातल पर हैं, लेकिन क्षमा करें जहां यह प्रश्न आता है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है इसलिये उसमें हमारा कामकाज होना चाहिये, इस चीज को लेकर हमारे दिमाग में आता है कि राष्ट्रभाषा में काम न करना हमारी शिथिलता और कमजोरी की निशानी है। यदि हमारी भाषा को राजकीय भाषा बनाना है तो शीघ्र ही उसमें काम शुरू होना चाहिये।

मुझे अभी मालूम हुआ कि यहां पर

(श्री मूलचन्द डागा)

११.० हिन्दी के स्टेनोज़ को तैयार कराया गया, लेकिन उनमें से किसी को भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नौकरी में खपा नहीं सके। हिन्दी स्टेनोज़ को नौकरी नहीं मिली। इसका कारण क्या है? आप हिन्दी का प्रचार तो करना चाहते हैं लेकिन उसको राज्य भाषा नहीं बनाते। जो आपका निश्चय है, जो आपका उद्देश्य है और जो आपकी घोषित नीति है उसको कार्यान्वित करने के लिए आपको ७ साल या ५ साल लगते हैं। इसके बारे में या तो आप कहिये कि हमारी इस नीति में अन्तर है या हम इसको अभी रोकना चाहते हैं या इसको कार्यान्वित करने में समय चाहिये...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट और लूंगा। मैंने दो संशोधन रखे हैं, केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विषय हैं उनके सिवाय सारा राजकीय काम हिन्दी में होना चाहिये। इससे राजस्थान सरकार की जो घोषित नीति है उसका अमली रूप आयेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय सभानेत्री, इस मूल प्रस्ताव पर मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है: 'सन् ५८ के अन्त तक के स्थान पर "यथाशीघ्र" प्रतिस्थापित किया जाय।' माननीय सभानेत्रीजी, अभी पूर्व वक्ता प्रस्तावक और संशोधन कर्त्ताओं ने जो हिन्दी के बारे में अपने विचार प्रकट किये वे वास्तव में बड़े सहानुभूतिपूर्ण हैं, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि किसी कार्य को करने के लिये एक निश्चित कार्यक्रम के लिये एक निश्चित योजना होती है। यदि हम यह निश्चय कर लें कि सन् ५८ या ५६ के अन्त तक हिन्दी को जरूर लागू करेंगे तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी होगी और समस्या है। अन्तर्राजकीय पत्र-व्यवहार की और वह भी उन राज्यों से खासकर बंगाल, आन्ध्र, मद्रास आदि के साथ। यह एक समस्या है। हिन्दी का विरोध काफी होता है इसी वजह से हिन्दी भाषियों के सामने समस्या खड़ी हो रही है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। यदि हम भी हद लगायेंगे तो हिन्दी का विरोध होगा। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कम से कम यदि हिन्दी का पक्ष चाहते हैं तो अपने को समय इस प्रकार का बनाना पड़ेगा और इस प्रकार का वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिससे सर्वत्र हिन्दी की प्रगति हो।

अभी एक समस्या और है वह है अकाउन्ट्स वगैरह की। अकाउन्ट्स विभाग केन्द्रीय सरकार से नियंत्रित रहता है और उसमें इंगलिश का प्रयोग होता है। इसी तरह का दूसरा न्याय विभाग, हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय आदि जिनका निर्णय इंगलिश में होता है क्योंकि एक हाईकोर्ट जो निर्णय करता है वह दूसरे प्रान्तों पर भी लागू होता है इसलिये इसमें दिक्कत होगी। यदि हमारा हाईकोर्ट हिन्दी में निर्णय देगा तो दूसरे हाईकोर्ट उनका फायदा नहीं उठायेंगे इसलिये निवेदन करना है कि अभी इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे समस्या खड़ी हो। इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा था कि यथाशीघ्र जिन डिपार्टमेन्ट्स में हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं उनमें जल्दी से जल्दी किया जाय और जिनमें कठिनाई उत्पन्न होती है उनमें धीरे धीरे कर लेंगे। मैं समझता हूं, इस प्रस्ताव से माननीय सदस्यों को सतोष होगा और हम काफी प्रगति करेंगे। जहां तक राजकीय नीति है वह यह है कि राज्य भाषा हिन्दी होगी और इसी दृष्टिकोण से पिछले

(डॉ० बहादुरसिंह)

दिनों हमारी विधान सभा में भी विधेयक स्वीकार किया है और संभवतः लागू है और काफी प्रगति कर रहा है । यही नहीं बल्कि जहां तक हिन्दी में विधेयक वगैरा लाने का प्रश्न है, करीब करीब सभी विधेयक हिन्दी प्रति में भी प्रस्तुत किए जाते हैं और जहां तक संशोधनों का प्रश्न है, थोड़े बहुत को छोड़ कर बाकी सभी हिन्दी में संशोधन पेश करते हैं । विधान सभा में काफी हिन्दी का प्रयोग होता है और जो दो एक माननीय सदस्य हैं जो हिन्दी का प्रयोग नहीं कर सकते उनके प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए, वे इंगलिश का प्रयोग कर सकते हैं । इसलिए मैंने निवेदन किया था कि 'यथा शीघ्र' शब्दों का प्रयोग किया जाय ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हिन्दी में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है । वे क्लिष्ट होते हैं लेकिन साधारणतः वे अनावश्यक शब्द नहीं होते हैं । साहित्य से भाषा का निर्माण होता है और हिन्दी का संबंध संस्कृत साहित्य से आता है । क्योंकि हिन्दी की मां संस्कृत है इसलिए हिन्दी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग लाजमी हो जाता है ।

४. २५. म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव जो हमारी पूर्व नीति से स्वीकृत है उसमें थोड़ा संशोधन है । जहां सन् "५६" रखा है उसकी जगह 'यथा शीघ्र' स्वीकार किया जाय । संशोधन के साथ इसको स्वीकार करेंगे तो सारी समस्या सुलझ जायगी ।

डॉ० चन्द्रकला : चेयरमेन महोदय, मेरा संशोधन है ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): आप अपना संशोधन रख दीजिए ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बजार, जयपुर) : सभापतिजी, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हमको सारा कारोबार हिन्दी में करना चाहिये । मैंने एक संशोधन रखा है उसमें "तत्काल" शब्द जोड़े हैं । मनुष्य में स्वभाविक प्रवृत्ति होती है कि कोई समय उसको दे दीजिये, कितना ही लंबा समय दे दिया जाय लेकिन काम वह तब करता है जब कि समय खत्म होने वाला होता है । एक परीक्षार्थी ही को ले लीजिये, पुस्तकें उसके पास तैयार हैं, साल भर यों ही निकल जाता है लेकिन जोर से तैयारी तभी शुरू होती है जब कि परीक्षा का समय नजदीक आता है । कोई काम आखिरी समय में ही होता है तभी जोरों से तैयारी करते हैं । हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये विधान में समय निश्चत किया गया है कि सन् ६५ तक सारा काम काज हिन्दी में होगा । मैं मानव स्वभाव की ओर संकेत करती हुई कहूंगी कि इस अवधि को तो सरकार रहने दे और यह निश्चय करले कि तत्काल हमें हिन्दी भाषा को स्वीकार करना है तो ६५ तक हिन्दी भाषा में सारा काम काज आसानी से होने लगेगा । यह तो निश्चित बात है कि कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है, सब तरह की कठिनाइयां आती हैं । अभी सारा काम काज अंग्रेजी में होता है इसलिये हिन्दी में काम करने में कठिनाई आयगी, पारिभाषिक शब्दों की भी कठिनाई आयेगी । मुझे खुद को हिन्दी शब्दों के बजाय, विशेषकर परिभाषिक शब्दों में कठिनाई आती है और टेक्निकल शब्दों में भी कठिनाई आती है, इसका कारण यह है कि हम

(डॉ० चन्द्रकला)

हिन्दी में इतने अभ्यस्त नहीं हैं इसलिये हमको अंग्रेजी शब्द सरल मालूम होते हैं, लेकिन हिन्दी के शब्दों को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेजी का बहिष्कार करें व दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अस्वीकार करें, हमें इन शब्दों को भी अपनाना चाहिये। भाषा निर्माण और विकास इसी तरह से होता है। हिन्दी भाषा के लिये जो लोग दूसरी तरह की बात करते हैं वे गलत समझते हैं। हिन्दी भाषा सबसे लेती हुई, कुछ देती हुई और सबके मेल जोल से बनती है। हम इसको अस्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे प्रान्त की वह भाषा है। यहां अभी इस सदन में यह बताया गया था कि जितने भी काम करने वाले, राज्य का काम करने वाले हैं, उनकी हिन्दी ही मातृभाषा है, जो केवल अंग्रेजी भाषा जानते हैं, ऐसे शायद कोई भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी को स्वीकार करना बड़ा आसान है और इसको कोई भी सरकार अस्वीकार नहीं करती है, हिन्दी भाषा को स्वीकार करती है। वैसे व्यवहार में हिन्दी को स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन यदि हम इस संकल्प में संशोधन करके यह निश्चय कर लें कि तत्काल हिन्दी में काम शुरू कर देना है तो इससे हम बहुत जल्दी हिन्दी को स्वीकार कर लेंगे, अगर हम जल्दी स्वीकार करेंगे तो हिन्दी को स्वीकार करने में जो दिक्कतें आयेगी, शब्दों की दिक्कत आयेगी, अभिव्यक्ति की कमी की दिक्कत आयेगी, दूसरी दूसरी दिक्कतें जो आयेंगी, उन दिक्कतों को मिटाते चलेंगे और निर्धारित अवधि हमारे सामने है, उसके भीतर बहुत अच्छी तरह हिन्दी को राज्य के कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकेंगे। इसलिए ही मैंने प्रस्ताव में अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री सभापति : माननीय श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह : चेयरमैन महोदय,....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ध्यान रखें कि सदन की कार्यवाही पांच बजे तक चलेगी और काफी लोग बोलने वाले हैं।

डॉ० चन्द्रकला : सदन की कार्यवाही ६ बजे तक चल सकती है।

श्री सभापति : सदन की इच्छा होगी तो आगे भी चल सकती है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय चेअरमैन महोदय, जो अभी संशोधन पेश किया है माननीय श्री जगदीशप्रसाद ने.... नहीं....रिज़ोल्युशन पेश किया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। जो हिन्दी के स्पोटर्स ने भाषण दिये, तो मुझे ऐसी चीज मालूम पड़ती कि उनके अन्दर उनके सेन्टीमेंट्स थे वायस ओपिनियन थी, वे माफ करें, उनमें एक फेन्टास्टिज़्म था, जिसको उन्होंने हाउस में एक्सप्रेस किया। किसी भी तरह से देखा जाय, राजस्थान के अन्दर न तो हिन्दी भाषा थी, न है और हिन्दी भाषा हो सकेगी यह दूसरी बात है। क्यों? वह मैं बताऊं। उन्होंने यह कहा कि जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वे ब्रिटिश सरकार के जो इम्पीरियलिस्टिक और टोटेलिटेरियन (Totalitarion) व्यूज़ हैं, उनको लागू करना चाहते हैं। मैं यह आर्ग्युमेंट उन्हीं महानुभावों के लिये रखूं कि जो माइनोरिटी में हैं राजस्थान के अन्दर वे अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियन, जो लेंग्वेज के बारे में है, की मजोरिटी पर थोपना चाहते हैं। मेरे पास बेसिक स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं,

(श्री श्रीमानसिंह)

उनको देखा जाय तो राजस्थान में एक करोड़ जनता राजस्थानी भाषा बोलती है और ३४ लाख जनता हिन्दी बोलती है। तो जो ३४ लाख की ओपिनियन है, उसको एक करोड़ जनता पर, जो राजस्थानी बोलती है, लागू की जाय और बाकी जो जनता है, भील, मद्रासी, गुजराती, बंगाली आदि, उनको मैं छोड़ देता हूँ तो भी यह कहा जा सकता है कि ६६.६ जनता राजस्थान की राजस्थानी बोलती है और २१.६ पर्सेंट जनता हिन्दी बोलती है। तो क्या यह इम्पीरियलिज़्म या टोटेलिटेरियनिज्म नहीं है कि आप २१.६ पर्सेंट की भाषा को ६६.६ पर लागू करना चाहते हैं। जो अगर अंग्रेजी बोलने का एप्रोज रखूं तो इसमें क्या गलती करता हूं। तो यह एक सेन्टीमेन्ट हो सकता है, फेक्चुअल (Factual) नहीं। फेक्चुअल स्थिति दूसरी है, मगर एक माननीय सदस्य जो जनसंघ के हैं, उनका नारा है, 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' (थपथपाना) इस नारे को संकल्प के द्वारा, चाहे आर्थिक स्थिति के द्वारा समाज के अन्दर पूरा करना है और राजस्थान के अन्दर एक डिस्यूनिटी फैलाना है। अगर राजस्थान में यूनिटी चाहते हैं तो राजस्थानी भाषा को मानिये, राजस्थानी भाषा के लिए संकल्प रखिये......

डॉ० चन्द्रकला : On a point of information, Sir, क्या राजस्थानी नाम की कोई भाषा है ?

('नहीं, नहीं' की आवाज)

श्री श्रीमानसिंह : आप खुद जानती करती हैं। डॉक्टर होते हुए भी ज्ञान नहीं है कि राजस्थानी भाषा है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं सख्त विरोध करती हूं। राजस्थानी नाम की कोई भाषा नहीं है।

श्री सभापति : आप विरोध कर लीजिए माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री श्रीमानसिंह : इटेलियन, जिसने रिसर्च की, उस टेसीटोरी का विरोध कर सकती हैं, मेरा नहीं।

मैं इस चीज को मानता हूं कि देश की, प्रान्त की एक स्टेट लेंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन वह ऐसी लेंग्वेज हो, जिसको जनता समझ सके और जनता तब ही समझ सकती है, जब जनता के अन्दर शिक्षा हो। अभी जो भाषा है वह न हिन्दी है और न और। इसके अलावा जो हिन्दी लेंग्वेज है, उसके अन्दर फ्लुएन्सी चाहिए, उसमें फ्लुएन्सी नहीं, उसको लोगों पर थोप दिया जाय, आखिर उसको ग्रो होने दीजिए, पहले हिन्दी को थ्राइव करने दीजिए, जब रूट पकड़ ले, तब उसे लागू कीजिए, जिससे जनता समझ सके। अभी जनता न हिन्दी समझती है और न अंग्रेजी समझती है, सिर्फ आप पढ़े लिखे लोग समझते हैं, आप जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए कहें, यह मैं नहीं मानता। यह भी कहा कि जो अंग्रेजी में बोलते हैं उनके अन्दर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वे वेस्टर्न कल्चर को लागू करना चाहते हैं। जो हिन्दी के स्पोर्टर्स हैं वे वेस्टर्न कल्चर में पड़े हुए है, खुद की ड्रेस है, वह वेस्टर्न है। अगर यही कहें तो कहते है क्रिटिसाइज़ करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को लागू करते हैं।

लेंग्वेज पाइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाय, तो काफी इनसफीशियेन्ट है। टेकनीकल टर्म्स

(श्री श्रीभानसिंह)

की बहुत कमी है। इसके साथ ही आज देखिये कि हमारी शिक्षा की इतनी खराब हालत हो गई है, जो स्टूडेन्ट हिन्दी पढ़ते हैं, उनका न कोई स्टेंडर्ड है। अगर आप अंग्रेजी को डिस्करेज करते हैं तो हिन्दी का स्टेन्डर्ड होना चाहिए। पहले जो स्टैंडर्ड था वह कम हो गया है, कम ही नहीं हुआ है हिंदी का स्टेण्डर्ड अंग्रेजी के स्टेण्डर्ड पर नहीं आया है। नतीजा यह है कि न तो हिन्दी से फायदा उठा रहे हैं और न अंग्रेजी से। आज तक हिन्दी का लिट्रेचर अंग्रेजी के लिट्रेचर से कम्पीट नहीं कर सका। शैली आदि को ही हिन्दी पोइट्स ने आज तक कॉपी किया है, शैली की लैंग्वेज की कापी की है। जो हिन्दी के नोवलिस्ट हैं, उन्होंने अंग्रेजी के नोवल्स की कापी की है। अगर हिन्दी के नोवल का स्टेण्डर्ड देखा जाय...

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को चैलेंज करती हूँ कि सारी बातें झूठी हैं।

श्री श्रीभानसिंह : हिन्दी नोवल्स को देखा जाय, तो हिन्दी नोवल्स का स्टेण्डर्ड एक्चुअली गिरा हुआ है। प्रेमचन्द के नोवल्स को ले लीजिए, उनमें क्या है, वे एक करेक्टर रखते हैं जो भगवान के माफिक है। आखिर नोवल किसके बारे में होता है, नोवल इन्सान के बारे में लिखा जाता है, देश के बारे में लिखा जाता है, देश की सर्कम्सटान्सेज़ के बारे में लिखा जाता है, लेकिन वे एक आइडियल Character नोवल लिखते हैं, इस प्रकार हिंदी लिट्रेचर में अंग्रेजी लिट्रेचर की कापी की है। आज जो वेस्टर्न लिट्रेचर हैं, उसके अलावा कोई लिट्रेचर नहीं। इसलिए ही इंगलिश लैंग्वेज को इन्टरनेशनल लैंग्वेज बना चुके हैं, उसे आप कन्डेम कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति, मैंने अंग्रेजी भाषा को कन्डेम नहीं किया है। हम उस भाषा को मानते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य वाद-विवाद में न पड़ें।

श्री मूलचन्द डागा : विषय यह है कि राजकीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, आप अंग्रेजी भाषा से तुलना कर रहे हैं। हिन्दी-अंग्रेजी भाषा से तुलना का सवाल नहीं है। यहां सिर्फ राजकीय भाषा का सवाल है।

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, हिन्दी में इतनी कमी होते हुए भी माननीय सदस्य यह चाहें कि उसको १९५८ में लागू कर दिया जाय, १९५९ में लागू कर दिया जाय तो यह फेन्टास्टिक नहीं तो क्या? अगर आप हिन्दी को लागू करें तो उसके लिए टाइम जरूरी है, क्योंकि हिन्दी को एन्करेज़ करना है। हिन्दी को डिस्करेज किया जाय, यह मैं नहीं कहता। धीरे-धीरे जो हिन्दी के वर्ड्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको डवेलप करें। हिन्दी लैंग्वेज़ में फ्लो आये। आज न हिन्दी में फ्लो है, न कोई स्टाइल है। एक स्टेरेटाइप की भाषा है। मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मैंने हिन्दी में इन्टरमीडिएट किया है और संस्कृत में डिप्लोमा तक ली थी। मगर फिर भी मैं आज की हिन्दी को समझ नहीं सकता। आज कल जो हिन्दी लिखी जाती है, जिस हिन्दी को काम में लिया जाता है, उसको समझ नहीं सकते। अगर एक बिल हिन्दी में ड्रॉफ्ट किया जाय तो उसे माननीय सदस्य समझ नहीं

(श्री श्रीमानसिंह)

सकते, वे खुद भी बिल में अमेंडमेंट इंग्लिश में देते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके लिए टाइम दीजिये, टाइम देने के अन्दर न तो अंग्रेजी की इम्पीरियलिज्म साबित होती है और न टोटेलिटेरियनिज्म ब्यूज भी नहीं साबित होती है। अगर यह माना जाय कि राजस्थान में हिन्दी को लागू किया जाय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में हिन्दी को लागू किया जाय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि इस भाषा को राजस्थान की मेजोरिटी बोलती है और हिन्दी को २४ लाख आदमी बोलते हैं। अगर यह हिन्दी भाषा मेजोरिटी पर लागू की जाय तो यह इम्पीरियलिज्म है, टोटेलिटेरियनिज्म है। जिस हिन्दी को क्रियेट किया है, उसको डेवलप होने दीजिये क्योंकि कोई भी लैंग्वेज टाइम लेती है। इंग्लिश लैंग्वेज भी Gradually डेवलप हुई थी। जो हिन्दी नेशनल लैंग्वेज बन गई है, उसको डेवलप होने दीजिये। पहले लैंग्वेज को एक्सपेंड करिये, उसमें टेक्निकल टर्म्स लाइये तब उसे लागू करिये।

इसलिये ५८ या ५६ यह तो बहुत नीयरेस्ट है, इसमें हिन्दी में काम हुआ तो सक्सेसफुली हम अपना काम नहीं कर सकते। आखिर सौ डेढ सौ साल तक अंग्रेजी राज्य रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में यह चीजें भरी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं मिडिल क्लास में वह चीजें भरी हुई हैं, आप आज चाहते हैं कि एक दम से निकाल दिया जाय, यह एक दम कैसे पोसिबल हो सकता है। मनुष्य बन्डल्स और हेबिट्स हों तो उनको एक दम नहीं निकाल सकते, चाहे आप कानून बना दीजिये। जब तक उसकी हेबिट को इम्प्रूव नहीं करेंगे उसे लागू नहीं कर सकते। तो उसकी हैबिट को चेंज करवाइये ग्रेजुअली। एक सेन्टीमेंटल बिलीफ है, उसको लागू कर दिया तो मुझे अंदेशा है, न लैंग्वेज इम्प्रूव करेगी, न एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करेगा और न जनता ही समझ सकेगी।

तो ऐसी सूरत में माननीय श्री बहादुरसिंहजी ने संशोधन रखा है कि as early as possible इसके माफिक ग्रेजुअली किया जाय।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री जुगलकिशोरजी चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय सभापति महोदय, एक संकल्प सदन के सामने यह आया है कि हिन्दी को राजस्थान की राज्य भाषा ५६ के अन्त तक प्रचलित कर दिया जाय। मैं समझता हूँ कि मूल संकल्प और उसके अनन्तर जो जो संशोधन आये उनके संबन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करूं, लेकिन अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने इस प्रश्न को लेकर आंग्ल भाषा की जिन शब्दों में वकालत की है, मैं आवश्यक समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में ही मैं अपने विचार पहले रखूं। आप जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ, अंग्रेजी का पक्ष पोषण कर रहे थे, हिन्दी की हीनता बतला रहे थे, उसको देख कर तो मुझे लार्ड मैकाले के वे दिन याद आगये, जिस दिन मैकाले ने भी लगभग इन्हीं शब्दों में कहा था, जब एक ओर हिन्दी, संस्कृत, अरबी के बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे और दूसरी ओर अंग्रेजों के कानूनी सलाहकार लार्ड मैकाले बैठे थे और यह तय हो रहा था कि कौन सी भाषा हिन्दुस्थान की राज्य भाषा होनी चाहिये। उसने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भी ऐसी चीजें बताई थी कि संस्कृत, हिन्दी व अरबी के साहित्य में क्या क्या कमियां हैं, उसी तरह माननीय सदस्य कह रहे थे कि हिन्दी साहित्य नहीं। क्या प्रेमचन्द के उपन्यास, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास नहीं, वे आज संसार की सारी भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। तुलसी-कृत रामायण का अंग्रेजी में चौपाइयों के रूप में छन्दोबद्ध अनुवाद हो चुका है, रूस में सबसे अधिक इसका प्रचार है। पर मैं तो कहता हूं, अंग्रेजों ने जिस वक्त अपना राज्य जमाना शुरू किया, अपने राज्य की स्थापना की और हमारे मुल्क को लम्बे अर्से तक अपने अधीन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक समझा कि हमारे मुल्क को मानसिक दासता में बांधा जाय और इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी समझा कि यहां की भाषा पर कब्जा किया जाय। उस समय का कहा हुआ एक वाक्य मुझे याद आ जाता है जो लार्ड मैकॉले ने कहा था। हिन्दी, अरेबिक और संस्कृत की अंग्रेजी भाषा के साथ तुलना करते हुए कहा था: 'A single shelf of a good European library is worth the whole Indian and Arabian literature put to-gether.'

इस प्रकार सारे हिन्दुस्तान के ही लिये नहीं सारे एशिया को चेलेंज किया था, चुनौती दी थी कि एशिया या हिन्दुस्तान में जितनी भाषाओं का साहित्य है, अरेबिक, हिन्दी, संस्कृत का जितना साहित्य है, उन सबका एक तरफ ढेर लगा दिया जाय और दूसरी तरफ यूरोप अर्थात् पाश्चात्य देश के साहित्य की एक आलमारी अथवा, ताक के अन्दर थोड़ी सी किताबें रख दी जायं तो वे किताबें उस सारे ढेर से कहीं अधिक बढ़कर हो जायेंगी। यह उनकी उस समय की युक्ति थी, जब कि उनके साम्राज्य का सितारा चढ़ रहा था। दुर्भाग्य से उस समय हमारे अन्दर स्वातन्त्र्य, स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमान की भावना नहीं थी और धीरे-धीरे वह जहर इतना बढ़ गया कि स्वतन्त्र होने के बाद भी हम आज तक इस तरह से अंग्रेजी का गुणगान कर रहे हैं।

प्रश्न यह था कि हिन्दी विधि द्वारा राजस्थान की राजभाषा हो; राजस्थान बनने के दो वर्ष बाद ही राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का आयोजन आरम्भ किया था, हमारी भावना थी कि यहां हिन्दी का व्यवहार व प्रचलन जल्दी से जल्दी हो। मेरा उस आयोजन से सम्बन्ध रहा था, इस इसलिये मैं इस बारे में पूर्ण-रूपेण अवगत हूँ। उस समय एक कमेटी बनी थी, जिसने एक अवधि को निश्चित करते हुए हिन्दी को राजस्थान की राजभाषा स्वीकार करने के लिये सिफारिश की थी। परन्तु उस समय अमल नहीं हो सका। जिस दलील के साथ अंग्रेजी की वकालत की थी उसमें एक चीज बहुत दिलचस्प कही गी सारे राजस्थान के इतने प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, उनके ख्याल में यह बात नहीं आई, वह दलील यह थी, कि हिन्दी को इसलिये राजस्थान में प्रचलित नहीं किया जाय, कि राजस्थानी यहां की भाषा है। शायद उनको हिन्दी साहित्य का विशेष परिचय नहीं, अनुभव नहीं, उन्हें समझना चाहिये, कि राजस्थानी कोई अलग भाषा नहीं है, वह तो जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट बोलते हैं वह बोली है। अवधी मागधी, ब्रजभाषा, मैथिली ये बहुत सी बोलियां हैं, जो भाषाएँ नहीं बोलियां हैं और वे सभी हिन्दी के अन्तर्गत आती हैं। हिन्दी स्वयं एक भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रजभाषा और दूसरी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बोलियां शामिल हैं, इसके अन्तर्गत आती हैं। इतने बड़े रूप में इसे भाषा माना है तभी इसको बोलने वाले सबसे बड़ी संख्या में हैं। अगर आपकी युक्ति को मान लिया जाय, तो आपने जो तीस-चालीस लाख हिन्दी भाषा-भाषी राजस्थान में बताये हैं, उनमें से एक भी हिन्दी भाषा-भाषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि मैं जिस प्रान्त से आया हूँ, माननीय सदस्य जिस प्रान्त से आये हैं, उनकी भाषा हिन्दी नहीं है, वहां के लोग ब्रजभाषा-भाषी हैं। उधर राजस्थानी का प्रचार है, कहीं डांग की बोली, कहीं हाड़ोती, तो कहीं मेवाती भाषा बोली जाती है। ये वास्तव में भाषाएं नहीं हैं, ये तो बोलियां हैं, भाषा अगर यहां कोई है तो वह हिन्दी है। इसीलिये हमारे संविधान में प्रश्न आया कि कौनसी भाषा भारत की राष्ट्र भाषा हो, क्योंकि कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि गुलामी के वख्त की जो दूसरे देश की भाषा रही है, उसको अपने स्वतन्त्र देश की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाय। यही कारण था कि जब संविधान बनने लगा तो सबसे पहले निश्चित किया, सर्व सम्मति या भारी बहुमत से निश्चय किया, कि जिस भाषा के बोलने वाले अधिक से अधिक हों उसी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाय। क्योंकि १४ करोड़ के करीब हिन्दी भाषा के बोलने वाले हिन्दुस्तान के अन्दर हैं; उत्तर भारत में ही नहीं, अपितु दक्षिण भारत में भी और अन्य प्रान्तों में भी, महात्मा गांधी की कृपा से, सब जगह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से हिन्दी का प्रचार किया जा चुका था, अतः हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा मानी गई।

संकल्पकर्ता महोदय ने राष्ट्रभाषा हिन्दी को मातृ भाषा कहते हुए यह संकल्प रखा है, इस प्रकार राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में confusion लिया है। मैं कह सकता था, जितने माननीय सदस्य हैं इस सदन के, वे इसे मातृ भाषा भी कह सकते हैं। पर वास्तव में हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, इसको हम राष्ट्र-भाषा ही कहेंगे. क्योंकि मातृ भाषा तो महाराष्ट्रियों की मराठी हैं, मद्रास वालों की मद्रासी है। यही कारण है कि दक्षिणी भागों में हिन्दी का विरोध किया जा रहा है, यह सब इसी ग़लतफ़हमी के कारण है, हमें चाहिये कि हम इसे राष्ट्रभाषा ही कहें, मातृ भाषा नहीं। मातृभाषा यह राजस्थानियों की, उत्तर भारत वालों की व बिहार वासियों की हो सकती है पर मद्रासियों की, बंगालियों की और महाराष्ट्रियों की यह मातृ भाषा नहीं, उनकी राष्ट्रभाषा ही है, इसलिये इसे राष्ट्र-भाषा के रूप में ही स्वीकार किया गया है। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानने की अहमियत इस रूप से बतलाई है कि जिस समय हमारा देश स्वतन्त्र हुआ, "इंगलैण्ड की आकाश वाणी संस्था" बी० बी० सी० ने महात्मा गांधी से पूछा कि आपका देश स्वतन्त्र हुआ है, इस सम्बन्ध का कोई सन्देश दीजिये, महात्मा गांधी उन दिनों बंगाल की तरफ घूम रहे थे, उन्होंने एक ही संदेश दिया, वह सदेश इसी रूप में था कि दुनिया को जान लेना चाहिये कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। यह संदेश कितना सारगर्भित था कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानते। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म किया, अंग्रेजी वेष भूषा को खत्म किया, अंग्रेजी भाषा को भी इस देश से खत्म करना, यही उनका ध्येय था और उनके इस कथन का यही मतलब था, जो महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। मगर आज हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हम उसे अभी तक समाप्त नहीं कर पाये हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो १५ वर्षों की जो अवधि निश्चित की गई है, वह राजस्थान जैसे सर्वथा हिन्दी भाषा-भाषी राज्य के लिये लागू नहीं होनी चाहिये, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश या बिहार के लिये भी लागू नहीं होनी चाहिये। जहां कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ कर सब लोग हिन्दी जानते हैं और राज्य भाषा हिन्दी ही है। हमारे यहां तो हिन्दी राज्य भाषा बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। हां, मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें अवश्य कुछ कठिनाइयें और मजबूरियां हैं। उच्च न्यायालयों की बात है, बाहर पत्र-व्यवहार करने की बात है लेकिन जहां राज-काज की भाषा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि हमारे आंतरिक मामलों को लेकर अंग्रेजी में काम न करें। जैसे विभागीय अध्यक्ष का काम है, सचिवालय का काम है, वे सारे के सारे काम हिन्दी में हों तो इसमें कोई अड़चन नहीं हो सकती। इसके लिए मैं यह बताऊंगा कि राजस्थान जैसे प्रांत के लिए यह कोई कठिन चीज़ नहीं है। मैंने एक दिन प्रश्न के दौरान में कहा था कि राजस्थान के सभी राज्यों में हिन्दी प्रचलित थी। एक प्रश्न हो सकता है, कि जयपुर में उर्दू थी मैं समझता हूँ कि हिन्दी और उर्दू में सिर्फ लिपि का अन्तर है। लेकिन बोल-चाल की भाषा में कोई अन्तर नहीं है। हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में; बाकी भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं है। राजस्थान में अंग्रेजी में या तो राजनैतिक विभाग को पत्र-व्यवहार किया जाता था या वह उच्च न्यायालयों के लिए रही है। बाकी दूसरे राज्य-काज के लिए हिन्दी, कहीं हिन्दुस्तानी और कहीं उर्दू रही है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि हमको अपनी राष्ट्र भाषा में ही काम करना चाहिये। यदि इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाइयें हों तो उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व भरतपुर और अलवर आदि राज्यों में हिन्दी को अपनाया और महामना मालवीयजी की प्रेरणा से वहां के तत्कालीन राजाओं ने यह घोषणा कर दी थी कि ६ महीनों में सारा काम हिन्दी में होना चाहिए, और एक भी कागज अंग्रेजी में नहीं आना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि आज भी अलवर में आप देखेंगे कि हिन्दी के कोष तैयार हुए हैं और प्रत्येक विभाग के पारिभाषिक शब्द भी तैयार किये गये और जितने लोग हैं सब हिन्दी में लिखते हैं। राजाओं का यह कहना था कि हमारे पास देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में नोट आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस समय ६ महीनों में ऐसा हुआ था। मत्स्य में भी, मुझे ध्यान है, हमने इसके लिए चेष्टा की भी कि जल्दी से जल्दी हिन्दी में काम हो। इसके लिए टाइप राइटर, शीघ्र लिपि लेखक आदि का प्रबन्ध किया गया था। मैं अनुभव करता हूँ कि इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयें हो सकती हैं लेकिन उनको दूर करने के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए और इसके लिए जो संशोधनकर्ता ने संशोधन रखा है.... .

(घंटी)

"यथा शीघ्र" के बजाय "तत्काल" लगाते तो ज्यादा फ़ायदा होता। मैं यह कहूँगा कि समस्या जो अभी तक हल नहीं हो पाई तो वह कल तक कैसे हल हो सकेगी। वह इतनी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जल्दी हल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि सन् १९५८ के अन्त तक भी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मगर यथा-शीघ्र से शायद हम उसको खींचते खींचते १९६५ तक ले जाए इसलिए मैं यह कहूँगा कि ऐसे प्रयत्न किये जावें कि सन् १९५८ तक हिन्दी हो जाए और अगर इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाइयें हों तो उनको दूर करने की चेष्टा की जाए। मैं भी यह मानता हूँ कि राज्य के लगभग सभी माननीय मन्त्री हिन्दी में काम करना पसन्द करेंगे और मुझे माननीय मन्त्रियों से जरूर ऐसी आशा है, कि वे हिन्दी राष्ट्र भाषा में काम करने के लिए अग्रसर होंगे और सचिवालय में भी ९० प्रतिशत, विभागीय अध्यक्ष ८० प्रतिशत हिन्दी जानते होंगे। नीचे के लोग तो सभी जानते होंगे अतः वे लोग हिन्दी में काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाइयें थोड़े से लोगों के लिए हो सकती हैं।

(घंटी)

मैं आपको बताऊं कि १९५२ में चीफ सेक्रेट्री थे, उन्होंने हिन्दी के सम्बन्ध में अपना नोट हिन्दी में दिया। कहने का तात्पर्य यह कि बाहर से आए हुए भी हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो संकल्प है कि सन् १९५९ के अन्त तक राज्य का सम्पूर्ण काम-काज राष्ट्र भाषा हिन्दी में किया जाना आरम्भ कर दिया जाए, इसका तो मैं विरोध करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि जितने साधन जल्दी से जल्दी इसको अमल करने के लिए व्यावहारिक दृष्टि से अमल में लाने में किए जा सकें, करने की चेष्टा की जाए। इस आशा के साथ मैं इस प्रस्ताव में जो "यथा शीघ्र" का संशोधन है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Chairman, I believe this problem is more practical rather than theoretical. If we look at this problem from practical point of view, I think every one of us would agree that the point is voiced down to this that 'now or never.' If we start thinking that Hindi should be introduced here by and by or by small measures, I believe we are trying to evade the issue. It is unfortunate for me, Sir, that I am not able to express myself freely in Hindi, and I believe the only reson for my not being able to express myself in Hindi is that you have not obliged me to speak in Hindi. The momemt you pass an order that none shall speak on the floor of the House in English, I shall be obliged to speak in Hindi and I am sure to pick up Hindi in two month which I have not been able to do in the last ten years.

श्री भानसिंह : But that will be denying the freedom of expression.

श्री अर्जुनदास : Please try to have some patience. I request the Hon. Member to have patience which he expects from others.

I have been here in Rajasthan at least for 10 years but unfortunately for me, I have not been able to pick up Hindi either in court

(श्री अर्जनदास)

or in the Legislative Assembly itself. Why so? Because I have been given the choice to speak in English both here as well as in the law court. The moment you pass an order that none shall speak in English, I am sure I will be able to pick up Hindi in two months which I have not been able to do in the last ten years so far. Therefore, if we want to proceed with Hindi or to have Hindi as soon as possible, we will have to take some urgent steps and see that everybody is obliged to speak in Hindi.

I also know that necessity needs no law. I can certainly vouchsafe that everyone will pick up Hindi. I am a Sindhi myself but my wife does not happen to be a Sindhi. She did not know Sindhi when I married her. But necessity needs no law, and immediately after we married, she had to pick up Sindhi and now she can talk in Sindhi as good as I myself. Similarly, if you want to introduce Hindi, do it now; or say openly that you are trying to evade the issue. Let us be practical rather than theoretical. Let us not say, there will be this difficulty and there will be that difficulty. Difficulties are bound to evaporate as soon as we make up our minds once for all that we shall have Hindi.

I may also say that Sindhis here in Rajasthan have been able to pick up something of Hindi at least, of course not much of it, but on the other hand, we can also see that the local people have not been able to understand Sindhi. Why so? Because they do not have the necessity to do it. The question is only of necessity. Sindhi have gone over and settled in Gujrat, they have gone to Bengal, they have gone to Madras and wherever they have settled down, they have been able to pick up that particular language and they are able to express themselves in that language. Why so? Because they know that their business cannot go on without knowing the language of the place. Similerly, here if we want to have Hindi in Rajasthan, we should be courageous enough and say that we shall have Hindi today, if possible, or atleast from tomorrow.

The Hon. Member, who spoke just before me, he tried to differentiate between mother-tongue and national language. I believe he might be correct so far as the rest of India is concerned, but in U. P. and Rajasthan here both are identical. Hindi is both our national language as well as mother-tongue. Therefore, let us not fight on these little points, but proceed with one mind, one idea that we have got to have Hindi at any cost and at all costs.

I support this resolution that

(श्री अर्जुनदास)

we should have Hindi at any cost as soon as possible, and if possible, from 1958.

५ म० प०

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा कि बोलने वाले काफ़ी हैं इसलिए क्या इस विषय पर अगली बार जब कभी विचार होगा तो इस पर विचार जारी रहेंगे। अब यह सदन की इच्छा पर है। १४.४.५८ को प्राइवेट रिज़ोल्युशन लिये जाने को हैं।

डॉ० चन्द्रकला : १ घण्टा और वाद-विवाद हो सकता है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय जवाब देंगे और जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है वे प्रत्युत्तर देंगे। इस दृष्टि से अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने के लिए आधा घण्टा मिल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : जितना मिल जाय अच्छा है। आज का जो एक घण्टे का समय है उसको इस डिबेट में उपयोग किया जाय। १४-१५ तारीख प्राइवेट रिज़ोल्युशन्स के लिए निर्धारित है उनमें दूसरा बिज़नेस है उसको लें।

श्री सभापति : जैसी सदन की इच्छा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है और उस पर जो संशोधन रखे गये हैं वे व्यावहारिक नहीं हैं। एक संशोधन है कि इसमें 'यथाशीघ्र' और 'तत्काल' शब्द जोड़ दिए जांय, मैं कहना चाहूंगा कि यह उसी तरह की बात है जैसी गत दस वर्ष से कार्य होता रहा है। जब जब भी हिन्दी का प्रश्न उठाया जाता है तो उत्तर मिलता है तत्काल कार्य कर रहे हैं अथवा यथा शीघ्र कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय यदि तत्काल और यथाशीघ्र शब्दों में कोई जान होती तो सदन के सामने संकल्प भी नहीं प्रस्तुत होता। संकल्प प्रस्तुत करने का मतलब ही यही है कि तत्काल और यथा शीघ्र से पेट भर चुका है इसलिए अब इसके लिए एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतने समय में यह कार्य कर दिया जायगा। एक संशोधन आया है कि सन् ५८ तक कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह यथा शीघ्र होगा और व्यावहारिकता को दृष्टि में रख कर जो संकल्प सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह स्पष्ट है। इस प्रश्न को केवल भावनात्मक न बना कर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से जो सन् ५६ तक की सीमा रखी गई है वह व्यावहारिक है। इस दृष्टि से जो संकल्प रखा है वह पूर्ण व्यावहारिक है और मानने योग्य है।

मैं इस बात को लेकर निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न आज यहां क्यों रखा गया ? जिस समय हम परतन्त्र थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय सभी का विचार था कि पहले हम अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल दें, उसके पश्चात् जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, इस धरती के जलवायु और वातावरण के अनुसार हम अपना विकास करेंगे। लेकिन हमने देखा कि गत दस वर्षों में हमने इस विचार को इतना प्रश्रय नहीं दिया। यहां मैकॉले की बात को लेकर कहा गया। मैकॉले का केवल एक मात्र विचार था कि हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखना चाहिए। हिन्दुस्तान को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गुलाम बनाये रखने के लिए सबसे उपयुक्त चीज यही हो सकती थी कि मनुष्यों के दिमाग़ को और वातावरण को बिल्कुल बदल दें। इसको बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि भाषा को बदल दें। भाषा ही ऐसी चीज है कि जिससे सस्कृति और समाज का विकास होता है। भाषा और संस्कृति के आधार पर जो हिन्दुस्तान एक सूत्र में जकड़ा हुआ था उसकी संस्कृति और भाषा को छिन्न-भिन्न करने के लिए अलग अलग सूबे बना कर डिवाइड एण्ड रूल की पोलिसी अख्तियार करके उसको छिन्न भिन्न करके टुकड़ों में बांट दिया गया और अंग्रेजी भाषा को हमारे ऊपर थोपा गया। अंग्रेजी हमारे ऊपर इसी तरह थोपी गई कि आज हम देखते है कि दस वर्ष तक भी जिस आज़ादी की भावना को लेकर हम लड़े थे, देश से अंग्रेजों को निकाल बाहर किया लेकिन आज भी अंग्रेजी का भूत सवार है और वह फिर बोलने लगा है। दक्षिण से वह भूत उठा और राजस्थान में भी एक दो जगह से इसके लिए आवाज़ सुनाई दी। इसका कारण क्या है ? इसका एक मात्र कारण यही है कि सरकार की जो नीति है वह अत्यन्त ढीली है, अत्यन्त तुष्टी-करण की नीति है। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी कठिन है और सरलता से समझ में नहीं आ सकती है। सभापति महोदय, मैं आपको एक संस्था का उदाहरण देता हूं। वह संस्था है राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ। उस सस्था के जितने भी आदेश होते हैं वे सब संस्कृत में ही दिये जाते हैं। हर आदेश में संस्कृत का उपयोग किया गया है। इस संस्था की सारे हिन्दुस्तान में शाखायें चलती हैं, कोई भी डिफीकल्टी नहीं आई, कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई कि शब्द समझ में नहीं आते हों। जहां कहीं भी देश के कोने २ में इस संस्था के प्रचारक जाते हैं वे सब हिन्दी में ही भाषण करते हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि चाहे वह बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, जहां कहीं भी इस संस्था के प्रचारक, कार्यकर्त्ता जाते हैं इतनी शुद्ध हिन्दी बोलते हैं कि किन्हीं को भी यह मालूम नहीं होता कि यदि वह पंजाब का रहने वाला है तो पंजाबी का असर हो, वह असर दिखाई नहीं देता; आदमी जानते हुए भी कि यह पंजाब का रहने वाला है लेकिन यह विचार और भावना नहीं होती कि पंजाबी भाषा नहीं बोलता है इसलिए पंजाबी नहीं है। जैसे कोई हिन्दी बोलता है है उसी प्रकार वे हिन्दी बोलते हैं और भाषण करते हैं। इसका क्या कारण है ? इसका एक मात्र कारण यही है कि उनके दिमाग़ में एक विचार था कि यदि देश को एक सूत्र में बांधने की किसी में ताकत है तो यह भाषा ही है और भाषा को ठीक करना है। हमने देखा कि प्रान्तों का निर्माण हुआ। हमने यह भी देखा कि गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में क्या भावना फैली, महाराष्ट्रियों ने गुजरातियों के लिए क्या किया, बंगालियों और बिहारियों ने क्या किया ? क्या हम देश को फिर से लड़ा-भिड़ा कर ताकत बनाये रखना चाहते हैं, छिन्न-भिन्न करके देश के टुकड़े टुकड़े चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है ? यदि आप चाहते हैं कि देश में स्वतन्त्रता का निर्माण हो, सारा देश का जन समुदाय एक सूत्र में बंधे तो उसके लिए तो जो बहुसंख्यक भाषा हिन्दी है उसको लागू करना पड़ेगा। संविधान बना तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार हुआ कि आखिर इस देश की भाषा क्या हो सकती है ? पूर्ण विचार करने के बाद केवल हिन्दी ही एक मात्र भाषा निकली जो समूचे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकती थी। लेकिन कुछ लोगों की कठिनाइयों को सामने रखते हुए यह प्रश्न सामने आया कि यदि हम यह रखते हैं तो क्या यह उन पर थोपी गई है? महात्मा गांधी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हिन्दी के लिए प्रयत्न किये, मालवीयजी ने भी इसके लिए प्रयत्न किये। जितने नेता, लीडर और मार्गदर्शक थे, उन सब के मन में केवल यही भावना थी कि जिस दिन हम आजाद हो जावेंगे सब से पहला प्रश्न जो खड़ा होगा वह भाषा का होगा क्योंकि जिस भाषा ने हमको गुलाम बनाये रखा, जिसने हमारे टुकड़े २ कर दिये वह कायम रही तो देश की स्वतन्त्रता का निर्माण नहीं होगा। दस वर्ष के पश्चात् भी हम देखते हैं कि वही भूत हमारे सामने खड़ा है। यह हमारी लच्चरता के ही कारण है। मैं कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों की बात है। हिन्दी में अध्यापक लेक्चर देने लगे थे। सारे विद्यार्थी हिन्दी में ट्रेन्ड हो चुके थे, शिक्षित हो चुके थे। फिर क्या हुआ? जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कि अंग्रेजी का स्तर नीचा हो गया है, केवल इसलिए कि न हिन्दी को ही पकड़ पाये हैं और न अंग्रेजी को ही। यह हमारी लच्चरता है। जब कॉलेज में फिर अंग्रेजी में लेक्चर्स होने लगे तो विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया। लेकिन सरकारी आदेश था और लड़कों को पढ़ना था इसलिए उन्होंने पढ़ा। मैं आपको एक उदाहरण और दूं। हमारे स्कूलों में राष्ट्रीय गीत का अशुद्ध पाठ होता है इसलिए सरकार ने आदेश दिये हैं; यह भी देखिये कि आदेश किसमें दिये हैं, बच्चे प्राइमरी स्कूलों के हैं, "जन मन गण" का पाठ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ठीक पाठ करना चाहिए। सर्कुलर अंग्रेजी में भेजा गया है और जो राष्ट्रीय गीत है "जन मन गण" वह भी अंग्रेजी में लिखा गया है। यह सर्क्युलर है। जो० ए० डी०। मिस्टर जी० के० भनोत, डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा इश्यू किया गया है। अंग्रेजी में आदेश दिये हैं। राष्ट्रीय गीत है उसका किस तरह से पाठ करेंगे, यह भी अंग्रेजी में दिया है। अंग्रेजी हमारे पास से जाती क्यों नहीं? उसका कारण था उनके सामने, जब भी टाइपराइटर्स की खरीद होगी अंग्रेजी के ही टाइप राइटर्स खरीदे जावेंगे।

जितने भी सेक्रेटेरिएट में उच्च अधिकारी हैं वे हिन्दी नहीं जानते और न आप उनको जनवाने का ही प्रयत्न करते हैं। आज अंग्रेजीदां मद्रासी लोग हमारे यहां आकर काम करते हैं क्योंकि राजस्थान में आदमी नहीं मिलते। हमारी सरकार का यह ख्याल रहता है कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही शासन को ठीक प्रकार से चला सकते हैं, इसीलिये मद्रासी लोग रखे जायेंगे। आज हम हिन्दी प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं तो हमें पहला कदम यह उठाना होगा कि जितने भी सचिवालय में अंग्रेजी टाइप राइटर्स हैं उनको आप हिन्दी में बदल दीजिये। आप अंग्रेजी टाइप जानने वालों को तरजीह न देकर हिन्दी टाइप जानने वालों को प्रोत्साहन दीजिये। आज देखते क्या हैं? हिन्दी टाइप जानने वालों को प्रश्रय नहीं, हिन्दी की शार्ट हैन्ड जानने वालों को प्रश्रय, नहीं आज अंग्रेजी शोर्टहैन्ड के जानने वाले और हिन्दी के जानने वालों में अन्तर है। आज इन सारी बातों को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारी सरकार का हिन्दी के साथ में सौतेला व्यवहार चल रहा है। हमारी आजादी के दस वर्ष के बाद भी जहां प्रारम्भ से हिन्दी से काम-काज होता रहा वहां पर भी हिन्दी का विकास नहीं। इसमें सभापति महोदय, यह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कहने से तत्काल या यथाशीघ्र कहने से काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय, मैं कोटा से आया हूं। मैं जानता हूं, जिस समय कोटा स्टेट का जमाना था उस समय वहां का सारा काम-काज हिन्दी में चलता था, वहां शासन संचालन इतना सुचारू रूप से होता था कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिये दूसरे लोग आते थे। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अलवर और भरतपुर में भी हिन्दी में काम होता था। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि जहां पहले हिन्दी में सुचारू रूप से काम होता था वहां पर यह अंग्रेजी थोपी क्यों गई? मैं आज की सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि अंग्रेजी पहले शासकों के ज़माने में नहीं थी, लेकिन जब स्वतन्त्रता मिली उसके बाद इस अंग्रेजी का प्रचार और भी ज्यादा हो गया। मुझे मालूम है जब हम कोई छोटे गांव में जाते हैं, वहां के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक जो हैं उनके पास यहां से सक्युर्लर्स जाते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं, वे बेचारे अंग्रेजी जानते नहीं, हम से कहते हैं कि आप इसका अर्थ समझा दीजिये। पटवारियों को जो हिदायतें जाती है वे भी अंग्रेजी में जाती हैं। आखिर आप किसको आदेश दे रहे हैं? जो लोग अंग्रेजी जानते नहीं, उनके साथ आप पत्र-व्यवहार करते हैं अंग्रेजी में! आपको अगर राजस्थान में शासन करना है तो आप लोग अंग्रेजी में सक्युर्लर्स निकालकर उनको कठिनाई पैदा न करें। रेवेन्यू मेन्युअल जो निकला है वह भी अंग्रेजी में निकला है, उनके जो शीर्षक होते हैं उनका हिन्दी अनुवाद नहीं होने से उन पटवारियों को हिन्दी अनुवाद करना पड़ता है। मुझसे भी कई पटवारियों ने कहा, आप इनका अनुवाद कर दीजिये, मैंने उनकी दिक्कतों को जितना हल कर सकता था किया। आज राजस्थान की जनता हिन्दी को जानती है, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो ज्यादा लोग जानते है, इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो राजस्थान के शासन को मान्य होनी चाहिये और लोगों के लिये भी यह सुविधाजनक होगा, वे अपनी बातें भी हिंदी में अच्छी तरह रख सकेंगे।

अजमेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि ऊंची कक्षाओं को विवश न किया जाय कि वे हिंदी पढ़े। लेकिन अगर हम इसकी आवश्यकता का सृजन करें तो यह सम्भव हो सकता है। थोड़े दिनों में हर आदमी इस योग्य हो जायगा कि वह हिंदी को पढ़ना पसन्द करेगा। यह केवल हमारी ढ़िलाई है, हमारी कमजोरी है। माननीय मुख्य मंत्री को याद होगा, जिस समय कोटा के अन्दर अस्पताल का उद्घाटन हो रहा था वहां एक इंजीनियर महोदय ने जो कोटा के रहने वाले हैं, हिंदी प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, हिन्दी के अच्छे ज्ञाता हैं फिर भी उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी में मेरा प्रभुत्व जम जायगा, अंग्रेजी में भाषण देना शुरू किया। लेकिन जनता आज जाग चुकी है, उन्होंने नारे लगाये हिन्दी में भाषण होना चाहिये; जनता जागरूक है। आज जनता में स्वाभिमान जग चुका है, स्वतंत्रता के बाद जहां कहीं भी स्वाभिमान का विरोध होगा, विरोधी नारे लगेंगे और उस समय लगे यह मुख्य मंत्री महोदय को याद है। इसी प्रकार हमारे यहां राजस्थान कैनाल का उद्घाटन हुआ, मुझे किसी ने कहा एक सज्जन अंग्रेजी में भाषण करने जा रहे थे, वहां पर भी जनता द्वारा कहा गया हिन्दी में बोलिये। इतना होने पर भी हम देखते हैं सचिवालय में लाल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

फीताशाही के कारण सब काम अंग्रेजी में होता है। क्या आपने यह योजना बनायी कि जो अधिकारी-गण हिन्दी नहीं जानते उनको इतने अर्से के अन्दर हिंदी सीख लेनी चाहिये? मेरा यह निश्चित मानना है कि जब तक आप कोई समय निर्धारित नहीं करते तब तक शासन में हिन्दी का चलन नहीं हो सकता। कारण इसका यह है कि आज ऊंची-ऊंची जगहों पर अंग्रेजी जानने वालों का समूह बैठा हुआ है जो अंग्रेजी भाषा के अलावा दूसरी भाषा में काम नहीं कर सकते। इसलिये यह आवश्यक है कि जितने भी हिन्दी नहीं जानने वाले लोग हैं उनको शिक्षण के लिये बाध्य किया जाय ताकि उनको एक-दो घण्टे हिंदी पढ़ना पड़े और उनको परीक्षा भी पास करनी चाहिये। इस प्रकार का सर्क्युलर निकाल दिया जाय कि छः महीने के अन्दर २ सचिवालय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको हिंदी सीख लेनी चाहिये, अगर वे नहीं सीखते हैं तो उनको कह दिया जाय कि आपके लिये राजस्थान में स्थान नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर हम करते हैं तो हिंदी का विकास होगा और कभी भी कोई व्यक्ति अंग्रेजी में काम करने का प्रयास न करेगा।

आज हिंदी का यह दुर्भाग्य है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति हिंदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद है हमारे पट्टाभिसीतारमैया ने राजगोपालाचारी के वक्तव्य पर कहा था कि राजाजी द्वारा जो अंग्रेजी की वकालत की जा रही है उसके पीछे बड़ा भारी षडयन्त्र है। मैं उन नेता पर इतना बड़ा आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि कुछ अमेरिकन एड चली आ रही है, कुछ अंग्रेजों के पंचमार्गी लोग इस देश में हैं जो अंग्रेजी का पल्ला अभी तक पकड़े हुए हैं। आजादी प्राप्ति के बाद जहां जनता ने अपने मस्तिष्क का विकास किया, भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादाओं को अपनाया, भारतीय जनता में जागरण किया लेकिन कुर्सी पर बैठ जाने के बाद उनका जो स्वाभिमान था वह खत्म हो गया, वे भी अंग्रेजी की गुलामी और लालफीताशाही की दासता में फंसते गये। इसलिये मैं सदन के माननीय नेता से निवेदन करना चाहता हूं, अगर वे हिंदी का विकास करना चाहते हैं तो जो लिमिट १९६१ तक की रखी है वह उपयुक्त है, अभी भी दो साल पड़े हैं जिनमें जो हिन्दी से जानकार नहीं है वे अपने आपको शिक्षित कर सकते हैं। मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देते समय यह कह सकते हैं कि हिंदी के टाइप राइटर्स मंगाने में बहुत ज्यादा खर्च होगा, मेरा उनसे निवेदन है कि जो अंग्रेजी के टाइपराइटर्स हैं उनको आप नीलाम कर दीजिये आधी पौन कीमत जो भी आवे वह भी उसमें लगा दीजिये और कुछ पैसा सरकारी कोष से मिलाकर हिन्दी के टाइप राइटर्स खरीद लीजिये। इतना ही मेरा निवेदन है, अभी दो साल का समय बहुत काफी है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सम्मुख रखा गया है उसके सिलसिले में मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

सभापति महोदय, मूल प्रस्तावकर्ता महोदय ने और संशोधन पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने सारी स्थिति को कुछ इस रूप में बना दिया जिसको मैं प्रारम्भ से ही कुछ दूसरे ढंग से सोचता हूँ। राजस्थान में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में सोचना और

(श्री हरिदेव जोशी)

उसके साथ मद्रास और आंध्र का उदाहरण रखना, कुछ बेमौका मैं मानता हूँ। राजस्थान की अगर कोई प्रांतीय भाषा है तो वह हिन्दी ही है, अगर यहां लोगों की कोई लिपि है तो वह देवनागरी लिपि के आलावा दूसरी नहीं हो सकती। मैं इस प्रश्न को अखिल भारतीय आधार पर नहीं लेता, मैं इस प्रश्न को राजस्थान के डेढ़ करोड़ निवासियों की सुविधा और शासन की दृष्टिकोण से देखता हूँ। जहां हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप और साहित्यिक स्वरूप का सवाल है इसके भिन्न भिन्न पहलू हैं। मैं निर्विवाद रूप से यह मानता हूँ कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है, अधिकांश लोगों की भाषा है, यहां का शासन-कार्य सुविधा पूर्वक और अधिकांश लोगों के लिए किया जा सकता है, तो और उसके लिए अगर कोई भाषा है तो वह हिन्दी भाषा ही हो सकती है।

सभापति महोदय, इस सिलसिले में जो वाद विवाद हुआ और जो देश में वातावरण चल रहा है उसके पक्ष में और विपक्ष में कई प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में न पड़कर केवल एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह कि हिन्दी की सेवा की भावना न होकर उन्होंने हिन्दी की कुसेवा की है। पिछले दिनों हमने देखा पंजाब में हिन्दी के नाम पर एक आन्दोलन हुआ, आन्दोलन के प्रवर्तक और समर्थकों में अखिल भारतीय जनसंघ के महा सचिव ने इस आन्दोलन के लिए यह कहा कि पंजाब में जो हिन्दी के लिए आन्दोलन हुआ उससे हिन्दी की कुसेवा हुई है और इसी की प्रतिक्रिया है कि दक्षिण के अन्दर एक प्रकार की आवाज खड़ी हुई। मैं इन दोनों प्रकार की चीजों का समर्थन नहीं करता। मैं एक चीज को मानता हूं और गंभीरता पूर्वक मानता हूं कि यदि राजस्थान के अन्दर देवनागरी लिपि को नहीं अपनाते हैं, हिन्दी भाषा को तत्काल राज भाषा के रूप में नहीं मानते हैं तो यह हमारी मानसिक दयनीयता का ही कारण हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कारण नहीं हो सकता। राजस्थान के अन्दर क्या ऐसे आदमी नहीं हैं जो हिन्दी में ड्राफ्ट कर सकें, हिन्दी के अन्दर नहीं लिख सकें? यदि कोई ऐसा महसूस करता है तो वह उसका व्यक्तिगत दोष है। अभी मेरे एक मित्र ने कहा था कि इन्टरमिडियट में साइंस लेने के बाद हिन्दी भाषा को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते।

श्री श्रीभानसिंह : I said 'Hindi,' Sir: I never said 'Sanskrit.'

श्री हरिदेव जोशी : (जारी रखते हुए) यह व्यक्तिगत दोष है। सभापति महोदय, यह भाषा का दोष नहीं, यह व्यक्तिगत कमजोरी है जो दलील के रूप में दूसरों पर थोपी नहीं जा सकती। यह उनकी कमजोरी है जिसको दूर करना चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : I have the courage of my conviction which the Hon. Member does not have.

श्री हरिदेव जोशी : (जारी रखते हुए) उनका है मुझे खुशी है कि उन्होंने इस कमी को स्वीकार किया और असुविधायें थोपने के रूप में स्वीकार किया। अंग्रेजी साहित्य के बारे में भी उन्होंने कहा। उनका कहना है कि हिन्दी में इतना उच्च कोटि का साहित्य नहीं है। हिन्दी का साहित्य वे समझ नहीं सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दी में साहित्य

(श्री हरिदेव जोशी)

ही नहीं है इसमें हिन्दी भाषा का दोष नहीं हो सकता। हिन्दी साहित्य ने जो चीजें राष्ट्र को दी हैं दूसरी कोई भी भाषा आज तक नहीं दे पायी हैं। पारिभाषिक शब्दों को लीजिये, विज्ञान के शब्दों को लीजिये हिन्दी भाषा दिन रात तरक्की कर रही है, जितनी तरक्की पिछले कई वर्षों से नहीं हुई।

आज हम समझते हैं कि हिन्दी साहित्य के अन्दर कमी है, वह अधूरी क्यों न हो जब कि हमारे दिमाग पर अंग्रेजी का भूत छाया हुआ है, हिन्दी बोल सकते हैं, फिर भी बोलना नहीं चाहते, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं फिर भी जो उनके दिमाग में अंग्रेजी की बू घुसी हुई है जब तक वह बू नहीं निकलती हिन्दी का कल्याण होने वाला नहीं। सभापति महोदय, जो हिन्दी जानते हुए उसको समझने की, उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं रखते तो ऐसी हालत में इसका सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होने वाला है? इसलिए मैं समझता हूँ कि हिन्दी का नुकसान अंग्रेजों से नहीं हुआ या उन लोगों ने नहीं किया जो अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों ने किया, जो हिन्दी बोलते हैं, हिन्दी समझते हैं, हिन्दी लिखते हैं लेकिन फिर भी उनके दिमाग में किन्हीं कारणों की वजह से अंग्रेजी का महत्व बना हुआ है। अगर मेरी दलीलों का किसी भी प्रकार असर हुआ है तो संविधान के अन्दर जो १४ भाषायें स्वीकृत हैं उसमें हिन्दी भी एक भाषा है और देवनागरी लिपि; इन दोनों को शासन-कार्य के लिए स्वीकृत करना चाहिए।

राजस्थानी के बारे में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थानी एक भाषा हो सकती है लेकिन लिपि नहीं। आज हम कोई लिपि या कोई भाषा स्वीकार कर सकते हैं तो वह है देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा, जैसे अन्य प्रांतों में; मद्रास में तामिल, बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, उसी प्रकार अगर राजस्थान में किसी दूसरी भाषा में काम किया जा सकता है तो उसके साथ लिपि देवनागरी ही हो सकती है। आज स्थिति यह है कि अधिकांश लोग हैं वे हिन्दी समझते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते और हिन्दी जानने वाले ही हमारे सेक्रेटेरियेट में भी बैठे हुए हैं एक दो के अलावा।

श्री श्रीमानसिंह : सेक्रेटेरिएट नहीं, सचिवालय कहिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इतने हिन्दी के दरवाजे बन्द करके चलना नहीं चाहता, जो सेक्रेटेरिएट को सचिवालय कहूं। हमें तो इस बात की कोशिश करनी है कि दूसरी भाषाओं के जितने भी शब्द आसानी से हिन्दी में खपा सकते हों उनको लेना चाहिए, हिन्दी भाषा तभी फलेगी-फूलेगी। अगर हम दूसरी भाषाओं से शब्द नहीं लेते तो हमारी भाषा अधूरी रहेगी। ऐसा करके उसके द्वार बन्द नहीं कर देने चाहिये कि जिससे दूसरी भाषाओं के शब्द इसमें आवें ही नहीं; आवें और काफी आवें और इस भाषा को समृद्ध बनाया जावे।

अंग्रेजी को अगर देखें तो इसकी क्या स्थिति है? इसमें हिन्दी के कितने ही शब्द ले लिये गये हैं, इसने उन शब्दों को आत्मसात् कर लिया। संसार की इसी तरह न जाने कितनी भाषाओं के शब्दों को अपने में आत्मसात् करके यह आज इतनी समृद्ध बनी है। तो यह आज समृद्ध बनी है, अपने दरवाजे सबके लिए खुला रखने के कारण। इसलिये

(श्री हरिदेव जोशी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिये और हिन्दी के शब्दागार को इसी तरह से समृद्ध किया जाना चाहिये।

आज राजस्थान के अन्दर जितनी भी जल्दी हो सके व्यवहारिक रूप से और ईमानदारी से हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को शीघ्रातिशीघ्र अपनाया जाना चाहिए। इसको अपना कर हम राजस्थान की जनता को विश्वास में ले सकते हैं क्योंकि आज जनता की यह भाषा है। आज सरकार के बीच में और जनता के बीच में अंग्रेजी भाषा को लेकर हमने जो दीवार खड़ी कर रक्खी है वह दीवार हमें तोड़नी है, अगर जनता को हम अपनाना चाहते हैं तो। हमें जनता की भाषा में बोलना पड़ेगा, उसकी भाषा में लिखना पड़ेगा अगर सरकार को जनता को विश्वास में लेना है तो, अगर सरकार को जनता के नजदीक जाना है तो और अगर कोई अधिकारी या राज्य कर्मचारी यह समझता है कि हिन्दी को अपनाने से और अंग्रेजी को छोड़ देने से कोई उत्पात हो जाने वाला है तो मैं सभापति महोदय, बड़ी नम्रता और दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। वैसे पहले सुना था कि अंग्रेज लोग कहा करते थे कि देश को आज़ादी दे दी गई तो प्रलय हो जायगा। पर आज़ाद हुआ देश और कोई प्रलय नहीं आया, बल्कि आया हमारी बहुमुखी समृद्धि का युग और जनजागरण का, जनोन्नति का स्वर्णिम युग, आज हमारे उस उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचने के लिए हमें एक बाधा को और दूर करना है, जिस तरह से हमने अंग्रेजों की दासता को दूर किया, उसी तरह से आज हमें उस रोड़े को भी बीच में से दूर करना है जो हमें जनता से मिलकर, उसको साथ लेकर अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचने से रोक रहा है। तो आज अंग्रेजी की हिमायत करने वाले भी इसी तरह की बात करते हैं, वही दलील वे दोहरा रहे हैं। भाषा किसी भी देश की भावनाओं का प्रतिबिम्ब होना चाहिये। आप आज उन लोगों से अंग्रेजी के माध्यम से बात करना चाहते हैं जो आज भी अंग्रेजी से बीसों बरस दूर हैं।

आज एक मित्र ने एक सरकारी कागज पढ़कर सुनाया। इसको सुनाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे तो आज सैंकड़ों दस्तावेज पेश किये जा सकते हैं कि जहां कांस्टेबल के पास ऑर्डर अंग्रेजी में आये हैं, आते हैं आज भी, पटवारी के पास अंग्रेजी में पत्र आते हैं, छोटी-मोटी प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों के पास अंग्रेजी में पत्र आते हैं, आखिर यह हमारी निर्बलता नहीं है तो और क्या है ? आखिर हमें ताज्जुब आता है, आज ये राज्य को चलाने वाले अधिकारी क्या सोचते हैं ! सभापति महोदय, मैं तो यही कह सकता हूं कि आज यह एक प्रकार का ढर्रा सा बन गया है। इसे गम्भीरता से लिये जाने की बहुत जरूरत है। इसे उतनी ही गम्भीरता से लिये जाने की और इस पर काम किये जाने की आवश्यकता है जितनी गम्भीरता से भूमि सुधार की बात को हम लेते हैं और करते हैं, भूमि सुधार जितना ही महत्व हमें इस प्रश्न को देना है। आप सीलिंग फिक्स करते हैं, जागीरदारी उन्मूलन करते हैं, जमींदारी उन्मूलन करना चाहते हैं और जितना महत्व इन सबको दे रहे हैं उतना ही महत्व इस हिन्दी के प्रश्न को दें। इससे रत्ती भर भी इसे कम महत्व न दें। हमें इस भाषा की समस्या को कम नहीं आंकना चाहिये।

(श्री हरिदेव जोशी)

बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि जो अधिकारी राजस्थान निर्माण के पहले अपनी अपनी पुरानी स्टेटों में हिन्दी में काम चलाते थे, शासन का सारा काम-काज हिन्दी में करते थे, वे आज क्यों अंग्रेजी से चिपटे पड़े हैं। उनमें से मैं मान सकता हूं, कई अंग्रेजी के विद्वान हो सकते हैं, उनको अपनी सुविधाएं हो सकती हैं, अपनी विद्वता का अभिमान हो सकता है। पर मैं कहता हूं यह विद्वत्ता दिखाने का स्थान नहीं है, उनकी अपनी सुविधाओं-असुविधाओं को देखने का अवसर नहीं है, यहां तो जनता की सुख-सुविधा को देखने का अवसर है, जनता क्या चाहती है, यह देखने का प्रश्न है। आज जिन लोगों को सचिवालय में हमने बिठा रक्खा है उनका पहला फर्ज यह है कि वे यह देखें और देखकर उस पर अमल करें कि आज राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता क्या चाहती है, उसकी समृद्धि और सुख-सुविधा किसमें है ! आज वे चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि राजस्थान की राज्य-भाषा हिन्दी होनी चाहिये, इसमें दो राय नहीं है। आज दस वर्ष के बाद भी हम अपने प्रान्त में हिन्दी भाषा और नागरी को उसका उपयुक्त स्थान नहीं दे पाये है। तब फिर अगर बंगाली, मद्रासी या महाराष्ट्रियन कुछ कहते हैं तो हम उनको क्यों दोष दें ! हम हिन्दी भाषी प्रान्त होने पर भी हिन्दी शासन में नहीं अपना सके, आज दस बरस बीतने पर भी, यही नहीं आज हमारे में भी हिन्दी का विरोध करने वाले मौजूद हैं, फिर दक्षिण वालों को हम क्या मुंह लेकर कह सकते हैं ? कहा जाता है कि हिन्दी कमज़ोर है। हम भाषाओं की तुलना नहीं करने बैठे हैं। हम तो यह सोचने बैठे हैं कि हमारा काम किस भाषा और लिपि में चलाया जा सकता है जिससे हम जनता के निकट सम्पर्क में आ सकें और शासन को जनता के पास ले जा सकें, शासन और जनता के बीच में आज जो खाई बनी हुई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर रखने की अपेक्षा विरोध करने वाले यह कहते कि दर-असल में कुछ मामलों में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं, तब तो उनकी बातें और उनका विरोध कुछ समझ में भी आ सकता है। पर बहस के लिये बहस करके जिसको व्यक्तिशः वे स्वीकार भी करते हैं या नहीं करते हैं उन्होंने ऐसी चीजें सामने रक्खीं जिनको सुनकर सदन के सभी सदस्यों को आश्चर्य हुआ और होना चाहिये भी था। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर किस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में हमने यह तय किया था कि हम धीरे-धीरे हिन्दी को शासन के कामकाज में लायेंगे, लेकिन इस ओर जो अभी तक प्रगति हुई है वह नगण्य सी है अथवा नहीं हुई है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। आज भी इस सदन के अन्दर सभापति महोदय, यह कहा गया था कि हम धीरे-धीरे हिन्दी को राज्य के कामकाज में प्रयोग में लायेंगे, मगर किसी एक विभाग के लिए सर्क्युलर निकल गया होगा, किसी एक विभाग के लिए कुछ कहा गया होगा, इसके सिवाय न तो इसमें राज्य ने दिलचस्पी ली है और न किसी प्रकार की प्रगति हुई है। मैं यह समझता हूँ सभापति महोदय, कि आज यह अवसर है कि हमारी राज्य सरकार कुछ निश्चित कार्यक्रम बनाये और उस कार्यक्रम को बनाकर यहां सदन के अन्दर घोषित करे जिससे हमें विश्वास हो कि हम भाषा की ओर कुछ गति बढ़ा रहे हैं। केवल यह कहने से कि हमारे यहां टाइपराइटर्स की कमी है

(श्री हरिदेव जोशी)

तो इसके माने यह हो जायेंगे कि जब एक अवधि पूरी होती है, जब कि राज्यभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करना है, उसके बाद में यह कठिनाइयां दूर करते हैं तो कठिनाइयां तो बनी रहने वाली हैं। तो इसका अर्थ यह होगा कि राजस्थान में हिन्दी की भाषा कभी नहीं होगी। पन्द्रह वर्ष की ही अवधि संविधान में करने के मतलब यह थे कि यह अवधि पूर्ण होने तक हम हिन्दी को काम काज में ले आयेंगे और हिन्दी में ही सारे कार्य करने लग जायेंगे। इसके माने यह कभी नहीं थे कि जब से संविधान बना और जब तक हिन्दी के लिए अवधि रखी गई तब तक तो काम अंग्रेजी में होगा और अवधि के समाप्त होते ही दूसरे दिन काम हिन्दी में होने लगेगा। बल्कि मंशा यह थी कि हम धीरे-धीरे इस ओर प्रगति करेंगे। उस प्रगति में सभापति महोदय, हमें यह देखना चाहिये था कि हम राजस्थान में किस तरह प्रगति कर रहे हैं। राजस्थान ऐसा प्रांत है जहां हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए, उतनी कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए कि जो आज मद्रास को, बंगाल को या ट्रावनकोर-कोचीन को आनी चाहिए। राजस्थान ऐसा प्रांत है जहां शतप्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिख सकते हैं और जो लोग हिंदी नहीं लिख सकते हैं वे कम से कम हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत आसानी से समझ सकते हैं; उन लोगों के मुकाबिले में जिनकी कि भाषा की शैली ही दूसरी है, जिनके लिखने का मोड ही दूसरा है या जिनकी दूसरी प्रकार की स्क्रिप्ट है; इन स्थितियों के अन्दर अगर हम लोग जल्दी से खड़े नहीं होते हैं तो इसमें दोष दूसरे लोगों का नहीं है, इसमें तो दोष हमारा ही है। अगर सभापति महोदय, मैं यह कहूं कि देश को जो सबसे ज्यादा काम दे रखा है वह देर से होता है तो यह जिम्मेदारी हमारी है। बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह जो प्रदेश हैं और जो हिंदी के घर हैं अगर वह लोग हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें उन लोगों के सामने बोलने का अधिकार नहीं होगा जिनकी कि भाषा हिंदी नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमें तत्काल ही इस प्रश्न को इतनी गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े काम को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें। आज हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयां क्या हैं! मुझे मालूम नहीं है। अगर यही कठिनाइयां हैं कि जैसी प्रस्तावक महोदय ने कही थीं कि हमारे यहां टाइपराइटर्स की कमी है तो राजस्थान के विकास के अन्दर हम बहुत बड़ा २ खर्च कर रहे हैं। हम कई बंध बना रहे हैं। हम ऐसा समझेंगे कि एक बंध नहीं बनाया था और हम एक वर्ष में उतने टाइपराइटर्स खरीद सकते हैं जितने कि पांच वर्षों में हम खरीदना चाहते हैं। अगर एक बंध को नहीं बनायेंगे और टाइपराइटर्स खरीद करके ऐसी सहायता मुहैय्या कर दें और उनकी कमी को पूरा कर दें जो कि जनता की भाषा को स्वीकार करने में अड़चनें हो सकती हैं। व्यावहारिक कठिनाइयां कई हैं, किन्तु जब कि हम, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहां बैठकर यह महसूस करते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानते और यह आवाज़ खड़ी करते हैं कि हिन्दी में काम किया जाय तब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण से आज यह कठिनाइयां पैदा हुई हैं कि हम इस बात में झुकते हैं और हिन्दी को जल्दी से जल्दी अप-

(श्री हरिदेव जोशी)

नाते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि इस सदन की दो समितियां हैं, जनलेखा और प्राक्कलन समिति और इन दोनों समितियों की रिपोर्ट पिछले वर्षों में अंग्रेजी में हुआ करतीं थीं परन्तु इस पिछले वर्ष से हमने हिन्दी में करने का प्रयत्न किया है। हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन मुझे ऐसी कठिनाइयां नहीं आईं कि हिंदी में रिपोर्ट लिखी ही नहीं जा सकती हो। हां, जहां प्रयत्न ही नहीं किया गया हो वहां पर अगर हम समझते हैं कि यह काम नहीं हो सकता है तो इसके मायने ये होते हैं कि उस दिशा में उत्साह ही नहीं है। इसलिए राजस्थान जैसे प्रांत के लिए एक वर्ष भी हिन्दी भाषा के लिए और देवनागरी लिपि के लिए गंवाना देश को अपनी राष्ट्रभाषा देने के लिए एक प्रकार से देरी करने का बायस होगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बहादुरसिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि राज्य सरकार ऐसा कार्यक्रम बनाये जिससे कि प्रांत की जनता को अपनी भाषा मिले, अपनी लिपि मिले, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, आज एक माननीय सदस्य की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है राष्ट्रभाषा हिंदी को जल्दी से लागू करने के विषय में, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, यद्यपि हम राजनैतिक तौर पर आज स्वतंत्रता हासिल कर चुके हैं लेकिन मानसिक तौर पर अब भी अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी की दासता से अलग नहीं हुए हैं। जहां हिंदी का प्रश्न आता है, राष्ट्रभाषा का प्रश्न आता है वहां सहसा हमारे सामने एक चीज़ आती है और वह यह है कि हमारे सामने इतने बड़े भारत, राष्ट्र के संरक्षण का सवाल आता है। किसी भी मुल्क का संगठन मजबूत हो नहीं सकता जब तक कि उसकी एक राष्ट्रभाषा न हो। इसलिए आवश्यकता है आज देश के अन्दर एक राष्ट्रभाषा हो और वह राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसको ज्यादा सरलता से बोला और लिखा जा सकता हो या व्यवहार में लाया जा सकता हो। इस कारण से आज अन्य प्रांतीय भाषाओं के बजाय राष्ट्रभाषा का स्थान पाने का हक नागरीलिपि को, हिन्दी भाषा को है। और ज्यादा चीजों के ऊपर न जाते हुए महज यही निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण भाषा और उसके लिए हम लापरवाही करें और उस इलाके में जिसके अन्दर आज से बरसों पहले विभिन्न रियासतों के अन्दर यह राजकीय भाषा स्वीकार की जा चुकी है। अलग अलग रियासतें जब थीं, अलवर का नाम लिया गया, भरतपुर का नाम लिया गया, इसी तरह से मैं समझता हूं राजा गंगासिंह के ज़माने में बीकानेर के अन्दर भी इतनी बड़ी रियासत में भी राज भाषा के तौर पर इसका हिन्दी का प्रचलन शुरू हुआ था। जितने भी रजवाड़े थे हिन्दुस्तान के अन्दर, मैं समझता हूं उनको यह स्वाभिमान हो सकता है कि वहां पर हिन्दी का प्रचलन कर दिया गया था उस वक्त जिस वक्त कि देश स्वतन्त्र नहीं हुआ था, लेकिन आज देश स्वतन्त्र है लेकिन हम अंग्रेजी के अन्दर लिप्त हैं। अंग्रेजों की गुलामी, मानसिक गुलामी चाहे हम न कहें, उसके अन्दर अब भी हम डूब हुए हैं। हमारे देश

(श्री मोहरसिंह)

को आगे बढ़ने के अन्दर बड़ी भारी अड़चन इसी वजह से आ रही है।

इस बात की जहां हमें शर्म सी आती है कि दूसरे मुल्क; जैसे चीन, रशिया वह किस प्रकार से हिन्दी को तरजीह दे रहे हैं। भारत की राष्ट्रभाषा बनने की जो चीज़ है उसको कितनी तरजीह दे रहे हैं ? कितना रुपया हिन्दी को बढ़ाने के अन्दर उनके देश के बड़े बड़े ग्रन्थों का उत्थान हिन्दी में कराने के लिए पानी की तरह बहा रहे हैं ? इस बात से मालूम होता है कि वे हिन्दी के महत्व को समझते हैं। भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी जो है उसको कितना महत्व देते हैं ? लेकिन हमें शर्म आती है कि हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है हमारा प्रदेश राजस्थान स्वतन्त्र है, उसके अन्दर रिजोल्युशन लाना पड़ा कि राष्ट्र भाषा हमारी जो हिन्दी है उसको जल्दी लागू किया जाय, सेक्रेटेरियेट का काम उसके अन्दर हो तथा और राजकीय कामों में उस भाषा का प्रयोग किया जाय। मुझे थोड़ी देर पहले चीज़ याद आई कि हमारी विधान सभा में जो यहां कानून बनते हैं जिनसे कि राज्य चलता है, उन कानूनों का जिनका कि डेढ़ करोड़ जनता से सम्बन्ध है, उनमें विधान सभा में किसी बात के लिए मूलतः संशोधन रखा जाता है तो उसके लिए हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि हिन्दी में न रख कर मूल जो बिल अंग्रेजी भाषा में है उसके अंदर संशोधन रखा जाय। मैं समझता हूं कि १७६ जो विधायक हैं जो कि विधान सभा के सदस्य हैं, उनके अन्दर २५ या ३० सदस्य ऐसे होंगे जो पूर्णतः अंग्रेजी भाषा को बोल और समझ सकते हैं। उनके साथ इस प्रकार की चीज है, तो जो यहां के कानून बनते हैं उन कानूनों को समझने के लिए जनता को कितनी मुश्किल और दिक्कत हो सकती है; इसलिए मैं सच्चाई को प्रकट करूं कि किस प्रकार से हकीकत में वह नहीं हो रहा है। जहां कि मैं समझता हूं कि इस प्रकार की विधान सभा जैसी प्रमुख चीज़ है इस शासन के अंग के अंदर, उसके अंदर भी इसकी रूकावट हो, कमी हो तो यह शोभा की चीज़ नहीं है, लज्जा की सी चीज़ होगी जहां कि दूसरे देश हमारी हिन्दी को जो राष्ट्र भाषा जैसी चीज़ बनने जा रही है उसको तरजीह दे रहे हैं और हम लोग इसके लिए लापरवाही बरतते हैं तो यह हमारे लिए लज्जा की बात है।

यह कहा गया कि राजस्थान की भाषा राजस्थानी है और राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए बनिस्पत हिन्दी भाषा के, मुझे इस बात से कुछ संदेह सा हुआ, कुछ सोचने की जरूरत महसूस हुई कि राजस्थानी भाषा का सवाल खुद एक भाषा के रूप में हमारे सामने नहीं आता है। इस प्रकार की भावना फैलाने की चेष्टा करेंगे तो हिन्दुस्तान के अंदर कितनी ही बोलियां बोली जाती हैं वे हिन्दुस्तान के संगठन के अंदर रोड़े बन जायेंगी। हिन्दी वास्तव में हिन्दुस्तान के संगठन के लिए, हिन्दुस्तान में एकता की भावना लाने के लिए और दुनियां के दूसरे राष्ट्रों के समकक्ष लाने के लिए निहायत जरूरी चीज़ है। हिन्दुस्तान की ३८ करोड़ जनता की एक राष्ट्र भाषा हो, मैं समझता हूं वह हिन्दी ही हो सकती है और कोई दूसरी बोलियां उस स्थान को पाने की हकदार नहीं हो सकती हैं। हिन्दुस्तान की ३८ करोड़ जनता में से २० करोड़ जनता हिन्दी को भली प्रकार से समझने लगी है। इसको आप कहीं भी जाकर देखें कि अंग्रेजी में लेक्चर देने के लिए खड़े होते हैं और अंग्रेज़ी बोलने लगे

(श्री मोहरसिंह)

तो एक या दो प्रतिशत जनता उसको बड़ी मुश्किल से समझ सकेगी, लेकिन अगर इसी तरह से हिन्दी में बोलने लगे उस इलाके के अंदर भी जिसके अंदर हिन्दी का साहित्यक तौर से या किसी भाषा के रूप में उस प्रान्त में प्रचार नहीं हो सकता है, फिर भी मैं कहता हूं कि हिन्दी हमारी दूसरी भाषाओं के इतनी नज़दीक है कि १०-२० या ६० हिन्दी के बड़े बड़े जो संस्कृत के क्लिष्ट शब्द हैं उनको छोड़कर कुछ ज्यादा लोग समझ सकें बनिस्पत अंग्रेजी के । इन सारी बातों के कारण मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र भाषा हिंदी है वह जल्दी से जल्दी हमारे इस प्रांत में लागू हो जिसमें कि बरसों पहले से हिंदी का प्रयोग रजवाड़ों के जमाने से शुरू हो चुका था, और अब सरकार के सामने किसी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं चाहिए और इस प्रकार से एक प्रस्ताव जो हमारे राजस्थान की विधान सभा में आया है यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है । मैं समझता हूं कि यह विरोधी पक्ष के एक साथी की तरफ से रखा गया है लेकिन सरकारी बेंचेज़ पर बैठने वाले कई माननीय साथियों की तरफ से भी इसका समर्थन किया गया है, तो यह एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिसको बहुत विचारा जाय और समझा जाय, और जल्दी से जल्दी इसको स्वीकार करने की कोशिश की जाय, तभी मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए एक बड़ी शोभा की चीज बनेगी और अनुकरणीय होगी वह दूसरे प्रदेशों के लिए । ताकि जल्दी से जल्दी वह एक महान् भाषा बनकर देश के लिए एकता के संगठन का पैग़ाम देगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो साथी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि पार्टीबन्दी से ऊंचा उठकर सारे राष्ट्र के लिए जो जरूरी सवाल है उस सवाल को राष्ट्रीय तौर पर सोचकर कुछ फैसला देगें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम इसको राष्ट्रभाषा स्वीकार कर चुके हैं । हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि हिन्दी भाषा दूसरी भाषाओं से अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हम हिन्दी भाषा के लिए यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे प्रान्त के अन्दर जल्दी से जल्दी और हमारे राष्ट्र के अन्दर सन् ६१ तक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा के रूप में इसको स्वीकार कर चुके हैं । इस विषय में वाद-विवाद हुआ । दूसरी भाषाओं से उसकी तुलना की गई है । मैं उस विषय में नहीं पड़ना चाहता हूं । प्रश्न तो यह है कि हमारी राज्य सरकार के अन्दर, जैसा कि संकल्प आया है सन् ५६ के अन्त तक इसे राज्य के समस्त व्यवहार में राज्य की भाषा स्वीकार की जानी चाहिए, कामकाज हिन्दी में चालू होना चाहिए । दूसरा जैसा कि संशोधन आया है कि नहीं सन् ५८ के अन्त तक राज्य के सब विभागों में इसको लागू कर देना चाहिए और यह भी संशोधन आया है इसे तत्काल आज से ही लागू कर देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी के विषय में कोई दो राय नहीं हो सकती कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस प्रान्त के अन्दर सारे काम-काज हिन्दी राजभाषा में हों, लेकिन हमें देखना यह है कि जो प्रगति आज राज्य सरकार ने इस ओर की है या जिस प्रगति की ओर राज्य सरकार जा रही है, इस सम्बन्ध में

Page No.106

(श्री शंकरलाल)

वह प्रगति संतोषजनक है अथवा नहीं ? जैसा कि हमको मालूम है कि हमारी राज्य सरकार ने बहुत से विभागों के अन्दर इस भाषा के अन्दर कामकाज चालू करने के आदेश दिये हैं। आज हम यह स्वीकार करेंगे कि उन आदेशों का पूर्णत: पालन नहीं हुआ। जब एक दफा जो आदेश दिये जा चुके हैं और विभागों के अन्दर उस भाषा के अन्दर काम नहीं होता है तो उसके लिए क्या साधन हैं ? राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या करना चाहिए ? मान लिया जाय कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कुछ विभागों के लिए आदेश जारी किये थे कि इन विभागों में हिंदी के अन्दर कामकाज चालू किया जाय, उसी प्रकार से अगर आज वह आदेश दे दिये जाते हैं कि समस्त राजकीय विभागों के अन्दर हिंदी भाषा में कामकाज चालू किया जाय और यदि उन आदेशों का पालन नहीं होगा यदि उन आदेशों के अनुसार कामकाज चालू नहीं होगा, यदि वे क्रियान्वित नहीं होंगे, अथवा वास्तविक कार्य के अन्दर नहीं आयेंगे तो उन आदेशों का क्या मूल्य होगा ? तो इसके सम्बंध में सोचना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन यह है कि राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन विभागों के लिए जो आदेश दिये गये थे उनका पालन क्यों नहीं हुआ और उनका पालन कराने के लिए सरकार क्या कर सकती है, और उसके लिए हम भी क्या सुझाव दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एक आदत सी हो गई है कि अगर आदेश जारी हो जाते हैं और जब तक किसी आदेश के बारे में कोई शिकायत नहीं होती है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती है तब तक उन आदेशों का पालन नहीं होता है। जब यह आदेश जारी हो चुके हैं कि अमुक २ विभागों में सारा काम हिंदी में होना चाहिए, फिर भी उनका पालन नहीं होता। उसका कारण यह है कि उसके पीछे हम किसी सैंक्शन का, किसी शक्ति का अनुभव नहीं करते। उसके पीछे उस विभाग के कर्मचारी, उस विभाग के अधिकारी किसी सैंक्शन का अनुभव नहीं करते। यही कारण है कि आज वे राज्य सरकार की आज्ञा होते हुए भी हिंदी में आदेश जारी नहीं करते हैं, हिंदी में कार्यवाही नहीं करते हैं और अंग्रेजी में कार्यवाही करते हैं तो भी उनके खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया जाता है।

तो मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, कि जिन विभागों के लिये जो आदेश जारी किये गये थे अब तक वे लागू क्यों नहीं हुए, कार्यान्वित क्यों नहीं हुए ? वे कैसे कार्यान्वित कि जा सकते है, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई कदम उठावे, उसके साथ साथ हम वास्तव में तत्काल और शीघ्र ही चाहते हैं कि हमारे राज्य में हिंदी भाषा लागू हो और सारा काम काज इसमें हो। लेकिन इसके पीछे सैंक्शन और शक्ति क्या है और कठिनाइयां क्या हैं, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में मान लिया जाय कि इसको तत्काल लागू कर दिया जाय तो मैं यह मानता हूं कि राज्य के विभिन्न कोनों में इस आदेश को पहुँचने में कई दिन लग जायेंगे और 'तत्काल' का मतलब अभी से होता है तो उसको पहुँचने में और समझने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिये तत्काल की बात सम्भव नहीं है।

(श्री शंकरलाल)

सन् ५८ में या ५९ में लागू करने की बात कही जाती है तो मैं समझता हूं इससे हमारे एक माननीय सदस्य का संशोधन अच्छा है, "यथा शीघ्र" लागू किया जाय। यथा-शीघ्र ५८ और ५९ के पहले भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है, सारी बातों की जांच करने के पश्चात् हम इसको लागू कर सकते हैं। 'यथा शीघ्र' से सीमा के अन्दर हम बाध्य नहीं होते। जैसी हमारी कठिनाइयां हैं, राज्य सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं, जैसी परिस्थिति है उन सब पर विचार करना पड़ेगा। जैसे मैंने निवेदन किया कार्यरूप में लाने के लिए सरकार किस प्रकार विचार करे, किसी समिति का गठन करे और सोचे कि शीघ्र ही कैसे लागू की जा सकती है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार घोषणा कर दे कि यथाशीघ्र हम इसको लागू करना चाहते हैं। जो प्रगति इस दिशा में हो रही है उसके बारे में हमें स्वीकार करना चाहिये कि वह संतोषजनक नहीं। इसलिये राज्य सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे यथा-शीघ्र यह लागू हो सके, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय चेयरमैन, जो माननीय सदस्य सीकर से आने वाले हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन जरूर करूंगा, पर साथ-साथ ऐसे विचार भी रख देना चाहता हूँ कि यह हिंदी भाषा इस राज्य में ऐसी होगी जैसी किसी विलायती औरत को देशी घाघरा लूगड़ी पहना दी जाय, कारण कि भाषा हिंदी होगी लेकिन और कार्य क्या होंगे, इनके राज्य में उसके लिये विचार होता है। हवा अंग्रेजी है, रोशनी अंग्रेजी है, आंखों पर चश्मा अंग्रेजी है, होल्डर अंग्रेजी है और लिखा जायगा हिन्दी में...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : सभी हिंदुस्तानी हैं।

श्री मदनसिंह दांता : (जारी) वैसे तो ठीक है, एक २ चीज़ होती रहे तो खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ वे ही अंग्रेजी कानून होंगे। इससे जल्दी से जल्दी अंग्रेजी के दोष सीखेंगे। हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से सरल है और जल्दी सीखी जाती है। इसके कारण हम वे दोष सीख जायेंगे जो अंग्रेजी के कारण कठिनाई सामने आने के कारण समझ नहीं सकते थे। इसलिये इसके साथ-साथ यह चीज होनी चाहिये कि इसके साथ-साथ हिंदू संस्कृति का पठन-पाठन भी होना चाहिये और उसी के अनुसार कानून होने चाहिये, तभी तो इसका उपयोग होगा अन्यथा इससे तो अंग्रेजी ही अच्छी थी जिसको कम लोग समझ सकते थे और इस कारण कम लोग खराब होते थे और गांव वाले इसको कम सीखते थे। अंग्रेजी की जितनी भी खराबियां हैं वे सब हमारे गांवों में घुस जायेंगी क्योंकि हिंदी सबके समझ में आ जायगी।

श्री सभापति : वह सम्पर्क बहुत लम्बा है।

श्री मदनसिंह दांता : हमारे माननीय सदस्य श्रीमानसिंहजी हैं, उन्होंने विचार अच्छे रखे और लोगों ने काफी आक्षेप किया। वे यह नहीं कह रहे थे कि राजस्थान में हिंदी नहीं सीखें, वे यह कह रहे थे कि अंग्रेजी में काम करने वाले अधिक से अधिक फायदा पहुँचाना चाहते हैं। नीति यह थी, लेकिन सब के सब लोग ऐसे टूटे जैसे वे पूरे अंग्रेज हों, यह भावना गलत थी।

(श्री मदनसिंह)

इसके साथ-साथ मुझे यह कहना है कि आपके सारे कानून-कायदे अंग्रेजियत के रहेंगे तो हिंदी भाषा रख कर भी आप नुकसान पायेंगे, इसलिये हिंदी भाषा शोभायमान तभी दिखती जब कि हमारी संस्कृति के अनुसार राज्य होता और संस्कृति के अनुसार कानून बनता और धर्म-शास्त्र पढ़ाये जाते तो यह बहुत ही शोभा की चीज बनती, फिर भी यह चीज अच्छी है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। निश्चित तारीख और साल दी गई है, उसके ऊपर हिंदी भाषा में काम होना चाहिये; यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही ३ अप्रैल, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजकर ५५ मिनिट पर ३ अप्रैल, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, १ अप्रैल, १६५८)

स्कम्भ | स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ५६४३

शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियां व स्थानांतरण।

झाड़शाही बट्टे की वसूली–तहसील दूनी।

कड़बी का ठेका दूधवाखारा (चूरू)।

जिलों व तहसीलों की सीमाओं का निर्धारण।

हरिजनोत्थान।

बालिका विद्यालय, सीकर।

अनाथालय।

एस० टी० सी० महिला कॉलेज में व्यायाम प्रशिक्षक की नियुक्ति।

फरजी गिरदावरी-तहसील पाली।

तहसील आमेर में अनावृष्टि व ओलों से फसल की बर्बादी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति—तहसील—पचपदरा व सिवाना।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम।

भूमि वितरण–तहसील बौंली।

संस्कार केन्द्र, बाड़ो।

मिडिल व मेट्रिक ग्रेड अध्यापकों का फिक्सेशन।

भूमि-वितरण-तहसील हनुमानगढ़।

उच्चस्तरीय माध्यमिक पाठशाला, जैतारण।

जयपुर में पुरुषार्थिओं के निमित्त बनी हुई दुकानों का वितरण।

छात्रावास, कोटपुतली।

जागीरदारों द्वारा निर्धारित मुआवजे की रकम से अधिक रकम की वसूली।

समाज कल्याण कार्य, भीलवाड़ा।

प्रांत से बाहर सरकारी स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने वाले मन्त्रियों पर किया गया व्यय।

पटवारियों का बकाया वेतन, तहसील पदमपुर।

कंजरों के लिए आवास की व्यवस्था।

उद्योग विभाग का स्थानान्तरण।

भूमि के लगान में कमी–ज़िला गंगापुर।

समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च की गई धन राशि–तहसील दौसा।

अध्यापकों का स्थानांतरण–समाज कल्याण विभाग, डूंगरपुर।

छात्रावास (दलितवर्ग) नागौर।

पाठ्य–पुस्तकों का अभाव।

भूमि–आवंटन, जिला चित्तौड़गढ़।

विस्तार-खण्ड।

सादुल रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड।

आदिवासियों की नियुक्ति।

चकबन्दी–सवाईमाधोपुर।

कोटा में अफ़ीम का तस्कर व्यापार।

तकावी वितरण, तहसील बाली।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ५७००

श्री महेन्द्रसिंह (६१), सदस्य विधान सभा, को दिनांक ३१ मार्च, १६५८ से ३ अप्रैल, १६५८ तक सभा की

बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज़ पर रखा गया पत्र ५७०१

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, ने सिचाई तथा सहकारी विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ० ५ (१२१) कोप०।५७, दिनांक ६ दिसम्बर, १६५७ को, जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन रूल्स, १६५७ बनाये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५७ ५७०१

श्री पूनमचन्द विश्नोई, सभापति, के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया गया।

अशासकीय सदस्य विधेयक

राजस्थान दहेज नियंत्रण विधेयक १६५८ ५७०२

(पुरःस्थापन)

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् श्री मनोहर कोठारी, सदस्य विधान सभा, ने राजस्थान डावरी रेस्ट्रेन्ट विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित किया।

अशासकीय संकल्प

सौ रुपये तक कृषकों को लगान से मुक्ति ५७०२

(दिनांक २७ फरवरी से पूर्व क्रम से)

१. श्री शिवचरणदास के निम्नांकित संकल्प पर, जो उन्होंने दिनांक २७ फरवरी, १६५८ को प्रस्तुत किया था, आज पुनः बहस आरम्भ हुई :

"इस सदन की सम्मति है कि १००) रुपये तक लगाम देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जावे।"

जिन सदस्यों ने बहस में भाग लिया उनके नाम ये है :

१. श्री श्रीमानसिंह
२. रावल नरेन्द्रसिंह
३. श्री जयसिंह राणावत
४. श्री दयाकृष्ण विजय
५. श्री सूबेदारसिंह
६. श्री जनार्दनराय नागर
७. श्री किशनसिंह
८. डॉ० चन्द्रकला
६. श्री लच्छूराम
१०. श्री सोहनलाल भटनागर
११. श्री गोवर्धनसिंह
१२. श्री गिरधारीलाल
१३. श्री मोगजी भाई
१४. श्री कालू

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के उत्तर के पश्चात्, श्री मूलचन्द डागा ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा श्री रामकरणसिंह का

संशोधन गिर गया। उपरोक्त संकल्प भी सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

१. हिन्दी को राज्य-भाषा स्वीकार करने संबन्धी ५७९२

श्री जगदीशप्रशाद माथुर ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया जिस पर श्री मूलचन्द डागा, श्री बहादुरसिंह व डा० चन्द्रकला ने अपने २ संशोधन प्रस्तुत किये :

'सदन की राय है कि सन् १९५९ के अन्त तक राज्य का सम्पूर्ण काम-काज राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया जाना प्रारम्भ कर दिया जावे।'

इस संकल्प पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

१. श्री श्रीमानसिंह
२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
३. श्री अर्जुनदास
४. श्री दयाकृष्ण विजय
५. श्री हरिदेव जोशी
६. श्री मोहरसिंह
७. श्री शंकरलाल
८. श्री मदनसिंह

गुरुवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९५८ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एण्ड डेथ्स एण्ड मेरिजेज़ बिल, १९५८ (पारित)

(२) राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल, १९५८ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १००६ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनोत्थान के हेतु किये गये कार्यों का संक्षिप्त-विवरण

१. **प्रचार व प्रकाशन-पब्लिसिटी :** हरिजनों के उत्थान में सबसे बड़ी व कठिन समस्या समाज में व्याप्त अस्पृश्यता की है, जिसके निवारण के लिये प्रचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व फिल्म प्रदर्शनी आदि के माध्यमों से प्रचार किया गया।

२. **गृह निर्माण हेतु सहायता :** हरिजनों के रहन-सहन सुधारने हेतु विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु ३५० रु० प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई।

३. **गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान :** हरिजनोत्थान के हेतु कार्य करने वाली अनेक संस्थाओं को जैसे दलित वर्ग संघ, हरिजन सेवक संघ आदि को विभाग द्वारा अनुदान दिया गया।

४. **छात्रवृत्ति :** कक्षा २ से ४ तक के पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य सामग्री हेतु एक मुश्त सहायता व कक्षा ४ से आगे पढ़ने वाले छात्रों को विभाग द्वारा हजारों की तादाद में छात्रवृत्तियां दी गई, जिसके फलस्वरूप हरिजनों में शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ है।

५. **नगरपालिकाओं को सहायता :** हरिजन मोहल्लों में पीने के पानी की व रोशनी की व्यवस्था करने के लिए नगरपालिकाओं को व पंचायत बोर्डों को समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी गई।

६. **अग्निकाण्ड व वर्षा काण्ड से पीड़ित हरिजनों को राहत :** अग्नि कांड व अतिवृष्टि से पीड़ित हरिजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता दी गई।

७. **राजकीय सेवाओं की प्राप्ति में मदद :** राजकीय सेवाओं में राज्य सरकार द्वारा रिक्त स्थानों में से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए १५ प्रतिशत व अन्य कर्मचारियों के लिए १२॥ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सुरक्षित घोषित किये गये हैं, विभाग द्वारा इन स्थानों पर हरिजनों को नौकर करवाने में मदद दी जाती है।

८. **सांस्कृतिक उत्थान :** हरिजनों के शैक्षणिक, नैतिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिये विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में संस्कार केन्द्र, रात्रि-शालायें व प्राथमिक शालायें आदि खोले गये।

९. **दस्तकारी की शिक्षा;** हरिजनों के बालकों को अनेक दस्तकारी; जैसे बढ़ईगिरी सिलाई, चमड़े आदि का कार्य सिखाने के लिये दस्तकारी की कक्षायें चलाई जाती हैं।

समाज कल्याण विभाग में काम करने वाले हरिजन कर्मचारियों के जातिवार पद व वेतन श्रृंखला की तालिका

क्रमांक	पद	वेतन श्रृंखला	जाति	संख्या
१	२	३	४	५
१.	औद्योगिक निरीक्षक	१५०–१०–२५० ई. बी. १२॥–३००	मोची	१
२.	इन्स्ट्रक्टर	६०–४–८०–५–१००	चमार	२
३.	,,	,,	रैगर	२
४.	कृषि इन्स्ट्रक्टर	५०–३–८०–५–१२०	सालवी	१
५.	इन्स्ट्रक्टर	६०–४–८०–५–१००	कोली	१
६.	बांस कार्य प्रशिक्षण	५० फिक्स	घांचा	१
७.	छात्रावास अधीक्षक	७०–४–६०	सालवी	१
८.	वरिष्ठ लिपिक	७५–५–१२० ई. बी. ८–१६०	सालवी	१
९.	,,	,,	भांभी	१
१०.	अध्यापक	३५–१–४०	सालवी	१
११.	,,	,,	बुनकर	२
१२.	,,	,,	चमार	२
१३.	,,	,,	बलाई	२
१४.	,,	,,	मोची	१
१५.	,,	४०–१–५०	बलाई	४
१६.	,,	,,	हरिजन	२
१७.	सहायक प्रचारक	,,	मेहतर	१
१८.	समाज कल्याण कार्यकर्ता	६०–४–८०	मेहतर	१
१९.	चर्म उद्योग प्रशिक्षक	१००–५–१५०	मोची	१
२०.	सिलाई शिक्षक	६०–४–८०	भांड	१
२१.	,,	,,	कोली	१
२२.	बढ़ई शिक्षक	,,	जाटव	१
२३.	सहायक शिक्षक	४०–१–५०	जाटव	१
२४.	कनिष्ठ लिपिक	६०–४–८०	चमार	२
२५.	,,	,,	खटिया	१

१	२	३	४	५
२६.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२५–१–४०	चमार	६
२७.	,,	,,	ढोली	१
२८.	,,	,,	कोली	१
२९.	,,	,,	मेहतर	८
३०.	,,	,,	भांड	३
३१.	,,	,,	मोची	१
३२.	,,	,,	मांभी	१
३३.	,,	,,	जाटव	१
३४.	,,	,,	रैगर	४
३५.	,,	,,	बलाई	३
३६.	,,	,,	थोरी	३
३७.	,,	,,	हरिजन	१

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०१६ का उत्तर देखिये)

सन् १६५६-५७ में पचभद्रा व सिवाना तहसील में दी गई छात्रवृत्ति की सूची

क्र. सं०	नाम छात्र	पिता का नाम	जाति	कक्षा	रकम	वि० विवरण
१.	श्री चेतनलाल	किशनाजी	मोची	८	४० रु०	
२.	श्री सग्गाराम	नावाजी	भंगी	६	८० रु०	
३.	श्री मनोहरलाल	लखमीचन्द	नाई	४	८ रु०	
४.	श्री खेलाराम	शंकरलाल	ढोली	१	३ रु०	
५.	श्री रघुनाथ	हरिराम	साध	१	६ रु०	
६.	श्री बंशीलाल	इदाराम	जटिया	४	८ रु०	
७.	श्री मानाराम	भीमाराम	भांभी	२	४ रु०	
८.	श्री मोहनलाल	मोड़ाराम	जटिया	१ ब	२ रु०	
९.	श्री रिखबचन्द	चमनाराम	,,	२	६ रु०	
१०.	श्री फकीरचन्द	गनेशमल	,,	१ ब	२ रु०	
११.	श्री सीताराम	अमराराम	,,	१ ब	२ रु०	
१२.	श्री धाराराम	थानाराम	,,	४	८ रु०	
१३.	श्री रामलाल	कोशराम	,,	३	६ रु०	
१४.	श्री हनूतमल	पिताराम	,,	१ ब	२ रु०	
१५.	श्री रनजीताराम	पियाराम	मेघवाल	१	३ रु०	
१६.	श्री धारीराम	लछमनदास	जटिया	२	४ रु०	
१७.	श्री थानाराम	धारीराम	मोची	१	३ रु०	
१८.	श्री दीयाराम	शावाजी	,,	३	६ रु०	
१९.	श्री सुजाराम	कानाराम	मेघवाल	१	३ रु०	
२०.	श्री सोनाराम	गिरधारी	,,	२	४ रु०	
२१.	श्री चाकाराम	गिरधारी	,,	१	३ रु०	
२२.	श्री पूनाराम	गनेशा	,,	२	४ रु०	
२३.	श्री बिरमा	नैना	,,	२	४ रु०	
२४.	श्री फैजाराम	मानाराम	गुरड़ा	१	३ रु०	

२५.	श्री मोड़ाराम	बगड़ाराम	मेघवाल	२	४ रु०
२६.	श्री गंगाराम	कोजाराम	,,	२	४ रु०

सन् १९५६-५७ में तहसील पचभद्रा व सिवाना में स्वीकृत छात्रवृत्ति की बिगत वार तालिका

तहसील पचभद्रा	इक मुश्त सहायता		छात्रवृत्ति	
	छात्र	रकम	छात्र	रकम
अनुसूचित जाति	४	१४ रु०	—	—
अन्य पिछड़ी जाति	१	११ रु०	—	—
योग	५	२५ रु०		
तहसील सिवाना				
अनुसूचित जाति	१७	७१ रु०	२	१२० रु०
अन्य पिछड़ी जाति	२	११ रु०	—	—
योग	१९	८२ रु०	२	१२० रु०

परिशिष्ट ३

('कृपया प्रश्न संख्या १०२७ का उत्तर देखिये)

Statement showing the details of work done by the Social Welfare Department in Bhilwara District.

HOUSING.

1955-56	Families		Amount
Kaliyas	13.		
Taloli.	3.		
Daulatgarh.	4.		
	20	Ex-Criminal Tribes.	7,000/-
Rupaheli	9		3,150/-
Rajiyas.	49		17,150/-
Total	78		27,300/-

LIGHT & WATER.

1954-55	Gram Panchayats.	5,910/-
1956-57	M. B. Shahpura.	1,100/-

DRINKING WATER WELLS.

1956-57	Asind.	300/-
	Mandal.	350/-
	Gulabpura.	500/-
	Sahada.	400/-
	Hurda.	550/-

AGRICULTURE WELLS.

1951-52	2,750/-
1952-53	2,600/-
1953-54	12,200/-
1954-55	33,010/-
1955-56	8,800/-
1956-57	8,350/-
1957-58	19,400/-
	Upto Feb., 58

SCHOLARSHIP.

1955-56		3,319/-
1956-57		3,955/-
1957-58		5,703/-

VOLUNTARY AGENCIES.

1954-55	Sewa Sangh Bigod	1,289/4/-
1955-56	do	1 245/6/-
1955-56	Bhil Chhatralaya, Bijoliya.	3,405/6/-
1956-57	do	3,422/6/-
1956-57	Sewa Sangh, Bigod,	1,341/4/-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २०४१ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त हिसाब कुंआ गांव दीपलाना तहसील नौहर में बना तेरा

(१)	१४॥)	पीली मिट्टी की खुदाई भर्ती १०० फुट की० फुट से २४ फुट तक निचाई १८८६ घनफुट मिट्टी दर ७॥≈) हजार घन फुट मिट्टी का ।
(२)	११६।≈)	नरम मिट्टी की खुदाई भर्ती १०० फुट की २५ फुट से १०० फुट तक ५६७१ घन फुट दर २०) हजार घन फुट मिट्टी का ।
(३)	१२)	लकड़ी का नीमचक बनाने की मजदूरी आठ बेलदार १॥) की दर से ।
(ए)	८०)	सुथार की हाजरी २० चिराई व बनाना नीमचक दर ४) प्रतिदर से ।
(बी)	५१॥।–)	गर्म लोहे का काम १।२ इन्च का सरिया लोहे का २५६ हन्डरवेट २०) हन्डरवेट की दर से ।
(४)	६०३॥।)	पक्की ईंटों की चिनाई सीमेंट में मसाला १।३ का ७५ फुट से १०० फुट की गहराई तक १०८३ फुट ५५॥।) सौ फुट की दर से ।
(५)	७१०।)	खारे चूने में ईंटों की चिनाई ० फुट से ७५ फुट की गहराई तक १६५६ फुट दर ३६।–) सौ फुट से ।
(६)	४८–)	खारे चूने की चिनाई ऊपर की १५६ फुट ३०॥।–) सौ फीट दर से ।
(ए)	६०	पानी बाहर निकालने की मजदूरी ऊंट ३० दर ३) रुपया प्रति ऊंट की दर से ।
(ब)	६७॥)	बेलदार ४१ दर १॥) से ।
(सी)	६०)	बेलदार कुए के अन्दर ३० दर २) रुपये से ।
(७)	१५)	ऊंट वाला १५ आदमी दर १) से ।
(८)	१३२॥।)	आधा इन्ची सीमेंट प्लास्टर ० फुट से १०६ फुट की गहराई में तादाद २०८२ फुट ६।=) सौ फुट की दर से ।
(९)	६॥–)	पीली मिट्टी की खुदाई भरती सौ फुट की ५ फिट की लिफट ११७० फुट ५॥=) हजार फुट की दर से ।
(१०)	१२२।=)	चूने की कंकर सुर्खी में ऊपर के काम के वास्ते ६४२ फुट १९–) सौ फुट की दर से ।
(११)	२३०≈)	बुनयादी की चिनाई चूने में ८११ फुट २८।–) सौ फुट की दर से ।
(१२)	४३९=)	चिनाई चूने में ऊपर के काम के लिये १४७३ फुट २९॥।–) सौ फुट की दर से ।

(१३)	२५=)	चौथाई इन्च सीमेंट का प्लास्टर ऊपर के काम का ७७४ फुट ३।) सौ फुट की दर से।
(१४)	१०२॥-)	आध इन्ची सिमेंट प्लास्टर ऊपर के काम का १७८४) फुट ५॥।) सौ फुट की दर से।
(१५ए)	११॥=)॥	मिट्टी भराई १२ इन्च सतह की २७२८ फुट ४।) हजार फुट की दर से।
(ब)	७।=)॥	मिट्टी भराई १२ इन्च सतह की ० फुट से ८५ फुट १७४८ फुट दर ४।) हजार फुट से।
(१६ए)	४≶)	जोधपुर के पटाव ६ इन्च जाडे ७ फुट दर ६० सौ फुट से।
(१६बी)	५।)	जोधपुर की पट्टी के टुकड़े ३ इन्च से ४ इन्च के २१ फुट दर २५) सौ फुट।
(१७)	६)	मून (चरखी) के सुराख करने की मजदूरी मिलावटा २ हाजरी दर ३) रुपया प्रतिदिन से।
(१८)	२०)	मून लगाई में लोहे के सामान वगैरह के नग २ मून दर १०) प्रति मून के।
(१६ए)	२१॥-)	सामान की ढोआई चूना ३ मील से ३६४ मन १०॥ पाई प्रतिमन की दर से।
(१६ बी)	२८।)	कंकर की ढोआई ३ मील अतिरिक्त की दूरी से ७०६ फुट दर ४) रुपया सौ फुट।
(१६ सी)	१०=)	सीमेंट की ढोआई नौहर से ४ मील अतिरिक्त १६२ मन -) प्रतिमन की दर से।
(१६ डी)	३७)	बजरी की ढोआई नौहर से ४ मील अतिरिक्त ५६२ मन -) प्रतिमन की दर से।
(१६ ई)	३६४॥=)	ईंटों की ढोआई नौहर से ५ मील अतिरिक्त ६५,७७२) दर ६) रुपया हजार से।
(२०)	६६)४	प्रतिशत दूरी का अलाउन्स आइटम नम्बर १, २, ३, एवं बी, ७, ए, बी, सी, व डी, ६, १५, १७, १८, १६, रुपये २४७५।≶)।
(२० बी)	३२२१॥)	शतप्रतिशत शेड्यूल दर तमाम आइटमों पर अलावा ३ ए, व ३ बी, ७ ए, ७ बी, ७ सी, ७ डी, १७, व १८ (३५७६ रुपया बाकी ३५०॥)।

मीजान ६८०१॥)

१७८१॥) गांव वालों की तरफ से १।४ हिस्सा इमदाद।
५०२०) सरकार द्वारा सहायता में।
६८०१॥) कुल खर्च।

[५८७४

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १०४५ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the Taccavi loan distributed in the year 1955-56--Tehsil Bali District Pali.

Detail of amount distributed

S. No.	Name	Village	Amount		Kind loan ordinary Taccavi
१.	दाना इन्द्रा	मलनगढ़	१५०	रु०	
२.	लखमा देवा	नेडा	२५०	,,	
३.	भगा बजा	,,	२५०	,,	
४.	छोगा राजा	रोहनवाडा	२५०	,,	
५.	रामा भगा	नेडा	२५०	,,	
६.	माना डाटा	,,	२५०	,,	
७.	तारू बजा	रोहनवाड़ा	२५०	,,	
८.	नवा झाला	,,	२५०	,,	
९.	अमरा मोती	नेडा	२५०	,,	
१०.	खूमा उदा	,,	२५०	,,	
११.	जगा देवी	,,	२५०	,,	
१२.	चेलिया समरथा	,,	२५०	,,	
१३.	माना मरिता	पावटिया	२५०	,,	
१४.	मना जेटा	नेड़ा	२५०	,,	
१५.	भैंरा छतरा	रोहनवाड़ा	२५०	,,	
१६.	जीवा देवा	नेडा	२५०	,,	
१७.	विनोदकुमार मंगलदास	न्यती	५००	,,	
१८.	पेमा भीमा	रुगनाथपुरा	४००	,,	
१९.	भूरा दीना	आंवलिया	५००	,,	
२०.	मलिया पेमा	नीलिया	१००	,,	
२१.	रूपा धीरा	,,	१००	,,	
२२.	माना उदा	आमलिया	२००	,,	
२३.	चेला समरता	भाइन्द	२५०	,,	
२४.	खीमा काला	नाली	२५०	,,	
२५.	सदनराम मानकराज	,,	२५०	,,	
२६.	तुलसीया लुम्ना	बलाना	२५०	,,	
२७.	सावतसिह रुगसिंह	बाली	३००	,,	
२८.	हीनता डोवा	,,	३००	,	

२९.	मीठा गुला	सुनारिया	३०० ,,
३०.	शिवनाथसिंह दुर्जनसिंह	नाली	२५० ,,
३१.	वीरा सेरा	फालना	२०० ,,
३२.	हमीरसिंह सुल्तानसिंह	बाली	५०० ,,
३३.	राम आटो	,,	५०० ,,

Statement Showing Taccavi loan distributed in the year 1956-57 Tehsil Bali Distt. Pali

S. No.	Name	Village	Amount		Kind loan
१.	गुमानसिंह	सेवना	४५०	रु०	ordinary Revenue Taccavi
२.	जोरावरसिंह थानसिंह	,,	२५०	,,	
३.	मेसा लखमा	बाली	६००	,,	
४.	मेगा उदा	पीपला	२५०	,,	
५.	मंगला उदा	,,	२५०	,,	
६.	हीरा खुमा	,,	२५०	,,	
७.	केरा उदा	,,	२५०	,,	
८.	पुरा पेमा	,,	२५०	,,	
९.	बीता पना	,,	२५०	,,	
१०.	मनरूप भगा	बाली	२५०	,,	
११.	हीरा धुला	,,	६००	,,	
१२.	जगा मोती	पीपला	२५०	,,	
१३.	बलदेवसिंह गुलाराम	एसपुरा रोड	६५०	,,	
१४.	कोटाराम चेलाराम	सोकड़ा	१,०००	,,	
१५.	मंगला उदा	पीपला	१,०००	,,	
१६.	नथा धुला	करजवा	१,०००	,,	
१७.	रूप गुमना	माताजी की वाड़	१,०००	,,	
			८,८५०	रु०	

Page No.123

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या १०१७ का उत्तर देखिये)

उदयपुर

फहरिश्त राज्य कर्मचारियों को ऋण दिया गया-लो इनकम हाउसिंग स्कीम का ताल्लुक

क्रमांक	सन्दर्भ	नाम	रकम	विशेष-विवरण
१.	१३	श्री मगनलाल कम्पाउन्डर	६२५० रु०	
२.	१	हरिशंकर चपरासी	२१००	
३.	२३३	श्रीमती मीरा बाई नर्स आयुर्वेदिक औषधालय	६२५०	
४.	३६	श्री श्यामदास टाइपिस्ट सैशन कोर्ट उदयपुर	६२५०	
५.	४४०	विश्वेसरलाल तहसीलदार राजसमन्द	६५००	
६.	६४६	रामचन्द्र गुप्ता अध्यापक	६२५०	
७.	२३८	चतरसिंह खमेसरा रेलवे कर्मचारी	६२५०	
८.	६६३	रोशनलाल हरकावत	३७५०	
९.	७	कन्हैयालाल हरकावत	३७५०	
१०.	२०	मुन्नालाल पुरोहित अध्यापक	३०००	
११.	१२४	छोटेलाल मोची पुलिस विभाग	५२००	
१२.	७२२	अब्दुल लतीफ	६५००	
१३.	२३४	रघुवीरसिंह मोची समाज कल्याण विभाग	७५००	
१४.	७१५	छोटेलाल व्यास सीनियर पुलिस विभाग	७५००	
१५.	४	भंवरलाल गर्ग अध्यापक	३७५०	
१६.	४४१	नाहरचन्द आंचल्या ट्रेजरी एकाउन्टेन्ट	५०००	
१७.	५८६	श्रीमती अनूपदेवी अध्यापिका	३०००	
१८.	२३७	गणेशलाल बम्ब	६२५०	
१९.	२२	रतनलाल सेठ	६२५०	
२०.	२२८	श्यामलाल व्यास अध्यापक	३७५०	

२१.	२२६	डा० हिम्मतसिंह भटनागर	६२५०
२२.	२४०	माधवलाल वर्मा	६२५०
२३.	३५१	रोशनलाल मेहता	३०००
२४.	२४४	हमेरलाल भण्डारी	३०००
२५.	१०३	संग्रामसिंह हिरण	६५००
२६.	८२	हेमशंकर नागर हैडमास्टर	८०००
२७.	४२	फतेहलाल वैरागी	६२५०
२८.	६	कन्हैयालाल सियार देवस्थान	३०००
२९.	६७२	केशरसिंह राठौरा	५०००
३०.	६८६	मेघराज सुराना	६२५०
३१.	७३२	श्री स्वरूप व्यास	८०००
३२.	५	कन्हैयालाल सुखवाल पुलिस विभाग	६५००
३३.	६१८	केसूलाल वैद्य नायब तहसीलदार	४५००
३४.	७३	बक्सीनारायण माथुर	३७५०
३५.	२३०	कालूलाल भण्डारी रेलवे में	५०००
३६.	७३६	देवीलाल यादव पोस्टमैन	२६००
३७.	४३२	रूपलाल हरिजन अस्पताल	३५०२
३८.	२७४	भैरूलाल भण्डारी	३०००
३९.	६४५	चतरभुज चपरासी	३०००
४०.	६७४	बलवन्तगोपाल देशमुख ए. जी. आफिस उदयपुर	६५००
४१.	७४८	गहरीलाल सेठ सबदूरा पुलिस विभाग	५०००
४२.	७४६	लक्ष्मीलाल क्लर्क छापाखाना	३७५०
४३.	२३६	कुंदनलाल डंग्गूलाल अध्यापक	६२५०
४४.	२३१	अजयकुमार जैन	३०००
४५.	११०	डा० मिसेज सुधाबाई	६५००
४६.	७४६	श्रीमती सज्जनदेवी अध्यापिका	३७५०
४७.	७४३	बेनीराम	३०००
४८.	७४६	सोहनलाल हींगड़	५०००
४९.	७३२	बलवन्तसिंह भण्डारी ट्रेजरी आफिस उदयपुर	६०००
५०.	७३४	नन्दलाल शर्मा रेलवे	७८००
५१.	७३८	भंवरलाल नाहर	३७५०

५२.	६३९	भंवरलाल सियार	३०००
५३.	७३७	हरिशंकर जोशी	३०००
५४.	७५५	देवीलाल माली	३७५०
५५.	७३५	शशीकांत	६२५०
५६.	५६७	शेम्युल डेविड कम्पाउन्डर	३०००
५७.	२२६	मनोहर कृष्णा रेलवे में	३७५०
५८.	६११	मांगीलाल भट्ट कलेक्टर ऑफिस उदयपुर	८०००
५९.	२४५	अता मोहम्मद अमीन	३०००
६०.	६५१	जगन्नाथ उपाध्याय	६२५०
६१.	७४०	विन्सेन्ट जोहन कम्पाउन्डर	६२५०
६२.	६२	नातूराम अर्दली सीटी इम्प्रूवमेंट	३०००
६३.	६६७	गणेशीलाल अग्रवाल ओवरसियर	६०००
६४.	३६५	बैजनाथ पारसल क्लर्क	५०००
६५.	७६०	विशनलाल गांछा	३०००
६६.	५६४	डूंगरसिंह भटनागर	५०००
६७.	७६२	जैनारायण	४२००
६८.	७८७	बी. पी. जोशी हैडमास्टर लम्बरदार स्कूल	६५००
६९.	७८२	हरिसिंह यादव एस० डी० ओ० बलासिया	८०००
७०.	७८०	त्रिभुनलाल चोविसा	३०००
७१.	७६८	प्रतापसिंह भन्डारी	३०००
७२.	७६०	किशोरीलाल कमीश्नर ऑफिस	३०००
७३.	७८५	भगवतीलाल मेनावटी	५०००
७४.	८०१	बालमुकन्द एस० पी० सी०	३०००
७५.	८११	शम्भुलाल तिवाड़ी सुपरवाइजर सरकिट हाउस जोधपुर	५०००
७६.	८०६	कालूदास बैरागी चपड़ासी	३०००
७७.	८१६	पदमसिंह महता नायब तहसीलदार	३०००
७८.	३१२	रिपुसुदन अध्यापक	३०००
७९.	७२६	भंवरलाल कछारा	४०००

८०.	८२१	ईश्वरसिंह चपड़ासी	३०००	
८१.	८१८	मूलीलाल सेठ	३०००	
८२.	८१६	मोहनलाल कोठारी	५०००	
८३.	५२६	अचलसिंह	५०००	
८४.	७४४	श्रीमती पन्नादेवी नर्स	३०००	
८५.	२	देवीलाल शर्मा	३०००	
८६.	७२७	प्रेमसिंह	५०००	
८७.	६७५	डाक्टर कमल नैन	५०००	
८८.	८१७	हुकुमीचन्द कावड़ियां	२५४०	
८९.	८६०	मोहरसिंह पूजेसरा	३०००	पहली किस्त के १५०० रु. चुकाये
९०.	६३७	मदनलाल जोशी	३०००	पहली किस्त के ६०० रु० चुकाये
९१.	६३८	भंवरलाल दधीची	३०००	,,
९२.	१५	शेरसिंह सरुपुरियां	३०००	स्वीकृति दी रकम नहीं उठाई
९३.	६६२	रणजीतसिंह कोठारी	८०००	सब रकम जमा करादी
९४.	३४६	प्रभुलाल पोस्टमैन	६००	वापिस जमा करा दिये।

जयपुर

सूची राज्य कर्मचारी जिनको तहत लो इनकम हाउसिंग स्कीम ऋण दिया गया

१.	श्री शंकरलाल व्यास	८०००रु.
२.	,, अम्बिका प्रसाद	८०००
३.	,, ईश्वरदयाल माथुर	३०००
४.	,, रामरत्नपाल शर्मा	६२५०
५.	,, करनीदानसिंह	७०००
६.	,, मुसम्मात मोतीदेवी	३०००
७.	,, चोधरी साहबसिंह	६५००
८.	,, मुसद्दीलाल	२५००
९.	,, फतेहलाल	८०००
१०.	,, लादूराम	८०००
११.	,, सूरजप्रकाश	६२५०
१२.	,, प्रह्लाददास	३०००
१३.	,, गोपीचन्द सोगानी	८०००
१४.	,, के. के. सैहगल	८०००
१५.	,, हनुमान पियोन	३७५०
१६.	,, प्रभातीलाल	३७५०
१७.	,, द्वारकादास बजाज	८०००
१८.	,, श्रीलाल औडिच्य	८०००
१९.	,, रामप्रकाश	३७५०
२०.	,, बालाबक्श वर्मा	३७५०
२१.	,, कैप्टीन बहादुरसिंह	८०००
२२.	,, ललताप्रसाद माथुर	६२५०
२३.	,, ब्रजमोहन शर्मा	३०००
२४.	,, बी. डी. सिंह	८०००
२५.	श्रीमती एम. कुमारी मुकर्जी	६५००
२६.	श्री सुन्दरलाल गोड	८०००
२७.	,, प्रह्लाद चंद्र	८०००
२८.	,, श्यामाशंकर	८०००
२९.	,, छगनलाल	३७५०
३०.	,, मोहनसिंह	३०००
३१.	,, प्रतापनारायण	८०००
३२.	,, कन्हैयालाल सक्सेना	८०००
३३.	,, अमरनाथ	३७५०
३४.	श्री जगतनारायण	५०००
३५.	,, नारायणलाल	३०००
३६.	,, के. एन. टिक्कू	८०००
३७.	,, रामकुमार	३७५०
३८.	,, रामप्रकाश शर्मा	३७५०
३९.	,, ई. जी. के. नायडु	३७५०
४०.	,, ताराचन्द जैन	३७५०
४१.	,, नन्दलाल पुरोहित	३७५०
४२.	,, भवरलाल	६२५०
४३.	,, मोहनलाल शर्मा	६५००
४४.	मुसम्मात रामप्यारी	३०००
४५.	श्री रामविलास पलवान	८०००
४६.	,, कल्याणबाई	५०००
४७.	,, मनीलालयादव	६२५०
४८.	,, प्रेमकिशन बंसल	६५००
४९.	,, आनन्दसिंह	५०००
५०.	डा. जगतराम	८०००
५१.	श्री श्रवणकुमार	६२५०
५२.	,, नरेन्द्रकुमार सक्सेना	८०००
५३.	,, ईश्वरचन्द्र शर्मा	८०००
५४.	,, बैजनाथपारीक	३७५०
५५.	,, मुसम्मात चांददेवी	३०००
५६.	,, कपूरचन्द	६२५०
५७.	,, भंवरलाल	६२५०
५८.	,, जगजीवनलाल	३०००
५९.	,, गणेशदत्त छगानी	६५००
६०.	,, चन्द्रगुप्त अग्रवाल	६२५०
६१.	डा. सवाईसिंह	६५००
६२.	श्री कुन्दनलाल	८०००
६३.	,, निहालसिंह	६२५०
६४.	,, जगदीशप्रसाद भार्गव	६२५०
६५.	,, कांचीलाल	६२५०
६६.	,, हनुमानसहाय जोशी	३०००

६७. श्री अटलबिहारीलाल ३७५०
६८. „ हरिनारायण गुप्ता ५०००
६९. „ नन्दलाल गुप्ता ८०००
७०. „ रामदयाल पारीक ३७५०
७१. „ दौलतराय ३०००
७२. „ जगदीशनारायण शर्मा ५०००
७३. „ राजमलसेठी ३७५०
७४. „ रामगोपाल शर्मा ५०००
७५. „ रोडूराम यादव ३७५०
७६. „ रामनिवास स्वामी ६५००
७७. „ ब्रजमोहन पारीक ३०००
७८. „ रतनलाल पुरोहित ३१२५
७९. „ रामेश्वरनाथ ६२५०
८०. „ ओमप्रकाश जोशी ८०००
८१. „ गोविन्दनारायण ६२५०
८२. „ सैयद अब्दुला ६५००
८३. „ सूरजप्रसाद ३७५०
८४. „ भंवरलाल व्यास ७५००
८५. „ उत्तमचन्द दूदा ३७५०
८६. „ लक्ष्मीनारायण यादव ३७५०
८७. „ शंकरकृष्णराव ६५००
८८. „ भंवरलाल पाटणी ६२५०
८९. „ चन्द्रभानसिंह ६०००
९०. „ उत्सवलाल शर्मा ८०००
९१. „ रामनारायण माथुर ६५००
९२. „ रावत सरस्वत ८०००
९३. „ रामकरण ३७५०
९४. „ गंगासिंह ५०००
९५. „ प्यारेलाल गुप्ता ८०००
९६. „ गंगाप्रसाद ६२५०
९७. „ मुन्नालाल माथुर ८०००
९८. „ अक्षयसिंह ८०००
९९. „ ओमप्रकाश शर्मा ६२५०
१००. „ भूरालाल व्यास ८०००
१०१. „ विद्याप्रकाश काला ६२५०
१०२. „ विष्णुदत्त शर्मा ८०००
१०३. श्री भागीरथ ३७५०
१०४. „ अब्दुल गनी ३७५०
१०५. „ रामेश्वरप्रसाद ३७५०
१०६. „ अमरचन्द ५०००
१०७. „ प्रेमनाथ ८०००
१०८. „ फूलचंद ६२५०
१०९. „ नरसिंहलाल ३०००
११०. „ गणपतलाल ८०००
१११. „ बालसिंह ८०००
११२. „ गंगाधर द्विवेदी ५०००
११३. „ रिछपालसिंह ८०००
११४. „ गिरधर सहाय ८०००
११५. „ गोपालशरण सिन्हा ३०००
११६. „ मदनमोहन माथुर ३०००
११७. „ जुगलकिशोर शर्मा ६५००
११८. „ मदनलाल भार्गव ८०००
११९. „ कुंजबिहारीलाल ६५००
१२०. „ मोहनलाल ३०००
१२१. „ छोटूसिंह ३०००
१२२. „ आर. एन. राव ६५००
१२३. „ रामेश्वरप्रसाद त्रिवेदी ८०००
१२४. „ कैलाशचंद्र ६२५०
१२५. „ फतेहलाल सांघी ८०००
१२६. „ मनहर प्रभाकर ८०००
१२७. „ गोकुलसिंह ३७५०
१२८. „ परमानन्द ८०००
१२९. „ नन्दकिशोर पारीक ८०००
१३०. „ सूरजप्रकाश ६२५०
१३१. „ भंवरलाल ५०००
१३२. „ कामेश्वरदयाल ६२५०
१३३. „ गोरधनलाल ६५००
१३४. „ बाबूलाल ६५००
१३५. „ घीसीलाल ८०००
१३६. „ कामेन्द्र कुमार भट्ट ५६२५
१३७. „ गोविन्दराम ३७५०
१३८. „ हरिशचन्द्र ८०००

१३९.	श्री हरचन्द्रराय	८०००
१४०.	,, अनंतलाल	३०००
१४१.	,, मोहनलाल शर्मा	५०००
१४२.	,, गंगाराम	३०००
१४३.	,, श्यामनारायण भार्गव	५०००
१४४.	,, राजबिहारीलाल	८०००
१४५.	,, पूर्णचन्द	३०००
१४६.	,, सीताराम कानूगों	३०००
१४७.	,, बांकेबिहारी	३७५०
१४८.	,, रामप्रताप पारीक	३७५०
१४९.	,, भैंरूसिंह	६५००
१५०.	,, सुनेश्वरनाथ तनखा	६५००
१५१.	,, गोविन्दस्वरूप माथुर	८०००
१५२.	,, यगवेन्द्रप्रसाद शर्मा	८०००
१५३.	,, बृजकिशोर शर्मा	८०००
१५४.	,, बृजमोहन	८०००
१५५.	,, राधेश्याय शर्मा	५०००
२५६.	,, सूरजनारायण माथुर	६२५०
१५७.	,, भौंरीलाल शर्मा	३७५०
१५८.	,, फूलचंद चोबे	३७५०
१५९.	,, रघुनाथप्रसाद टाकुर	६५००
१६०.	,, मोहनसिंह	६५००
१६१.	,, जगदीशनारायण गौड	८०००
१६२.	,, हरदत्त	६५००
१६३.	,, ईश्वरदत्त पन्त	८०००
१६४.	,, जयसिंह	३०००
१६५.	,, नन्दलालसिंह	८०००
१६६.	,, गनपतराय	८०००
१६७.	,, हरिसुदन	३०००
१६८.	,, कालियां	३०००
१६९.	,, हजारीचन्द्र महता	८०००
१७०.	,, हनुमान प्रसाद	८०००
१७१.	,, कुंजबिहारीलाल	६०००
१७२.	,, भीमसिंह	८०००
१७३.	,, तेजराजसिंघी	८०००
१७२.	,, दौलतराम शर्मा	५०००
१७५.	श्री जगन्नाथप्रसाद	५०००
१७६.	,, उगमराज	६५००
१७७.	,, जगदीशलाल भारद्वाज	३०००
१७८.	,, लक्ष्मणसिंह	८०००
१७९.	,, बृजेश्वरप्रसाद	६५००
१८०.	,, ताहिलराम	३०००
१८१.	,, मुन्ना खां	३०००
१८२.	,, सवाईसिंह	५०००
१८३.	,, बहादुर खां	३०००
१८४.	,, बृह्मदत्त	८०००
१८५.	,, भौंरीलाल भार्गव	८०००
१८६.	,, महावीर प्रसाद	४०००
१८७.	,, रत्नपाल शर्मा	८०००
१८८.	,, प्रेमराज सैकिन्ड	६५००
१८९.	,, प्रेमराज फर्स्ट	६५००
१९०.	,, भालचंद गोस्वामी	६५००
१९१.	,, सज्जनसिंह	८०००
१९२.	,, छगनलाल	५०००
१९३.	,, गंगासिंह	३०००
१९४.	,, जगन्नाथप्रसाद	३०००
१९५.	,, राधेश्याम	३०००
१९६.	,, आशाराम	३०००
१९७.	,, जयसिंह	३०००
१९८.	,, ताराचंद	४०००
१९९.	,, सरदारसिंह	८०००
२००.	,, गोविंदनारायण पारीक	३०००
२०१.	,, हरफूद्दिन	३०००
२०२.	,, नारायणलाल	३०००
२०३.	,, रामप्रसाद	३०००
२०४.	,, प्रेमनाथ	४०००
२०५.	,, पूर्णचंदशर्मा	६५००
२०६.	,, हरप्रसाद	५०००
२०७.	,, मोहम्मद शफी	३०००
२०८.	,, रामकिशोर	३०००
२०९.	,, रामप्रसाद	५०००
२१०.	,, रेवतीरमन	४०००

२११.	श्री मनोहरनाथ	५०००
२१२.	,, सुरेन्द्रमोहन	४000
२१३.	,, कंवर प्रसाद	५000
२१४.	,, हरिचरणदास	५000
२१५.	,, घनश्यामसिंह	४000
२१६.	,, जगमालसिंह	६५00
२१७.	,, वसुदेवप्रसाद	५000
२१८.	,, शालिगराम	८000
२१९.	,, खेमाराम मित्तल	६५00
२२०.	,, गेघनलाल सक्सैना	३000
२२१.	,, सरदार करतारसिंह	८000
२२२.	,, गिरीशप्रसाद	८000
२२३.	,, मोहनलाल	६५00
२२४.	,, परमानन्द	६५00
२२५.	,, सी. डी. गुप्ता	६५00
२२६.	,, श्रोमप्रकाश	३000
२२७.	,, लक्ष्मीनारायण	३000
२२८.	,, खेमचन्द	६५00
२२९.	,, रा. के. गुप्ता	८000
२३०.	,, बी. एस. माथुर	८000
२३१.	,, मनलाल आर्य	८000
२३२.	,, गोविन्दशरण	८000
२३३.	,, हरिनारायण यादव	५000
२३४.	,, शिम्भूसिंह	६५00
२३५.	,, केशरीसिंह	३000
२३६.	,, ऐ. सी. दुबे	३000
२३७.	,, पूर्णसिंह	८000
२३८.	,, महेशचन्द्र	८000
२३९.	,, श्रीपाल शुक्ला	८000
२४०.	,, नन्दलाल	५000
२४१.	,, अवधिबिहारीलाल	६000
२४२.	,, घनश्यामलाल	६५00
२४३.	,, शिम्भूसिंह	८000
२४४.	,, सतीशचन्द्र	३000
२४५.	,, नटवरबिहारीलाल	५000
२४६.	,, सूरजप्रकाश गुप्ता	८000
२४७.	श्री महावीरचन्द्र महता	५000
२४८.	,, भंवरलाल यादव	४000
२४९.	,, गोपीलाल यादव	३000
२५०.	,, कल्याणलाल शर्मा	८000
२५१.	,, छत्रसिंह	८000
२५२.	,, शिम्भूदयाल	५000
२५३.	,, कन्हैयालाल	५000
२५४.	,, सरवनकुमार	६५00
२५५.	,, सुखदेवप्रसाद	८000
२५६.	,, फतेहबहादुर	६५00
२५७.	,, नन्दलाल	६५00
२५८.	,, सीताराम जोशी	५000
२५९.	,, हरिकिशन	८000
२६०.	,, मोतीलाल गुप्ता	६५00
२६१.	,, रामगोपाल	५000
२६२.	,, एम. एच. नाम जोशी	८000
२६३.	,, मक्खनलाल	६५00
२६४.	,, कैलाशबिहारीलाल माथुर	६५00
२६५.	,, मुरारीलाल जैन	८000
२६६.	,, घासीराम	५000
२६७.	,, एल. सी. जोशी	६५00
२६८.	,, श्रीनाथ जोशी	३000
२६९.	,, मुरलीधर	३000
२७०.	,, बाबूराम पावरी	३000
२७१.	,, श्रीमती चन्द्रकला भटट	५000
२७२.	,, जंगबहादुरसिंह	८000
२७३.	,, हरिशंकर	५000
२७४.	,, रामसिंह	६५00
२७५.	,, नानू	३000
२७६.	,, जोरावरसिंह	८000
२७७.	जैन सुखकुमार	८000
२७८.	श्री माधोराम	३000
२७९.	,, रतनलाल सिंधी	४000
२८०.	,, शिवनाथसिंह	८000
२८१.	,, शंकरलाल पान्नल	८000
२८२.	,, इन्द्रराज	३000

२८३. ,, सोहनलाल शर्मा 8000

२८४. ,, किशनदत्त केवलिया 8000

२८५. ,, चतरधर शर्मा ६५००

२८६. ,, नानगराम 8000

२८७. ,, कैलाशचन्द स्वामी ५०००

सूची केन्द्रीय कर्मचारियों की जिनको लो इनकम हाउसिंग स्कीम का ऋण दिया गया

१. श्री गंगासिंह सहाय रु० ३०००
२. ,, मोहनसिंह ३०००
३. ,, इब्राहीम ३७५०
४. ,, रमेशचन्द्र सोनी ६२५०
५. ,, सतगुरु शरण कपूर ६२५०
६. ,, नाथूलाल यादव ६२५०
७. ,, शंकरलाल भारद्वाज ६२५०
८. ,, हरिशंकर ६२५०
९. ,, रामशरणसिंह ६२५०
१०. ,, रजनीकान्त ६२५०
११. ,, कृपालदास मुलचानी ८०००
१२. ,, उमाशंकर ८०००
१३. ,, छैलबिहारीलाल ६५००
१४. ,, सीताराम शर्मा ३०००
१५. ,, जितेन्द्रप्रसाद अग्रवाल ३७५०
१६. ,, कल्याण ३७५०
१७. ,, काशीनाथ शर्मा ६२५०
१७. ,, नन्दलाल शर्मा ३०००
१९. ,, बद्रीदान ८०००
२०. ,, रोशनलाल गुप्ता ६२५०
२१. ,, कमेश्वरप्रसाद ६२५०
२२. ,, श्यामाशरण माथुर ८०००
२३. ,, नारायणप्रसाद भार्गव ८०००
२४. ,, रामकृष्ण शर्मा ५०००
२५. ,, मूलचन्द शर्मा ६२५०
२६. ,, रेवतीप्रसाद जैन ६२५०
२७. ,, रघुवीरसिंह ६२५०
२८. श्री भंवरलाल ५०००
२९. ,, टीलाराम ४५००
३०. जयनारायण पाठक ५०००
३१. ,, दामोदरलाल ३७५०
३२. ,, मोहनलाल ३७५०
३३. ,, मुकुट (?) नारायण ६२५०
३४. ,, लादूराम शर्मा ३०००
३५. ,, उपेन्द्रसिंह ६५००
३६. ,, रुकमगंज (?) शर्मा ४००० (?)
३७. ,, सवाईचन्द (?) मेहता ६५००
३८. ,, कन्हैयालाल ३०००
३९. ,, सुशीलचन्द ६५००
४०. ,, चोथमल ४०००
४१. ,, शंकरलाल ३०००
४२. ,, द्वारकाप्रसाद ३०००
४३. ,, मोहनलाल ६०००
४४. ,, बसन्तीलाल ५०००
४५. ,, हरिशंकर ३०००
४६. ,, रामचन्द्र गुप्ता ३०००
४७ ,, बंशीधर ३०००
४८. ,, धन्नालाल ४०००
४९. ,, नाथूलाल शर्मा ३०००
५०. ,, एस. पी. सिंघल ५०००
५१. ,, हेमप्रसाद ६५००
५२. ,, कान्ताप्रसाद (?) भार्गव ८०००
५३, ,, नेमीगोपाल मुद्रा ५०००

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १ अप्रैल, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५६४७	९	बिड़ेद खां कायमखानी	बिडोद खां कायमखानी
५६५३	२२	जिलधीश को	जिलाधीश को
५६५७	७	आषय के कुछ	आशय के कुछ
५६६२	१	कितनी कैपन्यू	कितनी कोन्यू
,,	११	बनाई हैं यदि	बनाई है ? यदि
५६६३	१०	चलर ही थीं	चल रही थी
५६६६	२८	श्री माहनलाल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
५६७८	अन्तिम	-की कृपा -करेंगे	-की कृपा करेंगे
५६७९	अन्तिम से ७	कि व एक फसल	कि वे एक फसल
५६८१	६	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
५६८७	अन्तिम	जानकारी है ।	जानकारी नहीं है ।
५६९९	अंतिम से ७	श्रीमती गौरी पूनिया डीगना	श्रीमती गौरी पूनिया डेगाना
५७०१	अन्तिम से ९	अर्बन इम्प्रवमेन्ट	अर्बन इम्प्रूवमेंट
५७०८	शीर्ष	[५७८	[५७०८
,	११	bettermeut	betterment
५७०९	अंतिम से ९	पैद ।नहीं	पैदा नहीं
५७१६	५	रिजोलयुशन	रिजोल्युशन
५७२१	१	(श्री दयाकृष्ण विजव)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
५७३०	२४	आध्यात्यिक दृष्ट से	आध्यात्मिक दृष्टि से
५७३६	६	परिवतन करदें	परिवर्तन करदें
५७३७	९	आकषक बातें	आकर्षक बातें
,,	१४	महरबानी करके	मेहरबानी करके
५७३९	शीर्ष	सौ रुपयये	सौ रुपये
,,	५	हो चुक	हो चुके
५७४०	२	लगात है	लगान है
५७४१	३	आप य	आप यह
५७४१	४	कर्मचारयों की	कर्मचारियों की
,,		पूर्त बिना	पूर्ति बिना
,,	९	हउस	हाउस
	शीर्ष	५५४४	५७४४
	अन्तिम से ७	गंगनगर	गंगानगर

१	२	३	४
५७४४	अन्तिम से ६	सव प्रथम	सर्व प्रथम
५७४७	अन्तिम से २	श्री लच्छूराम (मडावा)	श्री लच्छूराम (मंडावा)
५७५८	शीर्ष	की लगान मुक्ति	की लगान से मुक्ति
५७५७	अन्तिम से ४	व-राजाओं का	व राजाओं का
५७५९	अन्तिम से ३	-आज-किसातों	आज किसानों
५७६०	अन्तिम से ३	चाहत हूँ	चाहता हूं
५७६१	११	तिहास है	इतिहास हैं
,,	अन्तिम से १३	आल्टनेटिव	आल्टर्नेटिव
५७७४	७	को मां के	कोम्रां के
५७७६	२०	गह नहीं चाहेंगे	यह नही चाहेंगे
५७७९	१	मंजूर करना	मजूर करना
,,	१०	फेगमेंटेशन की ओर	फ्रेग्मनटेशन की ओर
५७८०	२०	होल्डिंग के	होल्डिंग्ज़ के
,,	२६	प्रक्टिकल नहीं	प्रेक्टकल नहीं
५७८२	५	प्रकार डालू	प्रकाश डालूं
५७९५	३	नौकरशाही वग	नौकरशाही वर्ग
,,	१८	मैं जनता हूं	मैं जानता हूं
५७९८	अन्तिम से ३	या उन्हें अपने	या उन्होंने अपने
५८०८	२६	सारा काम ज	सारा काम-काज
५८११	१४	एप्रीज रखूं	प्रपोजल रखूं
५८१२	१	सख्त वि ोध	सख्त विरोध
५८१४	२३	डवेलप करे	डवेलप करें ।
५८१८	अन्तिम से ५	अवधी मागवी	अवधी, मागधी
५८२२	,, ४	"यथानीघ्र" के	"यथाशीघ्र" के
५८२६	२१	similerly, hefe	similory, here
५८३१	५	मागदर्शक थें	मार्गदर्शक थे,
५८४१	१३	दीवार खडी	दीवार खड़ी
५८५५	अन्तिम से ५	घाघरा लूकडी	घाघरा लूगड़ी.
५८७५	९ (S. N. I.)	सेवना	सेवता